राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४६वां दिवस [संख्या २८

गुरुवार, २ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

सिंचाई की सुविधाऐं देकर संभाव्य उत्पादन में वृद्धि।

८०१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister for irrigation be pleased to state :

(1) To what extent production potential has been increased by extending irrigation facilities to various areas as a result of completion of various major, medium and minor irrigation projocts in Kota and Bikaner Divisions ?

(2) To what extent the addition to production potential on account of expansion of irrigation facilities has been utilised so far ?

उप मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : As a result of completion and partial completion of various Major, medium and minor irrigation works irrigation potential has been increased by 3.05 lac acres.

(2) The increase in actual irrigation on account of above has been 1.85 lac acres.

श्री पी० के० चौधरी : Why there is only 50 percent utilisation ? What is the reason for only 50 percent utilisation of the potential irrigation...

श्री अध्यक्ष : टार्गेट्स में से ५० प्रति-

(श्री अध्यक्ष)

शत ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है यह प्रश्न है।

श्री भीखाभाई : इसका कारण यह है कि बहुत सी जगहों में इर्रिगेशन के लिए जो भावना डवेलप होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है और दूसरा कारण यह है कि बहुत से इर्रिगेशन के कार्य अभी अधूरे हैं, जितना इर्रिगेशन डवेलप होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है।

श्री पी० के० चौधरी : काम अधूरे हैं उनके फिगर्स नहीं मांगे हैं, लेकिन जितने काम पूरे हुए हैं उनके फीगर्स मांगे हैं। ३, ४ पर्सेन्ट प्रोडक्शन हुआ तो सारे एरिया में काम पूरे नहीं हुए।

श्री भीखाभाई : सिंचाई का पानी लेने की जो भावना होनी चाहिये वह भावना अभी तक लोगों में प्राप्त नहीं हुई है, मेरे कहने का मतलब यह था। दूसरा आउटलेट, वाटर कोर्सेज़ जितने बनने चाहिये थे उतने नहीं बने हैं और इससे जो डेवलपमेंट होना चाहिये था नहीं हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इफेक्टिव स्टेप ऐसी भावना पैदा होने के लिए लिया गया है।

श्री भीखाभाई : सिंचाई के पानी का अधिक से अधिक प्रचार हो और जो रेटस हैं उनको रेशनलाइज़ किया जाना है।

श्री पी० के० चौधरी : रेट तो बढ रही है घट थोड़ी ही रही ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह जवाब समझ में नहीं आता। नहरें निकलती हैं वहां लोग झगड़ा करते हैं।

श्री भीखाभाई : यह कोई वैसा सवाल नहीं है, एक्स्पर्टस् की राय बता रहा हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सरकार नेशनलाइज्ड रेट किस दर पर रखेगी ?

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न अलहदा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोटा डिविजन में कितने प्रोडक्शन की वृद्धि हुई ?

श्री भीखाभाई : इर्रिगेशन में कोटा के अन्दर ०.२३ लेक्स जब कि बीकानेर ३.२०० लेक्स है।

प्रश्न संख्या ८०२

श्री अध्यक्ष : श्री किशनराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८०३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

Page No 3

खन्डेला थाना के सब इन्पेक्टर श्री दुबे के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत

८०४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि खन्डेला थाना के सब-इन्सपेक्टर श्री दुबे के विरूद्ध सर्व श्री पुरखाराम, सीताराम, मदनलाल दीनदयाल निवासी खन्डेला ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस सीकर को की थी ?

(ख) क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस सीकर ने श्री दुबे का तुरन्त स्थानान्तरण करके श्री जनकसिंह सब-इन्सपेक्टर की वहां नियुक्त की तथा सर्किल इन्सपेक्टर को इसकी इन्क्वायरी के लिये नियुक्त किया ?

(ग) क्या यह सही है कि सर्किल इन्सपेक्टर ने श्री जनकसिंह को वापिस पुलिस लाइन में बुला लिया तथा इन्क्वायरी को सब-इन्सपेक्टर श्री दुबे से उनकी साइकिल केमरा व रेडियो रिश्वत में लेकर खत्म कर दिया ?

(घ) क्या यह सही है कि सब-इन्स्पेक्टर श्री दुबे के विरुद्ध काफी रिश्वत की शिकायत सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस सीकर को की गई, परन्तु उनपर कोई एक्शन नहीं लिया गया ? यदि हां तो क्यों ? किन किन शिकायतों पर किस अधिकारी ने जांच की है ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी नहीं, परन्तु उन्होंने यह रिपोर्ट की थी कि श्री जी० डी० दुबे एस० आई० पी० का शहर में हुई चोरियों पर कोई कंट्रोल नहीं था वह अभद्र भाषा बोलता और जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। न सर्किल इन्सपेक्टर ने श्री जनकसिंह को वापिस ही बुलाया और न ही उसने श्री दुबे से कोई वस्तु स्वीकार की और न ही उसने जांच को दबाया।

(घ) एस० पी० सीकर के पास कोई शिकायत श्री दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार की प्राप्त नहीं हुई और इसलिए जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय सर्किल इन्सपेक्टर जांच करने गये श्री जनकसिंह सब इन्सपेक्टर ने इसकी एन्ट्री पुलिस लाइन्स सीकर के रोजनामचे में की थी ?

श्री भीखाभाई: इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री जनकसिंह को खन्डेला थाने में लेजा कर उनको उस समय तो चार्ज दिलाया गया बाद में सर्किल इन्सपेक्टर ने उनको बुलाकर पुलिस लाइन में भेज दिया ?

श्री भीखाभाई : मैंने इस बारे में पता लगाया आप जो कह रहे हैं सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मदनलाल वगैरह ने दरख्वास्त पेश की थी उसमें यह लिखा था कि सब-इन्सपेक्टर

Page No 4

(श्री भैरोंसिंह)

श्री दुबे मोटर वालों से पैसा वसूल करते हैं और सामान मंगवाते हैं ?

श्री भीखाभाई : मोटरवालों की इस प्रकार की शिकायत नहीं थी कि वह उनसे सामान मंगवाता है शिकायत उनकी इस बात की थी कि वह अन्नेसेसरी ज्यादा चैकिंग करता है, ज्यादा गाड़ियों को रोकता है ?

श्री भैरोंसिंह : अन्नेसेसरी ज्यादा रोकता है यह शिकायत थी या तारीफ थी ?

श्री भीखाभाई : तारीफ नहीं शिकायत है।

श्री भैरोंसिंह : इस शिकायत के संबंध में सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री भीखाभाई : इस शिकायत की जांच की गई और इसके कारण उनको वहां से हटा दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : अभी यह कहा गया कि अभद्र व्यवहार की शिकायत सही पायी गई तो उसके सही पाने पर क्या आपने जो दंड दिया वह पर्याप्त समझते हैं।

श्री भीखाभाई : राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार डिपार्टमेंट इस प्रकार की कार्यवाही के अन्दर सख्त सजा दे सके।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या यह माना जाय कि केवल इसी शिकायत पर उनका ट्रान्सफर हुआ है ?

श्री भीखाभाई : यह तो है ही। इसके अलावा और भी तीन शिकायतें थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है उनके खिलाफ शिकायत पायी गई है, क्या उसी बिना पर स्थानान्तरण कर दिया गया, केवल यही एक कारण था, जिसके कारण उन्हें खंडेला से हटाया गया ?

श्री भीखाभाई : एक कारण यह भी है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या वे गाड़ियों का बहुत चेकिंग करते थे इसलिये उनका ट्रान्सफर हो गया ? यह तो सरकार का काम है चेकिंग करने का इसमें शिकायत कौन सी हो गई ?

श्री अध्यक्ष : उसका व्यवहार अभद्र था।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की जो शिकायत आपने मानी क्या उसकी जांच राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत हुई या कैसे ?

श्री भीखाभाई : सर्विस रूल्स के अनुसार हुई है।

श्री भैरोंसिंह : जिस शिकायत की जांच पर कि उनका व्यवहार अभद्र पाया गया है इस बात की जांच डिपार्टमेंट के इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई।

श्री भीखाभाई : सर्कल इन्स्पेक्टर द्वारा करायी गई।

Page No 5

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने उनसे एक्स्प्लेनेशन मांगा था, क्योंकि उनके विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत है ?

श्री भीखाभाई : शिकायत है ऐसा नहीं शिकायत साबित हुई है ।

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है, कि उसमें उसका मोटिव क्या था ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जांच नहीं हुई । पुलिस को अधिकार है चेक करने का क्योंकि आजकल अनाज वगैरह के बाहर जाने का सवाल है

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : जो पनिशमेन्ट दिया गया, उसमें उसका क्या इन्टेशन था, इसकी जांच नहीं की गई ?

श्री भीखाभाई : कानून में इन्टेशन पर कोई सजा नहीं होती ।

श्री जनार्दनराय नागर : राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत आप अधिक से अधिक क्या सजा दे सकते हैं, क्या उनमें केवल ट्रान्सफर ही सजा है ?

श्री भीखाभाई : सजा जो दी जाती है वह ऑफेन्स को देखकर दी जाती है ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ज्यादा पमिशमेन्ट नहीं दे सकते, क्या उसमें केवल तबादला ही पमिशमेन्ट है, या इसके अलावा ज्यादा एग्जिसटिंग रूल्स के तहत नहीं दे सकते ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मन्त्री महोदय ने जो कुछ उत्तर दिया है वह सही नहीं है, मैं समझता हूँ सदन द्वारा एक कमेटी की स्थापना कर, इस बात की जांच करवायें तो ज्यादा अच्छा है, जनक सिंह के आने की और चार्ज लेने की एन्ट्री खन्डेला के रोजनामचे में की गई है । सर्किल इन्सपेक्टर ने उनको वापिस बुलाकर पुलिस लाइन भेज दिया, लेकिन इस स्थिति से डिप्टी मिनिस्टर इन्कार करते हैं, लेकिन सही स्थिति यह है । इस लिये जो उत्तर उनकी ओर से दिया गया, वह सही नहीं है ।

श्री भीखाभाई : श्री जनक सिंह वहां गये व उन्होंने चार्ज लिया, हो सकता है यह ठीक हो, लेकिन जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने आप को दी इसके अलावा पुलिस में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए मुमकिन है वे वापस भी गये हों, लेकिन यह प्रश्न यहां उपस्थित नहीं होता है ।

वनस्थली में एरोड्रोम

८०५ **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत वर्ष जब श्री नेहरू वनस्थली पधारे, तब वनस्थली में अलग से एरोड्रोम बनाने की क्या आवश्यकता थी जब कि सांगानेर में पहले से ही एरोड्रोम मौजूद था ।

(२) इस एरोड्रोम के निर्माण में सरकार की कितनी रकम व्यय हुई ?

उप मन्त्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न

Page No 6

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

का पहले ही उत्तर दे दिया गया था। हमारे डिपार्टमेन्ट से इसका संबंध नहीं है

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर जो मेरे पास आया है, वह इस प्रकार है।।

(१) पी० डब्लू० डी० की ओर से कोई भी एरोड्रोम नहीं बनाया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इसी उत्तर को पूरा माना जाय या दुबारा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है, पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं बनाया है।

ग्राम पंचायतों एवं तहसील पंचायतों के सरपंचों के लोक सेवक माने जाने के सम्बन्ध में

८०६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या ग्राम पंचायतों एवं तहसील पंचायतों के सरपंच व अन्य पंच लोक सेवक माने जाते हैं ?

(२) क्या सरकार द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा जो राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हैं वे सुविधायें सरपंचों एवं पंचों को भी प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम पंचायतों व तहसील पंचायतों के सरपंच एवं पंच लोक सेवक माने गये हैं।

(२) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें सिर्फ राज्य कर्मचारियों को ही मिलती है, जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में हैं।

प्रश्न संख्या ८०७

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

भूतपूर्व बूसी के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

८०८. **श्री मनरूपराम परिहार** (खार्चा सु०) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूसी के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध खयानत व गबन का मामला एन्टीकरप्शन विभाग को २०.७.५८ को पेश किया गया था, उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

(२) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविज़न के एक उच्च अधिकारी उनके रिश्तेदार होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, और केस को दबाने की कोशिश में हैं ? यदि नहीं, तो आजतक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) चीफ पंचायत ऑफिसर के एक पत्र दिनांक २०—७—५६ के मिलने पर एक केस दर्ज किया गया जो जेर तफतीश है।

(२) जी नहीं, सरकार के समक्ष ऐसी कोई बात नहीं आई। केस की तफतीश जारी है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : तफतीश के लिये कौन मुकर्रर किया गया है ?

श्री भीखाभाई : उसके लिये एन्टी-करप्शन विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं।

श्री वेनाराम गहलोत (खारचो) : यह कितने रुपये गबन का मामला है ?

श्री भीखाभाई : यह तो अभी जेर तफतीश है। जांच होने पर साबित हो सकेगा कि कितना मामला है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इन्क्वायरी करते ६ महीने हो गये अभी कुछ पता नहीं लगा।

श्री भीखाभाई : जेर तफतीश है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८०६

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८१०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

डा० चन्द्रकला : मैं निवेदन करती हूं कि इसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले बाकी के प्रश्न ले लेने दीजिये।

जिला भरतपुर में अभियोगियों को छोड़ा जाना

८११. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना सु०) (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि ज़िला भरतपुर में कुछ हत्याओं के अपराध में गिरफ्तार १६५७—५८ के अभियोगियों को अदालत द्वारा मुक्त कर दिया गया व अभियोग झूठा माना ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार झूठे चालान पेश करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने को तैयार है ?

उप-मंत्री (श्री भीखाभाई, गृह मंत्री की ओर से) : जी नहीं। सन् १६५७ और १६५८ में कत्ल के केसेज में जो फैसले दिये गये उनमें किसी भी मुकद्दमें में न्यायालय ने इस कारण से किसी अपराधी को नहीं छोड़ा है कि वह झूठे मुकद्दमों में फंसाया गया था। इसलिये पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अदालत ने पुलिस के खिलाफ कुछ रिमार्क्स पास किये हैं ?

Page No 8

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

जल सहायता समिति और ज़िला विकास समितियों की सदस्यता

८१२. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम जल सहायता समितियां और ज़िला विकास समितियां एक ही हैं ?

(ख) यदि भिन्न भिन्न हैं तो उनके सदस्य कौन कौन होते हैं ?

(ग) ज़िला चुरू जल सहायता समिति के सदस्यों की नामावली सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) पहले यह कार्य ज़िला जल समितियां करती थीं, पर अब ज़िला विकास समिति ही करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कौनसी तारीख के सरकारी निर्देश के अनुसार डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी के अन्डर में यह काम आया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एक साल पहले की बात है, जब कि जलबोर्ड को बन्द कर दिया गया था और तब से यह काम ज़िला विकास समितियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल : आज से दो ढाई महीने पहले की बात मैं कहता हूं कि वही पुरानी ६ साल पहले वाली जल बोर्ड की समिति पैसा वितरित करती आई है, वही काम करती रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने तो हिदायत कर दी है।

श्री गिरधारीलाल : पर आपकी हिदायत मानता कौन है। दो ढाई महीने पहले ६ वर्ष पहले वाला जल बोर्ड ही काम करता रहा है यह तो मैं कह सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : काम करने से मतलब क्या है ?

श्री गिरधारीलाल : पैसा वितरित करने का काम। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी यह काम नहीं करती। वही ६ साल पहले वाली जल-बोर्ड समिति कर रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कलेक्टर से वैरीफाई कराया है कि जल बोर्ड नहीं, ज़िला विकास समिति कर रही है।

श्री गिरधारीलाल : इसीलिये तो मैने सूची मांगी है। आपने कलेक्टर से कब वैरीफाई करवाया, किस तारीख को कराया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल आने के बाद वैरीफाई कराया है।

श्री गिरधारीलाल : वह तो साल भर पहले की तारीख बताई थी। अब कौनसी तारीख को कलेक्टर से वैरीफाई कराया ?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि आपके प्रश्न आने के बाद कराई है।

Page No 9

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हिदायत एक साल पहले हुई थी।

श्री गिरधारीलाल : सभी जिलों में ऐसे बात है क्या ? भरतपुर में भी पहले वाला ही जल बोर्ड काम कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : क्या आप भरतपुर के बारे में जांच करेंगे। अभी भी वहां रूरल वाटर बोर्ड की कमेटी ही पैसा डिस्ट्रिब्यूट करती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मैं तो कई बार कह चुका हूं कि एक साल पहले जब जल बोर्ड खत्म हो गया तभी से ज़िला विकास समितियां ये काम करती हैं, अब आप यह कहते हैं तो दुबारा मैं जांच करवा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल : आपकी जानकारी में नहीं आई कि शुरू में अभी दो ढाई महीने पहले तक, वही जल बोर्ड की समिति काम करती रही है।

श्री अध्यक्ष : फिर जांच करवा लीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां। मैं कह चुका हूँ।

प्रश्न संख्या ८१३

श्री अध्यक्ष : कुमारी शन्नो देवी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

केला देवी करणपुर सड़क

८१४. श्री उम्मेदीलाल : (करौली सु.) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या ज़िला सवाई माधोपुर, तहसील करौली में केला देवी से करनपुर तक १६ मील सड़क बनवाने का सरकार इरादा रखती है ? और हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों

उपमंत्री, वित्त विभाग : (श्री रिखबचंद धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

श्री उम्मेदीलाल : यह अर्थाभाव कब तक पूरा हो जावेगा ?

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप फिर से पूछिये।

श्री उम्मेदीलाल : इसका मतलब क्या होता है, अर्थाभाव का ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यानी पैसा नहीं है।

(हंसी)

श्री उम्मेदीलाल : यह पैसा कब तक आवेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: जब आवेगा तब विचार कर लेंगे।

Page No 10

श्री उम्मेदीलाल : तो कोई इसकी तारीख है साहब ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख तो नहीं दी जा सकती। पर तीसरी योजना में मुमकिन है इस पर विचार किया जा सके।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या पैसा प्राप्त करने की व्यवस्था की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : व्यवस्था तो यह सदन ही करता है।

ज़िला जयपुर के अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था

८१५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ज़िला जयपुर के भिन्न भिन्न अस्पतालों का वार्षिक बजट कितना कितना है व उनके दवाइयों का कोटा कब कब कितना कितना भेजा गया है ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खें।

(ख) क्या यह सही है कि कोटपुतली डिस्पेन्सरी में काफी लिखा पढ़ी करने पर भी पूरी दवाइयों नहीं भेजी गई ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य विभाग, (श्री भीखाभाई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या कारण है कि इतनी लिखापढ़ी होने के बावजूद भी कोटपूतली में दवाई नहीं भेजी जा सकी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य-मन्त्री) डी.जी.एस.डी. के मार्फत हमने दवाइयां मंगवाई थी जिनके प्राप्त होने में देर हो गई इसलिए यह देर हुई है।

श्री रामकरणसिंह : जैसा पिछले साल हुआ वैसा अगले साल भी हालत होगी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं।

श्री रामकरणसिंह : यह कैसे जाना जाय, किस रूप में किस आधार पर आपने प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया। डी.जी.एस.डी. के ज़रिये फ़ॉरिन कन्ट्री से दवाइयां मंगवाने की बात की थी, पर अब इस बार हम डाइरेक्ट परचेज़ करने की बात कर रहे हैं। खुद ही खरीद रहे हैं।

प्रश्न संख्या ८१६

श्री अध्यक्ष: श्री पुरुषोत्तम लाल।

(अनुपस्थिति)

भीनमाल भाब बस सर्विस

८१७. श्री लक्ष्मीचन्द: (सांचोर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

ज़िला जालोर में भीनमाल से भाब जो बस जाती है वह किन किन गांवों में होकर जाती है और उसको पर्मिट किन किन गांवों से होकर जाने का दिया गया है ?

उपमन्त्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (यातायात मंत्री की ओर से): भीनमाल, मोरसीम, भाब रूट जो पर्मिट दिये गये हैं उनमें नरसाना, डुमरिया, जोबाव, अनकोला होती हुई जाना दर्ज है लेकिन यह सर्विस मोरसीम होकर नहीं जाती क्योंकि उधर से रास्ता ठीक नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द: घुमरिया होकर जाती है कि नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने जिधर होकर जाती है , उसके नाम बता दिये हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द: क्या यह सही है कि घुमरिया होकर नहीं जाती है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने बताया न ।

श्री लक्ष्मीचन्द: आपने बताया, जाती है, पर वास्तव में जाती नहीं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने बताया रास्ता खराब होने के कारण केवल मोरसिम गांव में होकर नहीं जाती । बाकी जाती है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, घुमरिया होकर भी नहीं जाती है ।

श्री अध्यक्ष: घुमरिया मोरसिम के पास है । इसलिये वहां भी नहीं जाती होगी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : पर आपने तो बताया जाती है ।

श्री अध्यक्ष: आपने तो यह बताया कि रूट में ये ये गांव हैं । पर मोरसिम होकर नहीं जाती ।

श्री लक्ष्मीचन्द: पर घुमरिया होकर भी जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: मोरसिम नहीं जाती है तो घुमरिया भी नहीं जाती ।

श्री लक्ष्मीचन्द: तो फिर पर्मिट में दर्ज करने का क्या कारण हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रास्ता खराब है इसलिये नहीं जाती । फिर भी मोटर विहिक्ल एक्ट की धारा ८० के अन्तर्गत हमने नोटिस दिया है और कार्यवाही जारी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मोहरसिंह (मोरसिम) होकर नहीं जाती तो गिरधारी (गिरधारीलाल) होकर चली जावे साहब ।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ध्यान में कब आया ?

Page No 12

श्री अध्यक्ष : नोटिस दे दिया है और कार्यवाही जारी है इसलिए आपकी मंशा पूरी हो गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या यह माना जावे कि मोरसिम होकर जावेगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ८१८

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

सर्किल इन्सपेक्टर सुलतानपुर की थाने के अतिथिगृह में रिहायश

८१९. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सर्किल इन्स्पेक्टर, सुल्तानपुर वर्तमान थाने के अतिथिगृह में रहते हैं ?

(ख) यदि हां तो, कब से और अब तक का कितना किराया सरकार ने वसूल किया ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई, गृह मंत्री की ओर से) : (क) जी हां।

(ख) वह दिनांक १८-१-५७ से रह रहा है और १०३ रुपये ५० न० पै० (८७) रुपया एरियर के तथा १६.५०.न० पै० एडवान्स में। सी. आई. से वसूल किये जा चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : उच्चाधिकारियों की अनुमति से रह रहा है या कि अपने आप ?

श्री भीखाभाई : अपने आप रह रहा था, इसलिए किराया लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकारी मकान में रह रहा है और परमिशन नहीं ली, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भीखाभाई : कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या कार्यवाही चल रही है।

श्री भीखाभाई : डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी चल रही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : एन्क्वायरी का विचार क्या है इसमें, इसमें क्या एन्क्वायरी है अब? It is very obvious and it is a very little thing that he was residing without permission. What enquiry would be launched with that now ?

श्री भीखाभाई : सवाल यह है कि पुलिस का मकान था, अतिथि गृह था उसमें बिना पूछे रहा इसकी एन्क्वायरी चल रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : What is the sense in having a Governmental enquiry about that little thing Sir ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : रेन्ट डिडक्शन आपने जब किया है तो इससे

(श्री पी० के० चौधरी)

यही माना जा सकता है, कि डिपार्टमेंट के हैड की परमिसन से रहा है ?

श्री भीखाभाई : मैं समझा नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : How did you deduct the rent from him unless it has been approved by the competent authority ?

श्री भीखाभाई : It has been approved by the competent authority to charge at a particular rate.

श्री पी० के० चौधरी : Then it is implied that the competent authority has permitted him to...

श्री भीखाभाई : No it does not mean that. It is only with the consultation of the Builidings and Roads department that rent has been realised.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार अतिथिगृह में सी. आई. नहीं ठहर सकता था।

श्री भीखाभाई : मैंने यह नियम तो नहीं पढ़े हैं इसलिए अभी नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

कोटा बारां रोड पर काली सिंध नदी का पुल

८२०. श्रीमती अनान्दी देवी जेलिया (बारां-सु): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि कोटा-बारां रोड पर काली सिंध नदी का पुल काफी नीचा होने से बरसात के दिनों में यातायात में काफी अड़चनें आती हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनता को आवागमन व यातायात की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(ग) क्या सरकार की यह जानकारी में है कि इसी नदी पर इसी पुल के नज़दीक ही सिंचाई विभाग द्वारा चम्बल नहर के लिए काफी ऊंचा पुल बनाने का कार्य शुरु किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इस पुल से ही यातायात व्यवस्था किया जाना संभव हो सकेगा ?

उप-मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) बरसात में अड़चन आती है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कोई रकम स्वीकृत नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

कस्बा भीनमाल में पीने के पानी की व्यवस्था

८२१. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा) :

Page No 14

(श्री मंगलसिंह)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कस्बा भीनमाल, ज़िला ज़ालोर में पीने के पानी की कमी है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जल कष्ट निवारण हेतु आज तक क्या कदम उठाये हैं ?

(ग) क्या उक्त स्थान पर ट्यूब वैल या आरटीसन वेल खुदवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(घ) यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने भीनमाल में वाटर सप्लाई चालू करने के लिए ५,००,००० रु० का ऋण देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृत ऋण में से ५०,००० रु० सन् १६५६–५७ में व ४०,००० रु० सन् १६-५७–५८ में दिया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : बाकी रकम कब दी जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसे जैसे रकम खर्च होती जायेगी वैसे वैसे रकम दी जायेगी। वैसे वाटर वर्क्स बनाने का आर्डर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या ८२२

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव प्रसाद बंका

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२३

श्री बीराराम

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह

आर० ए० सी० के सिपाहियों को अवकाश की सुविधा

८२४. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या आर० ए० सी० में राजस्थान और राजस्थान के बाहर रहने वाले सिपाहियों की छुट्टियों की सुविधा में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सत्य है कि आर० ए० सी० के सिपाहियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह ही अवकाश दिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार आर० ए० सी० के सिपाहियों को अधिक अवकाश दिया जाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री (श्री भीखाभाई, गृह मन्त्री की ओर से) : (क) जी नहीं आर० ए० सी० में तैनात गढ़वाली और नेपाली लोगों को केजुअल लीव पर जाते समय पांच दिन सफर के साल में एक बार अलाऊ किये जाते

(श्री भीखाभाई

हैं क्योंकि उनके मकान बहुत दूर हैं और अगर उनको यह सुविधा नहीं दी जावे तो वे केजुअल लीव का फायदा नहीं ले सकते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : सिर्फ ५ दिन का ही फर्क रहता है केजुअल लीव का या और भी फर्क है ?

श्री भीखाभाई : केवल केजुअल लीव का ही फर्क है और इसी की सुविधा केवल गढ़वाली और नेपाली लोगों को दी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो जो पूर्वी इलाके के लोग हैं आर० ए० सी० में उनको यह सुविधा क्यों नहीं है ? क्योंकि जैसलमेर वगैरह से जो लोग आते हैं उनको भी मिलना चाहिए।

श्री भीखाभाई : यह तो पहाड़ी इलाके हैं और इसके कारण उनको जो आने जाने का मार्ग है वह दुर्गम है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह लोग रेगिस्तानी इलाके से आते जाते हैं उनकी भी तो असुविधा रहती है ?

श्री भीखाभाई : सरकार ने विचार किया था, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कोई निर्णय नहीं दिया जा सका क्योंकि वह एक डिस्क्रिशन पैदा करता है और खास करके जो नेपाल के हैं और जिनकी सर्विसेज़ की आर० ए० सी० में बहुत जरूरत रहती है इसलिए उनको दिया गया।

डॉ० बहादुरसिंह : राजस्थान वालों को यह सुविधा नहीं है और दूसरों को है यह कहां तक उचित है ?

श्री भीखाभाई : वैसे राजस्थान के बाहर और रहने वालों को भी नहीं है गढ़-वाली लोगों को और नेपाली लोगों को ही है यह रियायत।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी

सादड़ी-राणकपुर सड़क

८२५. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार तहसील देसूरी में सादड़ी से राणकपुर तक सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से): जी हां, कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न संख्या ८२६

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह: (चूरू) अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: पहले दूसरे प्रश्नों को पूरा हो जाने दीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

श्री पृथ्वीराज पटेल ।

गंगापुर-जयपुर सड़क पर सीतोड़ के नाले पर पुलिया का निर्माण

८२७. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर—सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर-जयपुर सड़क पर गंगापुर से १४ वें मील पर सीतोड़ का जो नाला पड़ता है वहां वर्षा के दिनों में पानी के आ जाने से यातायात बन्द हो जाता है ?

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस नाले पर पुलिया बनवाने का कार्य शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से): (क) जी हां। तेज वर्षा होने पर दो या तीन दिन तक यातायात बन्द हो जाता है।

(ख) इस वक्त कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पृथ्वीराज पटेल: अध्यक्ष महोदय, जो नाला सीतोड़ का है वह मुश्किल से दो ढ़ाई हज़ार में बनेगा। जब बारिश होती है तो पानी उस पर से होकर जाता है और वह कम से कम चार पांच महिने तक आवागमन रोक लेता है। इसके अलावा वहां पर पांच, सात, दस बसेस भी चलती हैं और माल भी आता जाता है। इससे वहां बड़ी परेशानी रहती है।

श्री अध्यक्ष: अगर दो तीन हज़ार का ही काम है तो करवा दीजिए।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा नाला है कि जो बहुत ज्यादा बरसात आने के समय सात आठ घन्टे तक ही रुकता है और अगर बहुत ही ज्यादा वर्षा हो तो दो तीन रोज़ तक रोकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका कोई मामला भी विचाराधीन नहीं है फिर भी अगर बहुत ही कम रकम लगने वाली है तो इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री रामकरणसिंह: यह आपने सात आठ घन्टे वाली बात किस आधार पर कही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: जो इनफॉर्मेशन मिली है। जब बरसात ज्यादा होती है तो आठ सात घन्टे तक आवागमन रुक जाता है।

श्री रामकरण सिंह: (कोटपुतली) आप अपनी इनफॉर्मेशन देते हैं पर जो उस क्षेत्र के रहने वाले माननीय सदस्य हैं उनकी सूचना गलत मानते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: अगर बहुत ही ज्यादा बरसात हो तो ज्यादा हो सकता है।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीराम बासोतिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२६

Page No 17

(श्री अध्यक्ष)

श्री चुन्नीलाल

(अनुपस्थित)

श्री सुगनचन्द जैन

बेगूं डिस्पेन्सेरी में बैड्स

८३०. **श्री सुगनचन्द जैन** (बेगूं) : क्या स्वस्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बेगूं (ज़िला चित्तौड़गढ़) की डिसपेन्सरी में कितने बैड्स मौजूद हैं और उसमें कितने बैड्स रखने की व्यवस्था है ?

(ख) उपरोक्त बैड्स रखने के लिए वार्ड बने हुए हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नही और कब तक बनने की योजना है ?

उप मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखा भाई) : (क) बेगूं डिस्पेन्सरी में ६ रोग शैय्यायें उपलब्ध हैं परन्तु उनके लिए वार्ड बना हुआ नहीं है ।

(ख) अर्थाभाव के कारण वार्ड अब तक नहीं बनाया गया है । वित्तीय वर्ष १६६०-६१ में अगर भवन आदि निर्माण कार्य के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध हुआ तो वार्ड बना दिया जायेगा ।

श्री सुगनचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष इसके विषय में मैं ५ बार प्रश्न पूछ चुका हूं और हर बार यही अर्थाभाव का कारण बताते हैं तो यह कब हो जायेगा । अभी अभी कई करोड़ों का बजट पास किया गया है और फिर भी अर्थाभाव बताते हैं तो कम से कम यह तो बताया जाये कि कब तक तैयार करवा देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इस साल उस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जायेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि छोटे मोटे काम जो बहुत महत्व के हैं उनके लिए एक्टिव कन्सीडरेशन होना चाहिए अर्थाभाव का क्या कारण है You are meant for that. You remove it. What for you are there then ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी आज्ञा का पालन किया जायेगा ।

श्री सुगनचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय वहां पर एक भी बैड रखने की जगह नहीं है और जितने भी बीमार हैं वह नीचे पड़े रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर,

सराड़ा तहसील का हरचन्द तालाब

८३१. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर ज़िले की सराड़ा तहसील में 'हरचन्द' तालाब का निर्माण कब किया गया ?

(ख) इसके निर्माण में कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

Page No 18

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(ग) इसके निर्माण के बाद प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी बीघा भूमि की सिंचाई व कितनी आमदनी हुई ?

(घ) क्या उपरोक्त तालाब की सब नहरों का निर्माण हो चुका है यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) हरचन्द तालाब का निर्माण कार्य सन् ५३ में शुरू करके ५५ में सम्पूर्ण किया गया।

(ख) इसके निर्माण में कुल ३०८००३ रुपया खर्च हुआ।

(ग) इस तालाब से निम्नलिखित भूमि कि सिंचाई तथा असेसमेन्ट किए गये :

वर्ष	पिलाई		असेसमेन्ट	
सन्	बीघा	बिस्वा	रु०	न०पै०
१९५४–५५	२४०	११	२५०६	१२
१९५५–५६	१६७	१२	६६७	७५
१९५६–५७	४७१	२	२०८७	८०
१९५७–५८	६५४	६	२७४५	४४

(घ) पहले के प्रोग्राम के अनुसार सब नहरें बना दी गई हैं अब जरूरीयात के अनुसार कुछ और नहरें बनाने का कार्य विचाराधीन है।

श्री सोहनलाल भटनागर : ओरीजीनल प्रोग्राम में कितने बीघा जमीन सींचित होने को थी ?

श्री भीखाभाई : ओरीजीनल प्रोग्राम में २१०० एकड़ का अन्दाजा था।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें से क्या केवल ५०० बीघा ही सींचित हुई।

श्री भीखाभाई : एक लम्बी नहर और एक १३ मील की और नहर निकालने पर विचार किया जा रहा है।

श्री सोहनलाल भटनागर : सन् १९५५ में कार्य समाप्त हो गया तो यह कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री भीखाभाई : जब कोई स्कीम शुरु की जाती है तो जैसे जैसे फाइनेन्सेज़ अवेलेबल होते हैं उस तरह से काम प्रारम्भ किया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : फिर यह बड़ी नहर का काम ओरीजिनल प्रोग्राम में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री भीखाभाई : यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं बता सकूंगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : यह जो २००० एकड़ भूमि सींचित होने को थी और अब केवल ४०० बीघा ही सींचित हुई है उसका क्या कारण है ? फाइनेन्सेज़ की कमी है या और कोई बात है ?

श्री भीखाभाई : जो आंकड़े मैंने आपके सामने पढ़े उनको देखने से आपको पता होगा कि वह साल साल में बढ़ता रहता है। जैसे इर्रिगेशन की स्कीम है, छोटी स्कीम हो तो

Page No 19

(श्री भीखाभाई)

पांच साल का रखते हैं। इसलिए जो कार्य-क्रम बनाया गया है वह आपको मैंने पढ़कर सुना दिया।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या नई नहरें ओरीजिनल एस्टीमेंट वाली है या अलग थी।

श्री भीखाभाई : ओरीजिनल एस्टीमेट में इन नहरों का कोई जिक्र नहीं था।

श्री चंदनमल वैद : आपने फरमाया कि सिंचाई की जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि २००० बीघे तक सिंचाई होने में कितने साल और लग जायेंगे।

श्री भीखाभाई : जल्दी हो जायगा। नहरें बननी चाहिये बात यह है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या हरचन्द तालाब की योजना गलत योजना है।

श्री भीखा भाई : गलत योजना नहीं है, सत्य योजना है लेकिन साहित्य की योजना नहीं है।

(हंसी)

श्री चंदनमल वैद : क्या मन्त्री महोदय यह महसूस नहीं करते हैं कि ३ लाख रूपये लगाने के बाद केवल २०० या ३०० बीघे की सिंचाई हुई है तो क्या यह सचमुच में राज्य के धन का दुरुपयोग नहीं है?

श्रीभीखाभाई : इसलिए नहीं है क्योंकि सिंचाई धीरे धीरे बढ़ती है और रुपया लगाया जा रहा है। यों तो मैंने अर्ज किया कि कन्स्ट्रक्शन और विकास का कार्य होता है वह धीरे धीरे होता है। उसमें पहले खर्च करना पड़ता है और बाद में यील्ड मिलता है।

श्री चन्दनमल वैद : अभी तक कितने पर्सेन्टेज रिटर्न हुआ?

श्री भीखाभाई : रिटर्न का सवाल आज नहीं बैठता है। प्रोजेक्ट के १० वर्ष के बाद उसके अनुसार बताया जाता है। इस वक्त मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है कि पढ़ कर और आंकड़ों को केल्क्युलेट करके बता सकूं।

श्री चन्दनमल वैद : क्या उप–मंत्री महोदय यह बता सकते हैं, कि माइनर इरीगेशन में कितने परसेंन्टेज रिटर्न होने की जरूरत समझी जाती है?

श्री भीखाभाई : अलग अलग जगह की अलग अलग बात है। विभिन्न योजनाओं में विभिन्न रिटर्न का परसेन्टेज देखा जाता है। अजमेर की योजनाओं के अन्दर में समझता हूँ कि एक परसेन्ट रिटर्न आने पर ही लेलिया जाता है। नारायण सागर की योजना जवाई की योजना है, उनमें वह परसेन्टेज नहीं है फिर भी ली गई है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो मेरे पर रिफ्लेक्शन किया है कि साहित्य नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं चाहता हूं कि वह अपने रिफ्लेक्शन को वापस लें।

Page No 20

श्री अध्यक्ष : There is no question of reflection.

(करतलध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : He was reflecting Sir and I would like that these words should be withdrawn.

श्री अध्यक्ष : There is no question of reflection. It was Just...

(थपथपाहट)

श्री जनार्दनराय नागर : He is creating a deterrant atmosphere in the House by saying and putting . .

He has no business to cause such a personal reflection on me.

(थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष : I don't think so. It was not the intention of the Dy. Minister.

श्री जनार्दनराय नागर : But what business had he to. . .

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Just the Hon'ble member is wasting the time. There are yet so many supplementaries.

श्री जनार्दनराय नागर : He is switching by . . .

(थपथपाहट)

श्री श्रीभानसिंह : It is not his right to waste the time.

श्री जनार्दनराय नागर : I demand.

(थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष : Please listen to the Hon'ble Member.

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ मावली वाले सदस्य के बारे में, चूंकि वे मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, इसलिए किसी तरह का रिफलेक्शन नहीं था। मैंने केवल यह कहा कि दरअसल में साहित्य सृजन का काम है वह कल्पना के आधार पर हो सकता है लेकिन कन्स्ट्रक्शन

(करतल ध्वनि)

में काफी समय लगता है क्योंकि उसमें कठिनाइयां बहुत सी होती हैं। मैंने अर्ज किया कि प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ उसमें हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को एक दिन में एक जगह पर बिठा कर एक कविता लिखने के लिए कहा जाय तो २ मिनट में लिख देंगे। लेकिन दरअसल में कविता लिख देने की तरह यह काम उतना सरल नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय.... (जोरों से थपथपाहट) .... मैं समझता हूं गैरज़िम्मेदारी .... (जोरों से थपथपाहट) ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सच है कि माइनर इरिगेशन में....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! जो उप मंत्री महोदय ने बात कही है मेरे ख्याल से उसके बाद में किसी तरह कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी । जो कुछ उन्होंने कहा और जिस भावना से कहा, मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है कि जिस पर आपको कोई आपत्ति हो ।

श्री भीखाभाई : अगर कोई आपत्ति हो तो वापिस लेता हूँ ।

श्री जनार्दनराय नागर : साहित्य के मामले में मज़ाक उड़ाना चाहते हैं (मेज़ थपथपाहट) I resent the attitude of the Government.

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री और रह गया ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि ओरीजिनल एस्टीमेट में कितने बीघे लगाये थे, उसमें से कितनी ज़मीन और बचती है इर्रिगेट करने के लिये ।

श्री भीखाभाई : यह मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : यह कहां तक सच है कि माइनर इर्रिगेशन में रुपया तब लगाया जाता है जब कि उन पर साड़े चार पर्सेन्ट का रिटर्न हो ?

श्री भीखाभाई : रिटर्न का पर्सेन्ट अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से डील किया जाता है ।

श्री श्रीभानसिंह : उदयपुर के लिए रिटर्न का कितना पर्सेन्टेज़ है, जिन पर माइनर इर्रिगेशन का वर्क लिया जाता है ?

श्री भीखाभाई : इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, और बांसवाड़े का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि कहां पर किस प्रकार का रिटर्न हो सकता है । जवाई में रिटर्न का पर्सेन्टेज़ कम है । अलवर में एक बान्ध है जिसको स्केर्सिटी वर्क के कारण बनाया गया था उसमें रिटर्न कम है । दरअसल में साड़े चार पर्सेन्ट का, जिस योजना से रिटर्न होता है उसको तो चीफ इन्जीनियर ही मन्जूर कर सकता है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट साड़े तीन पर्सेन्ट तक के रिटर्न मन्जूर करती थी और किसी किसी काम में ढाई पर्सेन्ट भी करती है ।

श्री चन्दनमल वैद : एक पर्सेन्ट से रिटर्न कम होता है, तो क्या वह यह साबित नहीं करता है कि जो रुपया लगाया गया है वह बरबाद हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें रिटर्न का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि एक एस्टीमेट बना एक पर्सेन्ट का उसके मुताबिक २ हज़ार बीघा सिंचाई होनी चाहिये थी और उससे केवल २०० या ३०० बीघा की सिंचाई हो रही है तो या तो वह ओरीजिनल एस्टीमेट डिफेक्टिव था या आप कह सकते हैं कि २००० बीघा की सिंचाई पूरी हो जायगी, ? Can you assure the House ?

श्री भीखाभाई : जब तक नहरें नहीं बने तब तक...

श्री अध्यक्ष : नहरें ओरीजिनल एस्टीमेट में नहीं थी । नहरों के काम पर जो खर्चा

(श्री अध्यक्ष)

किया उसके अलावा २ हज़ार एकड़ सिंचाई होनी चाहिए थी।

श्री भीखाभाई : इसके बारे में दर-असल में कितना रिटर्न था उसकी मेरे पास तफ़सील नहीं है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : २ हज़ार बीघे के लिये जितना पानी काम में आ सकता है तो जो बान्ध बना है उतना पानी उसमें आ सकता है ?

श्री चन्दनमल बैद : २ हज़ार बीघा ज़मीन की सिंचाई का प्रोग्राम था। तो २००० बीघा की सिंचाई करने के लायक पानी उस बन्ध में आता है क्या ?

श्री भीखाभाई : सारे डिटेल्स मेरे पास में इस वक्त में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल।

श्री किशनलाल (नांवा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की पोज़ीसन में हैं कि जहां यह सिंचाई हो रही है उन बीघों के लोग कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : ये लोग कौन हैं उनके लिए मैं कह सकता हूं कि काश्तकार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

मानगंज मंडी दौसा—वर्षा में पानी भर जाने के सम्बन्ध में।

८३२. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा में स्थित मंडी मानगंज के चौक के लिऐ क्या व्यवस्था की गई है जहां कि वर्षाकाल में काफी पानी भर जाता है ?

(२) क्या सरकार इस असुविधा को मिटाने की व्यवस्था करेंगी ? अगर हां, तो कब तक ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता) : (१) अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(२) इस सम्बन्ध में नगरपालिका को विचार करने के लिए कहा जा रहा है।

ज़िला भीलवाड़ा को सीमेन्ट, लोहा, इस्पात, चद्दर, आदि का कोटा।

८३३. **श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द) क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ज़िला भीलवाड़ा को कृषिकार्यों के लिए सीमेन्ट, लोहा, इस्पात, चद्दर, आदि का कितना सालाना कोटा निर्धारित है ?

(२) तहसील आसिन्द को उक्त आशियाय, किस मात्रा में किसके ज़रिये गत वर्ष और इस वर्ष मौहिया की गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त वस्तुओं का वितरण वहां फर्ज़ी तौर पर हुआ ?

(४) जिस तहसील हैडक्वार्टरों पर यह

(श्री जयसिंह राणावत)

कार्य मुकामी सहकारी समितियां बगर्ज वितरण लेना चाहें, क्या सरकार वहां उन्हें यह कार्य सौंपना मंजूर करेगी ?

उपमंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल, कृषि मंत्री की ओर से) :

(१) ज़िले का वार्षिक कोटा फिक्स्ड नहीं है। जितना भी लोहे व सीमेन्ट का तिमाही कोटा कृषि विभाग को मिलता है वह राजस्थान भर में सब ज़िलों में कृषकों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है।

(२) तहसील आसिन्द के लिए ११६ चद्दरें स्पेशल स्टाक्स से दी गई थीं।

(३) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(४) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जयसिंह राणावत : यदि सूचना दी जाय कि मिस एप्रोप्रियेशन हुआ है तो क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जरूर करेगी।

स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

अमर बान्ध के कारण हिन्डोन इलाके में पत्थर की खानों का रास्ता बन्द।

६५१. श्री उम्मेदीलाल (करौली) : क्या सरकार को विदित है कि हिन्डौन इलाके में अमर बान्ध के कारण पत्थर की खानों को जाने वाला रास्ता बन्द हो गया है। तथा जनता ने मैमोरेन्डम इत्यादि भेजकर सरकार से निवेदन किया है कि इस रास्ते पर पुल बना दिया जावे ताकि आवागमन न रुके। यदि हां, तो क्या सरकार इस जगह पुल बनाने का इरादा रखती है। अगर हां, तो यह पुल कब तक बन सकेगा।

उपमंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) अगर बान्ध की डूब में होकर पत्थर की खानों को जाने वाला रास्ता कुछ समय के लिये बन्द हो जाता है तो उसके लिए उचित उपाय विचाराधीन है।

सांचोर सीड स्टोर में धान की कमी

३०३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ज़िला जालोर के सांचोर सीड स्टोर में कितने मन धान की कमी है और इस कमी का क्या कारण है ?

उपमंत्री, कृषि विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आ सका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय,

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मैं दूसरी दफा यह प्रश्न पूछ रहा हूं, और अब तक इसका उत्तर नहीं आ रहा है। क्या इसका उत्तर आएगा ही नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नेक्स्ट टर्न पर पोजिटिवली उत्तर दिया जायगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उत्तर तो आया होगा, लेकिन कहीं पड़ा होगा गड़बड़ी में मिल नहीं रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मिल जायगा तो जवाब दे दिया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपके पास आगया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं आया।

श्री लक्ष्मीचन्द : आज उत्तर नहीं देने की क्या सूचना दी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४६

श्री गज्जा पटेल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८००

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

पंचायतों के चुनाव

८०३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५४ से १९५८ तक हर वर्ष कितनी पंचायतों के चुनाव हुए और उनमें से कितनी पंचायतों के चुनाव राजस्थान हाई कोर्ट या कलेक्टर द्वारा अवैध या रद्द घोषित किये गये ?

(२) पंचायतों के चुनाव साधारणसी अनियमितओं पर अवैध घोषित होने की नौबत न आवे, इस दृष्टी से क्या राज्य सरकार चुनाव कराने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि अधिकांशतः यह चुनाव अधिकारियों की लापरवाही, अज्ञान व पक्षपात के कारण अवैध करार दिये गए ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१)

१९५४ में ६८७ पंचायतों के

१९५५ में १८८७ पंचायतों के

१९५६ में ६३० पंचायतों के

Page No 25

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

१९५७ में १०९ पंचायतों के

१९५८ में १६२० पंचायतों के निर्वाचन हुए। इनमें से ६६ निर्वाचनों को अवैध घोषित किया गया।

(२) निर्वाचन के सिलसिले में जो जो रिटर्निंग आफिसरों को दिक्कतें पेश आती हैं उनके बारे में इस विभाग के ज़िला स्तर अधिकारियों व दूसरे अधिकारियों को समझाइश करदी गई है। १८ अधिकारियों को तो गुप्त मतदान प्रणाली के चालू होने के बाद पंचायत विभाग के मुख्यावास में समझायश भी दी गई थी ताकि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की दिक्कतें साफ करने में सहायक हो सके। गुप्त मतदान प्रणाली चालू होने के बाद में विभाग से अनुदेश तैयार किये गये और उनकी एक प्रतिलिपि रिटर्निंग ऑफिसर्स को चुनाव के पहले अध्ययन हेतु व अपनी शंकाओं का समाधान करने हेतु दी जाती है।

(३) अधितर निर्वाचन जो अवैध घोषित किये गये वे निर्वाचनाधिकारियों के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण किये गये। अतएव निर्वाचनाधिकारियों के नाम इस प्रकार की की गई त्रुटियें दुबारा न हो, अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। जहां २ यह मालूम हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जान बूझ कर अनियमिततायें की हैं वहां वहां उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संबन्धित विभाग को लिखा भी जा चुका है। एक रिटर्निंग ओफिसर तो इस मामले के सिलसिले में मोअतिल भी किया जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्रपाल।

प्रश्न संख्या ८०७

(अनुपस्थित)

मेटरनिटि वार्ड करौली

८०९. श्री ब्रिजेन्द्रपाल (करौली—डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया): Will the Minister for health be pleased to state:

(a) How much amount has been sanctioned for the construction of a Maternity Ward at Karauli ?

(b) Has any site been selected for the above buliding ?

(c) If so, where ?

उपमंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई): Amount has not so for been sanctioned for the purpose.

(b) Yes.

[c] Khasra No. 3872 outside Hindaun Gate and in front of the present hospital building.

डॉ० चन्द्रकला: अमॉउन्ट संक्शन नहीं हुआ है तो कब तक होने की आशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अभी कार्यवाही हो रही है।

डॉ० बहादुरसिंह: कितना समय लगेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: एक्वीजिशन की कार्यवाही चालू हो रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

अनुपस्थित

नाथद्वारा से उदयपुर के बीच चीरवे की घाटी में जीप दुर्घटना

८१३. कुमारी शन्नोदेवी (सुजानगढ़-श्री भैरोंसिंह जी द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कुछ वर्ष पूर्व गृहमंत्री जब उदयपुर के दौरे पर गए तब नाथद्वारा से उदयपुर जाते समय उनकी जीप चीरवे की घाटी में पहाड़ी से नीचे गिर गई ?

(२) यदि हां, तो क्या उस जीप को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री शाही चला रहे थे ?

(३) उक्त जीप में अन्य कौन कौन व्यक्ति थे ?

(४) उक्त एक्सिडेन्ट के क्या कारण थे ?

(५) क्या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा जीप चलाने के उक्त अनाधिकार कार्य के लिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

(६) इस जीप के नष्ट हो जाने से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

उपमंत्री (श्री भीखाभाई, गृह मंत्री की ओर से) (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) गृह मंत्री के अतिरिक्त श्री डी.एस. शाही, आई. पी. एस., श्री के. एल. बराया, ड्राईवर और एक सिपाही भी जीप में थे।

(४) हाईड्रोलिक पाइप टूट जाने से ब्रेक खराब होने के कारण यह दुर्घटना हुई।

(५) श्री शाही के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी जरूर नहीं थी क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स था और यह केवल दुर्घटना थी।

(६) जीप की सामान्य मरम्मत में ३०० रु० तथा उसके पुरजों की तब्दीली में १०२ रु० १२ नये पैसे खर्च हुए।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सरकारी नियम के अनुसार कोई सरकारी अधिकारी, अलावा ड्राइवर के गाड़ी नहीं चला सकता ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: ऐसे नियम की तो जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: इसमें जानकारी की क्या बात है, यह तो आम बात है। क्या यह सही है एक डाक्टर को इसलिये सजा दी गई है कि उसने ड्राइवर की मौजूदगी में सरकारी गाड़ी चलाई थी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता लेकिन इन्क्वायरी जरूर हो रही है क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारी ड्राइवर की मौजूदगी में गाड़ी नहीं चला सकता।

श्री भीखाभाई : दरअसल में बात यह थी कि उस जीप के ड्राइवर को चक्कर आ गया था।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह: आपको इसकी जानकारी कैसे हुई ?

Page No 27

श्री भीखाभाई: यहां लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह माना जाय कि गाड़ी के ड्राइवर को चक्कर आने से गाडी एस. पी. द्वारा चलाई गई थी वरना चलाने का नियम नहीं था ?

श्री भीखाभाई : नियम की बात का पता मुझे नहीं है लेकिन मंत्रीजी ने अभी बताया कि इस प्रकार के नियम होंगे लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि ड्राईवर के बीमार होने से उनको चलानी पड़ी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या ड्राइवर बिमार हुआ था उसका डाक्टरी मुआयना हुआ था ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या यह सही नहीं है कि एस. पी. की गाड़ी का चालान आया था ?

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि जिस स्थान से गाड़ी रवाना हुई थी उस जगह भी वह ड्राइवर बीमार था ?

श्री भीखाभाई: ऐसी बात नहीं थी।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि ड्राइवर जीप में था ही नहीं। सरकार इस एक्सीडेन्ट का परिणाम कितना समझती है ? यदि किसी दूसरे आदमी से यहां एक्सीडेन्ट होता तो उसका क्या असर होता ?

श्री भीखाभाई : ड्राइवर चम्पालाल और कांस्टेबल उम्मेदसिंह उसमें मौजूद थे।

श्री जनार्दनराय नागर: What was the nature of the accident ? Has the Government enquired fully ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: जांच करने वाले भी पुलिसवाले ही थे। और उन्हीं से एक्सीडेन्ट हुआ था।

श्री जनार्दनराय नागर: This is a reply from the Treasury Benches. He says that the enquiry has been done by Police.

श्री भैरोंसिंह: क्या यह माना जाय कि जब नियम के अनुसार एस. पी. गाडी नहीं चला सकता था तो उस समय क्या एस. पी, ने गाडी चलाने के लिए होम मिनिस्टर से इजाज़त ली थी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : इसमें इजाज़त लेने का सवाल पैदा नहीं होता, यह इमरजेन्सी का समय था होम मिनिस्टर जैसे इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति दौरा कर रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या इमर्जेन्सी के समय कोई भी अधिकारी गाडी चला सकता है जिसको अधिकार नहीं हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ड्राइवर की तबियत खराब हो गई थी और उनके पास लाइसैन्स भी था।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि नियम में प्रावधान नहीं है कि कोई अधिकारी जिसको अधिकार नहीं है वह गाडी चला सकता है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: नियम देखने से पता चल सकता है ?

Page No 28

श्री भैरोंसिंह: क्या यदि नियम में प्रावधान नहीं मिलेगा तो सरकार उस एस. पी. के खिलाफ एक्शन लेगी जिसने गाड़ी चलाई थी ?

श्री जनार्दनराय नागर : It is material that ..

श्री भैरोंसिंह: आपको मालूम होना चाहिये कि पिछले प्रश्न का उत्तर देने के बाद में नया प्रश्न करते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): इस मामले में जो इन्क्वायरी की गई वह उक्त एस. पी. के सबोरडिनेट द्वारा की गई थी या डी. आई. जी द्वारा की गई थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: होम मिनिस्टर साहब खुद मौके पर मौजूद थे, इसलिए डिस्प्यूट का सवाल नहीं था, वे खुद उस जीप में ट्रैवल कर रहे थे इसलिये लापरवाही का भी सवाल पैदा नहीं हो सकता।

श्रीश्रीभानसिंह (बयाना): Did the Government want a regular enquiry after the accident took place.

श्रीभैरोंसिंह: He is not only involved in the accident but...

श्रीबद्रीप्रसादगुप्ता: जो फैक्ट्स सदन के सामने अर्ज किये गये हैं, उनको गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट नहीं किया है। होम मिनिस्टर स्वयं मौजूद थे, वे स्वयं सर्टीफाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष: What action does the Government propose so that such incidents may not recur.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह सरक्यूलर इश्यू किया गया या नहीं, यह नहीं कह सकता। आम तौर पर जिसे ड्राइव करने का राइट नहीं, वह ड्राइव नहीं कर सकता।

श्री जनार्दनराय नागर: होम मिनिस्टर की लाइफ का सवाल था उसमें, जो सीनियर आफिसर चला रहे थे, उनके बारे में कोई इन्क्वायरी की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह: इन्क्वायरी के लिए कुछ नहीं कहा गया। मेरा प्रश्न सीधा सादा है।

श्री अध्यक्ष: इन्क्वायरी करने वाले उसमें मौजूद थे।

श्री भैरोंसिंह: उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जा सकती है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): And such occurences are happening again and again.

एक माननीय सदस्य: उक्त घटना में किन किन व्यक्तियों को चोट आई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह: ८१८।

अणादरा अस्पताल के डाक्टर की नियुक्ति

८१८. **श्री दलपतसिंह** (आबू—श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया): क्या स्वास्थ्य

(श्री दलपतसिंह)

मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से अणादरा होस्पीटल (ज़िला सिरोही) में डॉक्टर नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां जल्द से जल्द कब तक डॉक्टर भेजने का इरादा रखती है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) अणादरा होस्पीटल में डॉक्टर का स्थान स्वीकृत नहीं है, इसलिए डॉक्टर भेजना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष: श्री महादेव प्रसाद बंका ।

(अनुपस्थित)

श्री वीरराम ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीरामबासोतिया ।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.२ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: एक स्थगन प्रस्ताव, श्री भैरोंसिंह, विभाजन संख्या १४, ने तिब्बत में उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित, की सूचना दी है । यह मामला इस विधान सभा के अधिकार से बाहर का है और इसका सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है । ऐसी स्थिति में इसे सदन में प्रस्तुत करने की इजाज़त नहीं दी जाती है ।

१२.३ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : आज से राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल पर विचार विमर्श शुरू होगा । क्लॉज़ ६८ पर विचार किया जा रहा था । माननीय मंत्रीजी ने एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया था । अब दूसरा अमेंडमेंट श्री जगदीश प्रसाद माथुर का है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पहले डेफर्ड क्लॉजेज़ को ले लें, जैसे क्लॉज़ ६ ।

श्री अध्यक्ष : डेफर्ड क्लॉज़ अभी डेफर्ड हैं ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : So that we may collect all the 'deferreds' together.

Page No 30

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के पांच सब-क्लॉज़ हैं, इनमें कमेटी के अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान किया है कि किस प्रकार अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। जहां तक कमेटियों का सम्बन्ध है, कमेटियां विशेष कार्य के निमित्त बोर्ड द्वारा बनाई जाती हैं, बोर्ड कमेटियों का निर्वाचन करता है। इस तरह से बोर्ड के फंक्शन अलग हैं, कमेटियों के फंक्शन अलग हैं, कुछ स्पेशल वर्क कमेटियों को दिए जाते हैं। अब कमेटियों के अध्यक्ष कौन हों, किस ढंग से कमेटियों का काम सुचारु रूप से चले, यह विचारणीय है। जिस प्रकार इसको सब-क्लॉज़ एक में दिया गया है कि अगर चेअरमैन किसी कमेटी का सदस्य होगा तो चेअरमैन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष माना जायगा। यदि वाइस चेअरमैन किसी कमेटी का सदस्य होगा तो वाइस चेअरमैन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हो जायगा। जहां तक वाइस चेअरमैन का सम्बन्ध है, इसमें विशेष आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जहां चेअरमैन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, जब हमारा यह कानून बन जायगा, तब उसके पास इतना काम हो जायगा कि उसके पास समय नहीं रहेगा कि वह छोटी छोटी सी कमेटियों की अध्यक्षता करता रहे। विशेष रूप से जहां कौंसिल बनायेंगे, जिन सिटीज़ में कौंसिल बनेगी, उसका जो चेअरमैन होगा, उसके पास विशेष रूप से समय नहीं रहेगा और अगर वह सफाई की कमेटी, लाइटिंग की कमेटी, टैक्सेशन कमेटी का सदस्य या एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष बन जाता है तो वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात इसके साथ और भी है, मान लीजिये कोई बोर्ड है, जिसके अन्दर कोई चेअरमैन किसी पार्टी का है, जो कॉर्डीनेशन लेकर म्युनिसिपल बोर्ड का चेअरमैन बन सकता है, हो सकता है, उस पार्टी की मेजोरिटी न हो। मेजोरिटी नहीं होने के कारण जो कमेटियां बनती हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी का चेअरमैन है, उस पार्टी की मेजोरिटी कमेटी में आये। मान लीजिये कि किसी कमेटी में सात सदस्य हैं, चार सदस्य दूसरी पार्टी के हैं और तीन सदस्य चेयरमैन की पार्टी के हैं। अब चेयरमैन इसका सदस्य हुआ, तो वह एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हो जायगा। इसके साथ ही उसे कास्टिंग वोट का अधिकार होगा। इस तरह से एक कमेटी का निर्वाचन होगा, उसके अन्दर चेअरमैन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हो जायगा, वह अपने कास्टिंग वोट के अधिकार के कारण मेजोरिटी को माइनोरिटी में बदल सकता है। इसलिये यह जो प्रावधान है जिसमें चेयरमैन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष रहेगा, वह अध्यक्ष इस कारण से ईमानदारी से काम नहीं कर सकेगा। बाकी के जो सदस्य हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी है और कमेटियों के एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन विशेष नहीं होते हैं। इन कमेटियों में जो चेयरमैन लिया है, वह कुछ निर्णय लेता है, वह बहुमत का निर्णय होता है। इस प्रकार चेयरमैन को वहां ले जाकर फंसाया जाय, वाइस चेअरमैन को वहां ले जाकर फंसाया जाय, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और इससे दुविधा पैदा होगी, इससे गलत फहमी पैदा होगी, बोर्ड के काम में रुकावट पैदा होगी। इस धारा की जो उप धारा पांच है, वह इस प्रकार से है :

"(5) Every committee, of which there is no ex-officio chairman or a chairman appointed by the board

Page No 31

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

shall, appoint from time to time its own chairman from among its own members."

इसके अन्दर यहां तक दिया गया है कि अगर कमेटी के अन्दर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन सदस्य नहीं है तो कमेटी सदस्यों में से अपना चेयरमैन नियुक्त करे। मान लिजिये कि किसी कारण से बोर्ड की बहुमत पार्टी का चेयरमैन नियुक्त नहीं करा जा सकता है और कमेटी अपना चेयरमैन नियुक्त कर लेती है। इस कमेटी की एक दो सिटींग्स के बाद बोर्ड के चेयरमैन और कमेटी के चेयरमैन के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते हैं, किसी कारण से कमेटी का चेयरमैन और बोर्ड का चेयरमैन का परस्पर मेल नहीं बैठता है तो, जैसा इसमें लिखा है फ्राम टाइम टू टाइम, जब मर्जी आये कमेटी अपना चेयरमैन चुन ले। इसका अर्थ यह है कि कमेटी को बार बार अपना चेयरमैन चुनना पड़ेगा। इस बीच अगर चाहे तो बोर्ड की सेंक्शन लेकर कमेटियों का चेअरमैन नियुक्त करवा सकेगा इस प्रकार की परिस्थितियों पर विचार कर मैंने संशोधन रखा है इसके अन्दर कि :

1. Delete sub-clause (1), (2) and (3) and (4).

2. Sub-clause (5) be substituted by the following words :

"Every committee shall elect every year its own Chairman from among its own members." हर कमेटी अपने सदस्यों में से अपना चेयरमैन चुनेगी। अध्यक्ष महोदय, यदि हम दूसरे प्रान्तों की ओर देखें, अपने पड़ौस में देखें तो जो दिल्ली के अन्दर कोरपोरेशन है, इस कोरपोरेशन की स्टेंडिंग कमेटी है, कोरपोरेशन की अन्यान्य कमेटियां हैं, इन कमेटियों के अन्दर जितने सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सब का चुनाव होता है। प्रपोरशनेट रिप्रजेन्टेशन होने के बाद जो कमेटी के सदस्य लोग हैं, वे अपने मत के द्वारा चेयरमैन का चुनाव करते हैं। वहां ऐसा भी है कि जन संघ का सदस्य है, वह कमेटी का सदस्य है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, वह भी कमेटी का सदस्य है। और जो इन्डीपेन्डेन्ट सदस्य है, वह भी कमेटी का सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति जो चुनकर आया है, उनमें से चुन कर कमेटी बनती है। यह बात नहीं है कि बोर्ड को अधिकार दे, या चेयरमैन को अधिकार दे कि कमेटी को नॉमीनेट कर दे। जब तय करते हैं तो बोर्ड को अधिकार देते हैं, कुछ सदस्यों को चुनने के बाद कानून के आधार पर कमेटियों का निर्माण करते हैं, उनके फंक्शन्स को डिफाइन करते हैं, कमेटी के चेयरमैन को डिफाइन करते हैं, कि फलां फलां कमेटी की एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स हैं, ये बोर्ड की एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स हैं। हम चाहते हैं कि सब लोगों को विकास करने का अवसर मिले तो यह आवश्यकता होगी कि जितने अधिक लोग हैं वे अपने अपने क्षेत्र को सम्भाले। यह नहीं कि जो कमेटियां हैं, इम्पोर्टेन्ट कमेटियां हैं, उनमें चेयरमैन को सदस्य बनाया जाय, वाइस चेयरमैन को सदस्य बनाया जाय और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कमेटियों के चेयरमैन बन जायं, वे सब कमेटियों के अध्यक्ष बन जायं, यह गलत परम्परा होगी उसके बाद इस क्लॉज़ में दिया गया है...

Page No 32

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

"(3) The board may appoint a chairman of every committee of which there is no ex-officio chairman." चेयरमैन को अधिकार नहीं दिया है, बोर्ड को पावर दी है यानि जिस पार्टी का बहुमत है, वह कमेटी के अध्यक्ष के लिए तय करें। अगर कोई कमेटी ऐसी है जिसके अन्दर बहुमत ऐसा है, जो बोर्ड के बहुमत से मेल नहीं खाता है। ऐसी कमेटी बन गई, जिसके सात सदस्य हों, चार सदस्य एक पार्टी के हों, तीन सदस्य एक पार्टी के हों। अब चेयरमैन का इलेक्शन किस प्रकार हो सकता है, जिस पार्टी का बहुमत बोर्ड में है, उसका इलेक्शन होने पर पार्टी का बहुमत होगा। यानि कमेटी के बहुमत की उपेक्षा करके स्वयं अपनी मर्जी से पार्टी के तीन सदस्य हैं, उस पार्टी का एक चेयरमैन नियुक्त कर देगी। यह किसी प्रकार भी प्रजातांत्रिक भावना नहीं है, यह गलत ढंग होगा। बिल्कुल सीधी बात है कि एक कमेटी का निर्वाचन कर दिया है, उसके सदस्यों को अधिकार दें कि वे अपने सदस्यों में से किसी सदस्य का अध्यक्ष का निर्वाचन कर दें।

दिल्ली की कॉरपोरेशन है उसमें भी इस प्रकार होता है प्रतिवर्ष कमेटियों के अध्यक्ष का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव भी एक वर्ष के लिये होता है। मेयर से ले कर सारी कमेटियों के चेयरमैन का निर्वाचन एक वर्ष के लिये होता है। तो हमें भी प्रगतिशील कदम उठाना चाहिये। किसी चेयरमैन की मर्जी पर छोड़ दिया जाय यह उचित नहीं होगा। इसमें मन्त्री महोदय के हस्तक्षेप, का सत्तारूढ दल के हस्तक्षेप का सवाल नही सारे सदस्यों को मिल कर चेयरमैन का चुनाव करने का अधिकार रखना चाहिये। मैंने इसी आशय से क्लाज़ ६८ में यह संशोधन रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ६८ में कमेटियों के चेयरमैन चुनने का प्रावधान है। हमने इसमें यह रखा है कि बोर्ड की तरफ से बोर्ड की मीटिंग होगी तो कमेटियों के मेम्बर चुने जायेंगे। कमेटी के मेम्बर ७,८ होते हैं तो शुरू में प्रावधान रखा है कि यदि बोर्ड का चेयरमैन कमेटी के चुनाव में आ जाता है तो क्योंकि वह बोर्ड का चेयरमैन है तो कमेटी का भी चेयरमैन वही होगा। इसमें मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। बोर्ड का चेयरमैन किसी कमेटी में आ कर मेम्बर चुना जाता है तो फिर चेयरमैन के लिये कोई इलेक्शन हो यह उचित नहीं होगा। चूंकि वह बोर्ड का चेयरमैन है तो कमेटी का भी चेयरमैन वही होना चाहिये, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि आप इस तरह का प्रावधान करें कि बोर्ड का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन किसी भी कमेटी का चेयरमैन न बने। पर वैसे यह प्रावधान बिल्कुल ठीक है।

साथ ही यह रखा है कि वे किसी कमेटी के इलेक्शन में नहीं आते हैं तो बोर्ड को अधिकार दिया है कि बोर्ड किसी आदमी को उस कमेटी का चेयरमैन अपॉइन्ट कर सकता है। बोर्ड इलेक्ट करेगा। किसको चेयरमैन बनाया जाय यह बोर्ड को अधिकार दिया गया है। और साथ ही यह भी रखा हैं कि दोनों ही नहीं हों तो कमेटी के मेम्बर हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वे अपनी तरफ से चेयरमैन अपॉइन्ट कर सकते हैं। तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मैं समझता हूं यह तो बिल्कुल क्लीयर प्रोविज़न है । यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लिया जाता है तो उस चेयरमैन को कमेटी का चेयरमैन बनने से डिबार कर देंगे । अगर वह किसी कमेटी का मेम्बर इलेक्ट हो जाता है तो यह उचित नही होगा कि उसको चेयरमैन नहीं रखा जाय । साथ ही जब बोर्ड के दूसरे सब सदस्यों को अधिकार हैं कि वे किसी भी कमेटी के सदस्य बन सकते हैं. चुने जा सकते हैं तो वैसी सूरत में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इस अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं होगा । यह लोजिकल कन्क्लूज़न है, वे चुन कर आ गये हैं तो चेयरमैन होंगे । वो नहीं आयें तो बोर्ड इलेक्ट करें और बोर्ड भी नहीं हो तो उस कमेटी के सदस्य मिलकर चैयरमैन इलेक्ट करें ।

यह बिल्कुल क्लीयर प्रोविज़न रखा गया है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : चेअरमैन को बोर्ड की किसी कमेटी के सदस्य बनाने में या चेयरमैन बनाने में आपत्ति नहीं । उनको भी हर कमेटी के इलेक्शन में आना होगा और जब कि कमेटी के सदस्य चुने जायेंगे तो उसी तरह सदस्यों द्वारा चुने जा कर कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं । वे चुन कर कमेटी के सदस्य बने तो किसी को आपति नहीं होनी चाहिये और चुन कर चेयरमैन बन गये तो इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । पर किसी कमेटी के चुनाव में सदस्य चुन लिये गये इस लिये एक्सऑफिशियो चेअरमैन वह बन जायं, इसमें हमें आपत्ति है । चुनाव में खड़े होने का उनको अधिकार है पर चुनाव में आने के बाद चूंकि वे बोर्ड के चेयरमैन हैं कोटी के भी एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन बन जायं इसमें हमें आपति है । कमेटी में इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं क्योंकि सारी म्युनिसिपैलटीज़ पार्टीज़ के आधार पर चलती हैं, अगर चेयरमैन के खिलाफ ज्यादा सदस्य उस कमेटी के हुए तो उस चेयमैन को अधिकार है कि उस कमेटी का भी वह चेयरमैन बने । उस कमेटी का चेयरमैन वही बन सकता है जिसको सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो ।

इसलिये यह रख दीजिये कि कमेटी के सदस्यों को अधिकार होगा कि चेयरमैन का चुनाव वे सदस्य करें । उस चुनाव में बोर्ड का चेयरमैन भी कमेटी के सदस्यों द्वारा चेयरमैन चुन लिया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री अध्यक्ष: क्लॉज़ ६८ में दो संशोधन हैं एक मन्त्री महोदय ने पेश किया है और दूसरा श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने ।

प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Page No 34

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६८ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६८ संशोधित रूप में विधेयक की अंग बना।

विराम

क्लॉज ६६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन लैंग्वेज़ के सुधार के बारे में है In sub-clause (1) substitute 'clauses' for 'sub-sections'.

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६६ का ४ इस प्रकार है : "No business shall be transacted at any committee meeting unless more than one-half of the members of the committee be present thereat."

मैंने इसके अन्दर दिया है : Delete the words 'more than' from line two.

इन दो शब्दों को डिलीट कर दिया जाय। नहीं तो इसमें दिक्कत आयेगी, ये कमेटीज़ काम नहीं कर सकेगी कोटी के ६ सदस्यों में से ४ सदस्य मौजूद नहीं है तो वह कमेटी काम नहीं कर सकेगी, इतना बड़ा कोरम रख देना अनुचित होगा। मुझे तो अपने सदन का अनुभव है कि १८ का कोरम करने के लिये भी कई बार घंटी बजानी पड़ती है, तो म्युनिसिपेलिटीज़ की छोटी छोटी कमेटीज़ के लिये यह रखें कि ६ में से ४ सदस्य उपस्थित हो यह ठीक नहीं है। इसके स्थान पर इतना रख दिया जाय कि ६ सदस्यों में से ३ सदस्य उपस्थित हों, 'more than हटा दिया जाय और इसके स्थान पर मैंने रखा है उसे स्वीकार कर लिया जाय। यह ज्यादा सुविधाजनक होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसे स्वीकार करने में मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन-मंत्री): इसलिये यह प्रोविज़न रखा है कि कमेटी के मेम्बर ज्यादा इन्ट्रेस्ट लें। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं वैसा करें तो भी जिन कमेटीज़ में ५ सदस्य होंगे तो आप ही मोर देन हाफ हो जायेंगे। ६ मेम्बरों की कमेटी है तो दिक्कत आयेगी, ईवन नम्बर में तो आपकी बात ठीक है पर आम तौर से ऑड नम्बर होते हैं तो आधा, हाफ रख देते हैं तो मोर देन हाफ ही हो जाते हैं। मुझे इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने और श्री जगदीश

(श्री अध्यक्ष)

प्रसाद माथुर ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ७० ।

डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

(मन्त्री महोदय से)

आपका भी संशोधन है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन यही है कि ५५ के स्थान पर ६५ कर दिया जावे । यह मिसप्रिन्ट हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ७० स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ७० विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ७१ ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७१ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७१ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ ७२ ।

क्लॉज़ ७२ । इस पर माननीय मंत्री महोदय का संशोधन है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो संशोधन हैं । एक तो है वह सब क्लॉज़ १ के बारे में है और दूसरा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में है कि अगर चेयरमैन और वाइस चेअरमैन इलेक्शन पीटिशन में हार जाते हैं तो पहले के काम खत्म न होने चाहिये । इसलिये यह एड किया है बाकी इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सब-क्लॉज़ १ में है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां ।

Page No 36

श्री अध्यक्ष : 'Insert 'co-option' after 'election' and...'

(एमेंडमेंट मन्त्री महोदय को दिया जाता है ।)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसमें इलेक्शन की जगह को-ओपशन रखने के लिये है ।

श्री अध्यक्ष : इसकी बजाय में नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : हमने को-ओपशन आफ्टर इलेक्शन किया है और दूसरा "whenever the majority of persons, parties to such act or proceeding, were entitled to act.'

इसको हटा दिया है । जब कोरम रहेगा तभी ही होगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप कोओपशन का एमेंडमेंट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६ में है ।

श्री श्रीभानसिंह : Are you sticking to clause 9 amendment ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसी शक्ल होगी वैसा ही रहेगा ।

श्री श्रीभानसिंह ; इसका संबन्ध तो क्लॉज़ ६ से है । क्लॉज़ ६ को जैसे माननीय मंत्री ने मूव किया उसी तरह से मूव नहीं किया और न करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप इसको एन्टीसियेट कैसे कर रहे है ।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा यह ख्याल है कि इसको क्लॉज़ ६ के साथ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : We defer this also.

क्लॉज़ ७३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला एमेन्डमेन्ट है "In sub-clause (2) substitute 'any other municipality' for 'other municipalities.'

यह लैंग्वेज़ करेक्ट करने के लिये है और दूसरे में In sub-clause (7) add towards the end the words "as if such contract were executed by him on his own behalf."

यह भी लैंग्वेज़ को करेक्ट करने के लिये है ।

श्री अध्यक्ष: डॉ० बहादुरसिंह । क्लॉज़ ७३ सब-क्लॉज़ १, In proviso, omit the words "if the value of such land exceeds five hundred rupees in the case of a city or two hundred rupees in the case of any other municipality or"

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एमेन्डमेन्ट है कि इसमें से ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिये : "if the value of such land exceeds five hundred rupees in the case of a city or two hundred rupees in the case of any other municipality or".

यह लैन्ड की वेल्यू पर किराया लगाना है

Page No 37

(डॉ० बहादुरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री जगदीशप्रशाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७३ में मेरा एमेन्डमेंट है यह जो शब्द हैं "In the case of a contract for the purchase of movable property or for the sale of any movable property belonging to a board, if the expenditure which the purchase would involve or the value of the property to be sold as estimated in the municipal accounts exceeds two thousand rupees in the case of a city and one thousand rupees in other cases the sanction of the board is required."

इसमें ये शब्द "If the expenditure" से लेकर "in other cases" तक शब्द हैं उनको हटा दिए जावें।

अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मंशा है कि जितने कॉन्ट्रेक्ट होते हैं उनको चेयरमैन अपनी मर्ज़ी से किसी कॉन्ट्रेक्टर को दे देते हैं और इससे बड़ी गड़बड़ी होती है। इसमें इतने अधिकार दिए हैं कि दो हज़ार टन तक टाउन म्युनिसिपेलिटी और एक हज़ार तक दूसरी म्युनिसिपेलिटीज़ को। बाकी के कॉन्ट्रेक्टों में सेंक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की मंशा होती है तो उस काम को टुकड़ों में करके दे दिया जावेगा। एक एक फर्लांग के टुकड़े कर दिए जावेंगे और सड़क बनाई जावेगी। अगर अलग अलग टुकड़ों में कर देते हैं तो हज़ारों में पहुँच सकते हैं। इसलिए इससे जिस टार्जेट को देना चाहते हैं वह नहीं होगा और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर अपनी मर्ज़ी से ठेका दे देगा। इसलिए यह जरूरी है कि चाहे मुर्दा मवेशियों का या सड़क बनाने का या किसी भी प्रकार का ठेका देना हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वह बोर्ड की सेंक्शन उसके लिए ली जावे। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय को तो मालूम ही होगा कि कई सदस्य लोग उनके पास जाते होंगे कि फलां ठेके में पक्षपात किया गया है और इस प्रकार की शिकायतें होती हैं वे हमारे सामने प्रत्यक्ष बोर्ड में देखने को हमेशा मिलती हैं। इस लिये बोर्ड की छाप होनी चाहिये कि इस प्रकार का ठेका दिया जा रहा है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरा संशोधन इसी प्रकार से है और इसके लागू होने से जितने ठेके होंगे उन सब में बोर्ड की सेंक्शन चेयरमैन या एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेट्री जो भी होगा वह जहां जहां पर ठेका देना है उसके लिए कार्यवाही करेगा। वह सारे टर्म बोर्ड के सामने रख देगा और बोर्ड उसको मंजूर कर लेगा। अगर ऐसा होगा तो भविष्य में इस प्रकार की शिकायत होने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यह मूव किया है कि इसको हटा दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसको नगरपालिका में होने वाली कार्यवाही की तुलना में देखा जावे तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस संशोधन की बहुत आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता माननीय मंत्री महोदय भी अनुभव करते होंगे। यह बात सही है कि यदि अधिकारी पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध किया जाता है

(श्री भैरोंसिंह)

तो उसके कारण कोई इस बात की अड़चन पैदा हो जावे कि अगर कोई काम जल्दी में करना है और उसके विषय में बोर्ड से सेंक्शन नहीं ली है तो उसको एक्ज़ीयूट करने में देरी हो सकती है। लेकिन इस देरी को जो हानि होने वाली है उसकी तुलना में देखा जावे तो इस देरी की कोई कीमत नहीं रह जाती। माननीय मन्त्री महोदय खुद इस बात को जानते हैं क्योंकि उनके पास आए दिन विभिन्न नगरपालिकाओं से उनके चेयरमैनों के खिलाफ रजिस्टर्ड लेटर व टेलीफोन और टेलीग्राम्स आते ही रहते हैं और इन्क्वायरी होती है आखिर सरकार कई दिनों के पश्चात् यह निर्णय भी ले ले कि किसी सदस्य या चेयरमैन को हटाने की बात हो तो उसे हटाती भी है। लेकिन प्रश्न एक सामने है कि जिन चीज़ों से अब तक हमने अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर यदि हमने इस प्रकार की कार्यवाही करने की इजाजत कानून में रखी है तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि व्यक्तियों या अधिकारियों के हाथ में अपनी इच्छा से इस प्रकार की कार्यवाहियां करने की छूट रही तो निश्चितरूप से दुरुपयोग होगा। रतनगढ़ नगरपालिका का अनुभव हमारे सामने है। अध्यक्ष महोदय रतनगढ़ नगरपालिका में चेयरमैन ने वहां के दरवाजे को तुड़वाया, दरवाजे के साथ साथ जो सार्वजनिक टट्टियां लगी हुई थी उनको १३७) के कॉन्ट्रैक्ट से तुड़वाया और उस दरवाजे को तुड़वाने का ५७) में ठेका दिया गया। जिस दरवाजे का पांच सौ रुपये का तो केवल मलवा ही होगा लेकिन उसका ५७) में ही ठेका दे दिया गया। मुझे खुशी है कि जनता द्वारा हड़ताल करने और कई कारणों से माननीय मन्त्रीजी ने एक्शन लिया और एक्शन लेकर उनको अपदस्थ किया और अपदस्थ करने साथ के साथ कई ऐसी बातें होती हैं कि अपदस्थ किया तो हाईकोर्ट में रिट कर दिया और जब अपदस्थ के कागज़ात हाईकोर्ट में मांगे जाते हैं तो सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि जो बिल्स थे, वाऊचर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट में की गई कार्यवाहियां थी उनके सब कागजात सेक्रेटेरियेट से गायब हो गये। अब यह कहा जाय कि सेक्रेटेरियेट से कागज़ात गायब हो गये उसका क्या हुआ यह मन्त्रीजी कहेंगे। मैंने सबसे पहले विभाग को सूचना दी सम्बन्धित कर्मचारी को बुला कर पूछें।। मेरे सामने उसने स्वीकार किया था कि फायल में कागज़ पूरे थे, इन्डेक्स फाइल का बना हुआ है और उसमें उनका उल्लेख था, जो रीज़नल इन्स्पेक्टर हैं उन्होंने सेक्रेटेरियेट में आकर कागज़ात दिये थे और उसने शिकायत भी की थी कि मैं कागज़ात सचिवालय में छोड़ कर आया था, किसी ने निकाल लिये। मैं यह नहीं कहता कि सचिवालय से कागज़ात गुम हो जाय और कोई एक्शन न ले, सरकार एक्शन ले रही होगी। लेकिन सिर्फ यह बताने का था कि इस प्रकार की कार्यवाही होती है। नागौर में इसी प्रसंग को लेकर, मन्दिर बनाने का स्थान उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़ा हुआ। हर स्थान पर ऐसा होता हो, मैं यह नहीं कहता लेकिन अनुभव यह बताता है कि चेयरमैन बहुमत के विपरित काम करते हैं। कहीं चेयरमैन करते हैं और कहीं चेयरमैन द्वारा एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को पॉवर देने से वे करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने भी ऐसी शिकायतों को महसूस किया है और मैं समझता हूं कि ऑर्डर्स इश्यू कर दिये होंगे कि चेयरमैन अपने अधिकार से जब तक गवर्नमेंट पर्मीशन न दे ज़मीन के अलॉटमेंट की कार्य-

(श्री भैरोंसिंह)

वाही नहीं कर सकता । अलाटमेंट के प्रश्न को ही रखा है ।

लेकिन बाकी के कामों में चेयरमेन बोर्ड की सेन्क्शन न लेकर काम करेगा तो यह निश्चित रूप से मानना चाहिये कि बोर्ड की इच्छा के विपरीत चेयरमेन काम करते रहेंगे इससे एक तरफ तो नगरपालिका की आय का नुकसान होगा और दूसरी तरफ पार्टीज़ परेशान होगी। यदि इस प्रकार का क्लॉज़ हटा दिया जाता है तो हर कॉन्ट्रेक्ट के बारे में, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, बोर्ड की सेन्क्शन लेनी होगी। इसी आशा से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, आशा है मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ और अभी माननीय सदस्य ने जो इतना लम्बा चौड़ा भाषण दिया, मैं समझता हूं, उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके कुछ व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं और मैं यह देखता आया हूं कि माननीय सदस्य अपने व्यक्तिगत अनुभवों से तस्वीर बना कर....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): भरतपुर का जिक्र नहीं किया है ।

श्री श्रीभानसिंह: सोचते हैं कि सारे राजस्थान में इलेक्टेड चेयरमेन हैं कान्ट्रेक्ट में घोटाला कर रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि घोटाला न करते हों । कोई चेयरमेन हो सकता है जो अपने पॉवर का दुरुपयोग करते हों। आखिर हमें यह देखना होगा कि बोर्ड का फंक्शन क्या ? क्या यह संभव हो सकता है एक बोर्ड को हमेशा कन्वीन किया जाय ? यह संभव नहीं । बोर्ड कन्वीन करता है और एक पॉलिसी ले आउट कर देता है उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए चेयरमेन और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है । फिर बोर्ड को बुलायें तो ठीक नहीं होगा । जो असेम्बली का प्रोसिज़र है वही बोर्ड का प्रोसिज़र है । वे ही लोग उसमें होते हैं । बोर्ड के मेम्बर्स को यदि किसी मामले में सूचना लेनी है तो सूचना ले सकते हैं । यदि कान्ट्रेक्ट को क्रिटिसाइज़ करना है तो रिज़ोल्यूशन के जरिये कर सकते हैं । यदि चेयरमेन पॉवर्स का दुरुपयोग करता है उन दुरुपयोगों को गवर्नमेंट के सामने ही नहीं बल्कि जनता के सामने भी ला सकते हैं । जनतन्त्रीय प्रणाली बोर्ड के सामने खुली हुई है । फिर मैं समझता नहीं कि एक तरफ आप देखिये कि जब बातचीत करते हैं तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले जनसंघ नारा लगाता है और सुझाव अनडेमोक्रेटिक देते हैं यह डेमोक्रेसी को खतरा रहेगा । डेमोक्रेसी को चलाने के लिए चुने हुए ही व्यक्ति होंगे और उनमें भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और यदि वे गलती करते हैं तो उसको सहना पड़ेगा, आगे जाकर सुधार सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि यदि जनतन्त्र को कायम रखना है तो चुने हुए व्यक्तियों में भरोसा करके चलना होगा । जो इस प्रकार की चुनी हुई इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन पर भरोसा रखना होगा । हम यह मानकर चलें कि पॉवर्स दे दें तो चेयमेन दुरुपयोग करेगा, यह आर्ग्युमेन्ट कैसे वेलिड हो सकते हैं । जितने चेयरमेन आवेंगे सब ही भ्रष्टाचारी होंगे ? कुछ हो सकता है लेकिन जिस जगह जनसंघ चुनाव

(श्री श्रीभानसिंह (

लड़ता है उसी जगह चुनाव हारता भी है। कोई न कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है। वे सीधे तरीके से तो कह नहीं सकते कि कांग्रेस की पार्टी आवेगी इसलिए दुरुपयोग होगा। यदि उनका चेयरमेन होता तो यह सुझाव उनकी ओर से नहीं आता। म्युनिसिपेलिटीज़ के चुनावों में हारते हैं तो कांग्रेस पर ब्लेम लगाते हैं। सत्य और ऑनेस्टी का ठेका उन्हीं के चेयरमेन ने ले रखा है तो दूसरी बात है। म्युनिसिपैलिटीज़ को व्यक्ति और पर्टिकुलर केसेज़ से जज नहीं करना चाहिये। राजस्थान में २००,४०० म्युनिसिपैलिटियां हैं, उनको देखना है कि किन २ चेयरमेन ने पॉवर्स का दुरुपयोग किया है ? रतनगढ़ और नागोर में ऐसा हुआ हो।

श्री भैरोंसिंह: भरतपुर की भी शिकायतें आई है।

श्री श्रीभानसिंह: भरतपुर में तो चेयरमेन से ऐसा कभी किया नहीं है। अगर भरतपुर के लिए ऐसा रुख हो तो ऐसे व्यक्तिगत और पर्टिकुलर केसेज को आउट ऑफ दी हाउस रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं लेकिन परचूनी चीज़ों को लेकर, व्यक्ति को और पर्टीकुलर केसेज को लेकर यह कहना कि यह क्लॉज डेट्रिमेन्टल है, हार्मफुल है, डेन्जरस है, पॉवर्स चेयरमेन को देंगे तो उनका दुरुपयोग होगा, जो यह ऑर्ग्यूमेन्ट, दलील देते हैं वे क्लॉज को हटाने के लिए साबित नहीं करती।

श्री शिवचरणदास (मांडल) माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ७३ में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करते हुए, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार इस उप-धारा पर प्रगट करते हुए कहा है कि एक तरफ तो जब हम डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं जनसंघ वाले उसका विरोध दूसरी प्रकार से करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर वे एक पार्टी के सदस्य होने के नाते उसका विरोध करें तो बात दूसरी है। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न आता है इसमें डेमोक्रेसी का बराबर समर्थन है। वहां जब आप केवल एक चेयरमैन को सब अधिकार दे रहे हैं उसके लिये यह संशोधन है कि उसकी इजाज़त सब सदस्यों से ली जाय यह तो ज्यादा डेमोक्रेटिक स्वरूप हुआ है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको डेमोक्रेसी के विपरीत कैसे कहा यह मैं समझ नहीं पाया। हम एक नुमायन्दा चुनते हैं जहां तक अविश्वास का प्रश्न आता है हम देखते हैं सदन में भी कई बातों को लेकर हमारा मतैक्य न होते हुए भी हम अपने विचार प्रगट करते हैं और अपनी इच्छा के अनुकूल विचार प्रगट करते जब कि सब का मत लेने का प्रावधान है। यहां यह प्रश्न नहीं कि हम अविश्वास करने जा रहे हों। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जनसंघ के लिये यह कहा कि यह केवल नारे बाज़ी लगाती है और इस प्रकार का संशोधन लाती है। जहां तक उनके विचार हैं वे अपने ढंग से रख सकते हैं लेकिन किसी पार्टी के लिये इस प्रकार के विचार प्रकट करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसलिए सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है वह उचित है अतः वह स्वीकृत होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७३ जो है मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी के डिसपोज़ आफ करने के बारे में है। जहां तक इम्मूवेबल प्रोपर्टी को डिस्पोज़ आफ करने का सवाल है किसी को कोई आपत्ति नहीं है वह बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखी हुई है। अमेन्डमेन्ट जो पेश हुआ है वह सब-क्लॉज चार में है। मूवेबल प्रपोर्टी के सेल और पर्चेज के लिये है। इसमें जो प्रोविज़न रखा गया है उसके मुताबिक दो हज़ार तक की जो पर्चेजेज़ हैं उसमें बोर्ड की स्वीकृति ली जानी चाहिये यह सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये है। और टाउन म्युनिसिपेलिटी को एक हज़ार तक पर्चेज और सेल के अधिकार दिये गये हैं। मैं समझा हूं जैसे अजमेर म्युनिसिपेलिटी है जिसका बजट २० लाख का है जयपुर म्युनिसिपेलिटी है जिसका बजट २६ लाख का है उसके चेयरमैन यदि दो हज़ार रुपये पर्चेज़ कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं तो इसका अधिकार तो होना ही चाहिये। उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो उसको बोर्ड में रखने का राइट है, कोई भी मेम्बर उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है प्रस्ताव ला सकता है। सिटी म्युनिसिपेलटी या चेयरमैन दो हज़ार की पर्चेज़ करता है या कोई सेल या कॉन्ट्रेक्ट देता है तो यह तो कोई बहुत ज्यादा राइट नहीं है जिसके मिसयूज़ की संभावना हो। इम्मूवेबल प्रोपर्टी के ज्यादा मिस यूज़ की कम्पलेन्ट सुनी हैं। लेकिन मुवेबल प्रोपर्टी के लिये बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ को जो दो हज़ार का अधिकार दिया है वह बहुत बड़ा अधिकार नहीं है अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से दुःख ज्यादा इस बात का है कि रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे अमेन्डमेन्ट का विरोध किया और उसको अनडेमोक्रेटिक बताया। जहां हमेशा वे नौकरशाही की आलोचना करते हैं जहां इस प्रकार के कोन्ट्रेक्ट के मामले में ध्यान रखना चाहिये, चेयरमैन ही केन्ट्रेक्ट नहीं करते, कि एग्ज़ीक्यूटेव ऑफिसर को ये पावर्स देते हैं। एग्ज़ीक्यूटेव ऑफिसर कोन्ट्रेक्ट कर देता है तो वैसी हालत में डेमोक्रेसी और ओटोक्रेसी कहां गायब हो जाती है। एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को दो हजार और एक हज़ार तक की पॉवर्स देते हैं, मैं उसमें यह चाहता हूं कि उसमें भी बोर्ड की सेंक्शन होनी चाहिए, यह मेरा संशोधन ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ज्यादातर मूवेबल प्रोपर्टी के बारे में ही झगड़ा खड़ा होता है। उसके वेल्यूएशन पें झगड़ा खड़ा होता है इस प्रकार के पॉवर एक आदमी के हाथ में देने से वास्तव में शंका की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं यह ठीक है किन्तु एक दफा जिसका कॉन्ट्रेक्ट हो जाता है उनके बाद में वेलिड ऑफिसर से कॉन्ट्रेक्ट हो जाता है तो वह उसके लिये सिविल कोर्ट में भी चला जायगा, उसके बाद में सदस्य कुछ भी करते रहें, उसका कुछ होता नहीं है। जो कम्पलीट काम हो गया उसको तो पूरा कॉन्ट्रेक्ट करना ही पड़ेगा। यह स्थिति एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर या चेयरमैन बोर्ड के सामने रख देता है और बोर्ड की उस पर स्वीकृति ले ली जाती है, तो किसी प्रकार की शिकायत भविष्य के लिये पैदा नहीं हो सकती, इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा

(श्री अध्यक्ष)

७३ में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संशोधन क्लॉज़ ७३ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ७३ को स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ७३ विधेयक का अंग बना।

विराम

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७४, ७५, ७६, ७७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ७४ से ७७ विधेयक के अंग बना।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय इस क्लॉज़ के अन्दर कुछ एक्सेपशन्स रख दिये गये थे, उन एक्सेपशन्स को निकाल कर इस अमेन्डमेन्ट द्वारा इसको ज्यादा रस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७८ में मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ७८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

क्लॉज़ ७९

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ७९ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

The sub-clause (1) be numbered as (1b) and a new clause as [1a] be added as follows:-

"[1a] Every sweeper or scavenger shall be treated as a permanent servant after a period of six months from the date of his appointment."

Sub clause [1] Substitute the work 'pension' for the words "one months' notice"......upon the expiry thereof."

Page No 43

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर, क्लॉज़ ७६ एक ऐसी महत्वपूर्ण धारा है, जिसे मैं सब से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। बोर्ड का जितना भी काम है और जो सब से अधिक काम है वह है सफाई का। जब बोर्ड के अधीन सफाई का काम है तो सब से अधिक नज़र सफाई का काम करने वाले कौन हैं, इस पर जायगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जिस जाति विशेष के लिये जिस वर्ग के लिये सब से अधिक बातें कही जाती थीं, वह था हरिजन वर्ग। और उस हरिजन वर्ग में भी जिन लोगों को हरिजन कहा जाता है, जिनको उठाये जाने की आवश्यकता थी वह वर्ग पीछे चला गया है। हरिजन नाम से अन्य वर्ग को उठाया जा रहा है वास्तव में जिनको उठाना चाहिये था उस वर्ग की सब से ज्यादा उपेक्षा की जा रही है। यह जो बिल आया है इस बिल द्वारा हम यह आशा करते थे कि उनकी उन्नति का प्रावधान इसमें होगा उनके आगे विकास करने का मार्ग खुलेगा। लेकिन जब इस क्लॉज़ को देखते हैं तो इस वर्ग को और नीचे डाल दिया गया है। जहां अस्पृश्यता आदि कानून बनाकर भी यह वर्ग फायदा उठा नहीं सका उनको अवसर मिला था, इस कानून द्वारा उचित संरक्षण दिलाकर वास्तव में उनका विकास हो सकेगा। क्लॉज़ ७६ जो रखी गई है उसके अन्दर भंगियों को जबरदस्ती से काम करना पड़ेगा अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनके लिये सज़ा का भी प्रावधान किया गया, उनको आजन्म यही काम करना होगा।

एक ओर हमारी सरकार कहती है कि तरीकों में सुधार करेंगे, मौका देंगे उनको, कि जो दूसरे कामों में जा सकें। दूसरी ओर इस बिल में इस प्रकार की स्पष्ट धाराएं दी जा रही है कि यदि कोई भंगी काम छोड़ता है तो उसके लिए है सजा। अगर उस क्लॉज़ को आप पढ़ें तो अधिक आपत्तिजनक मालूम होगी। वह यह है :

"(1) In the absence of a written contract to the contrary every sweeper or scavenger employed by the board shall be entitled to one month's notice before discharge or to one month's wages in lieu thereof unless he is discharged for misconduct or having been engaged for a specified term, is discharged upon the expiry thereof." दूसरा क्लॉज़ है :

"(2) Should any sweeper or scavenger employed by the board, in the absence of a written contract authorising him to do so and without reasonable cause, resign his employment or absent himself from his duties without giving one month's notice to the board or neglect or refuse to perform his duties or any of them, he shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty rupees or to imprisonment of either description which may extend to one month."

यह जो धारा दी है इसके अनुसार कोई भंगी स्तीफा नहीं दे सकता। यदि कोई किसी के घर में बुहारी नहीं लगाता, धन्धा छोड़ना चाहता है, मकान मालिक से झगड़ा हो गया, रुपया अधिक लेना चाहता है, धन्धा छोड़ने के नाते भी बुहारी नहीं निकालता है, तो उस पर भी जुर्माना होगा। यहां तक शब्द दिया

Page No 44

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है रिजाइन करना चाहे, तो रेजिग्नेशन देने के बाद में भी स्पष्ट है वह ऐक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि यह कहेंगे कि धन्धा नहीं करोगे तो मुकद्दमा चलेगा तुम्हारे पर। पचास रुपया जुर्माना होगा, एक महीने की सजा होगी। फिर मजबूर किया जावेगा कि काम फिर करो। बोर्ड अगर खुद चाहे तो, उसने छूट दी गई है कि वह उसको निकाल दे, चाहे कितना ही पुराना काम करने वाला हो, बीस वर्ष पुराना हो या पन्द्रह वर्ष पुराना, बोर्ड उसको निकाल सकता है, बोर्ड को जरूर छूट है, पर काम करने वाला खुद नहीं छूट सकता, खुद स्तीफा नहीं दे सकता, अगर दे तो उसको सजा, पर बोर्ड अगर छोड़ दे तो उसको कोई सजा नहीं। इसलिये नहीं कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेनीटरी ऑफिसर की मर्जी पर सारा धन्धा छोड़ा हुआ है। सीकर की बात बताऊं। बनारसी नाम की भंगिन है वहां। उसका झगड़ा हुआ सेनीटरी ऑफिसर के साथ। उसे निकाल दिया गया नौकरी से। कई जगह कई बार दरख्वास्त आई बोर्ड में और यहां भी। पर सेनीटरी ऑफिसर प्रभावशाली है। जाति विशेष का होने के कारण आठ सात सदस्यों को साथ रखता है। दो बार बोर्ड में उसका सवाल आया, आठ सात मेम्बर उसके साथ होने से सवाल बोर्ड में गिर गया। पहले के डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज़ हरिसिंहजी सीकर आये। उनके सामने भंगिन उपस्थित हुई और उनको कागज़ बताये। उन्होंने लिखा कि यह इतना बड़ा अपराध नहीं है। एक दिन या दो दिन एब्सेन्ट हो गई तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। इस वर्ग का स्तर क्या है हम जानते हैं। हम शिक्षित नौकरों से भी इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते तो इस वर्ग से अपेक्षा कैसे की जा सकती है। डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ ने उसको लिखकर दे दिया, पर बोर्ड ने नहीं रक्खा क्योंकि हमने अधिकार दे रक्खा है कि वह चाहे तो पन्द्रह बीस वर्ष के आदमी को भी निकाल दे। हम महात्मा गांधी के नाम से हरिजन दिवस मनाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है ये लोग साल में एक बार हरिजन मोहल्लों में अवश्य जावेंगे, पर जाते हैं केवल इसलिये कि गांधीजी ने भी हरिजन बस्ती में झोंपड़ी बनाई थी, जाते हैं जरूर पर व्यवहार कैसा करते हैं। हम इस कानून के द्वारा उनकी गरदन पर हमेशा के लिये छुरी लटकाना चाहते हैं। उनकी तनख्वाह देखें तो ३०) रुपया होती है या जयपुर जैसा शहर हुआ तो अधिक से अधिक ३५)। पर उनका काम अगर आप देखें और जयपुर की गलियों को जिस तरह से वे साफ करते हैं तो वास्तव में घृणा होने लगेगी। इतना इतना कीचड़ का ढेर कि भंगी को खुद को कमर कमर तक उसमें घुसकर निकलना पड़ता है और फिर लाकर गाड़ियों में डालना पड़ता है। निकृष्ट काम आप उनसे करवाते हैं। हमारे समाज में जब इस वर्ग की स्थापना हुई थी, तो इस वर्ग को अछूत गिना गया पर इस काम की महत्ता हमारे पूर्वजों ने इतनी अधिक समझी कि या तो राजा के राणी होती है या फिर मेहतर की मेहतराणी होती है।

(हंसी)

या तो राजा की राणी या मेहतराणी। इतना श्रेष्ठ पद उनको दिया गया और अपने घरों में भी हम कहा करते थे, बड़ी बूढ़ी भंगिन अगर घर में आ जाती थी तो चाची

Page No 45

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दादी इस प्रकार कहकर पुकारा करते थे। पर हमारी सरकार ने उनके साथ इतना कठोर कानून ही नहीं बनाया पर उनको आधुनिक साधन भी नहीं दिये। कहने को कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से काम कराते हैं। पर उनको जो साधन दिये जाते हैं वे निकृष्ट से भी निकृष्ट होते हैं, साधन देते ही बहुत कम हैं। अगर उन साधनों से कोई ठीक सफाई की उम्मीद करे तो माननीय मंत्री महोदय स्वयं एक बार सफाई उन साधनों से करके देखें। उन्हें जिन्दगी भर का आनन्द आ जावेगा। मुझे विश्वेश्वरजी के रास्ते में रहना पड़ता है, और इसलिये उन गलियों में जाना पड़ता है इसलिये मालूम है कि वे कैसे काम करते हैं। कमर तक गंदगी में डूबे रहते हैं और हाथ से गन्दगी उठाकर डालते हैं।

तो आप इस प्रकार के साधन भी उपलब्ध नहीं कराते। जहां उनकी नौकरी का सवाल आता है उनकी तनखा नहीं बढ़ाते, वर्दी नहीं देते पर्मानेन्ट नौकरी की गारन्टी नहीं देते। इसके बाद यह भी अधिकार आप उनको नहीं देते कि वह अपनी मर्जी से छोड़ना चाहे तो यह काम छोड़ दे। अपनी मर्जी से वह छोड़ भी नहीं सकता। हम महात्मा गांधी के चेले हैं इसलिये क्या करेंगे कि अगर वह जिद्द करेगा छोड़ने के लिये तो उसको सज़ा देंगे, एक महीने की सज़ा देंगे, जुर्माना करेंगे और फिर भी नहीं जाने देंगे। तो यह सब करना होगा अगर आपकी सहानुभूति इस वर्ग के साथ है तो। उसको नवीनतम साधन दे देने होंगे, सारी सहूलियतें देनी होंगी और यह भी अधिकार देना होगा कि अगर उसकी मर्जी काम करने की नहीं है, तो वह छोड़ सकता है, जैसे कोई भी आदमी सरकारी नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी की भी सर्विस छोड़ सकता है। सेनीटरी आॅफिसर एग्ज़ीक्यूटिव आॅफिसर वगैरह जो मनमाना व्यवहार करते हैं उसको रोकना होगा। वे उसकी मर्जी के माफिक हाज़िरी कर देते हैं, तीन तीन दिन तक एब्सेन्ट लगा देते हैं, जब चाहें तब किसी को भी काम पर नहीं आने को कह देते हैं, इसकी कहीं दाद फरियाद नहीं। उसका स्तीफा लिखवा लिया जाता है, छुट्टी की दरख्वास्त नहीं ली जाती। इस प्रकार की काफी कार्यवाहियां मुझे सीकर में देखने को मिली हैं। मैंने सुना है हरिजन कल्याण विभाग बराबर सर्कुलर भेजते हैं। पर हमारा विभाग इस काम के लिए सुस्त है। हमारा डाइरेक्टर का हरिजन कल्याण विभाग की ओर ध्यान नहीं जाता है इन बातों की ओर तो अब जब तक कानून नहीं बनाते, आप इस तरह का डिग्निटी आॅफ लेबर का नारा लगाते हैं, आप केवल इस नारे से इसे नहीं प्राप्त कर सकते। एक तरफ आप सैंक्टटी आॅफ लेबर का नारा लगाते हैं, उसको अब न लगायें और फिर भी अगर आप सैंक्टटी आॅफ लेबर का नारा लगाते हैं तो इस वर्ग को मजबूर न करें, कि तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते, इसलिए नहीं छोड़ सकते कि तुम्हें इसे करना पड़ेगा और तुम्हारी पीढ़ियों ने भी किया है। अगर नहीं करोगे तो फिर सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस धारा को सुधारें और अगर इस धारा को नहीं सुधारा गया तो आप इस वर्ग का उद्धार नहीं कर सकेंगे और सफाई की ठीक व्यवस्था नहीं कर सकेंगे।

Page No 46

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह.

१ म० प०

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्लॉज़ ९६ के तीनों सब क्लॉज़ों में संशोधन हैं :

1. Substitute the word 'three' for the word 'one' occuring twice in sub-clause (1).

2. In sub-clause (2), substitute the words 'Ten days notice' for the words 'one months notice'; and substitute the word 'five' for 'fifty' ; and delete the words 'or to imprisonment of either description which may extend to one month'.

3. In sub-clause (3), delete the sub-clause (3).

माननीय अध्यक्ष, इस धारा को न तो मैं न्यायोचित ही मानता हूँ और न मानवोचित ही मानता हूं । यह उस वर्ग के साथ अन्याय है । मुझे इस बात का ताज्जुब है कि इस धारा को किस प्रकार से किस हिम्मत से माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया और यह यहां रही । मैं चाहता था कि इस पूरी धारा को ही उठा दिया जाये और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति को आप पर्मानेन्ट तक नहीं करना चाहते हैं और जो व्यक्ति सिर्फ अधिकारियों के रहम पर जिन्दा रहें, जो कि उन पर शासन करते हैं, और वह वर्ग जो कि बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है, और खास तौर से वह इतनी जबरदस्त सेवा करता है जो सेवा हमारी सिर्फ मां ही कर सकती है, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता । उस पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार की धारा आप बनाते हैं कि इस प्रकार की धारा जो कि कोई भी व्यक्ति सम्भवत: बर्दाश्त नहीं करेगा । जैसे अगर उसको नोटिस देना है, और नोटिस दिया जायेगा कि क्योंकि उसका आचरण ठीक नहीं है, और आचरण इसलिए ठीक नहीं है कि वह सेक्रेटरी की या उस चेयरमैन की या उस जमीदार की सेवा ठीक तरह से नहीं कर सकता या सेक्रेटरी के लिए अच्छी तरह से जो सेवा वह चाहता है वह नहीं कर सकता या चेयरमैन की अरदली ठीक तरह से नहीं करता तो उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया जाये, कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है या तुम सफाई ठीक तरह से नहीं करते, इस प्रकार के आरोप लगाकर उसे हटाया जा सकता है । माननीय अध्यक्ष यह आपको मानना होगा कि एक आदमी जब सफाई करता है, और उसके बाद में जब दूसरा आदमी सफाई करता है तो थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता ही है, और यह स्वाभाविक भी है । इसलिए आचरण की चीज़ लगा देना ठीक नहीं है । एक तो आप तनख़्वाह बहुत कम देते हैं, बड़ी नॉमीनल सी तनख़्वाह देते हैं और उसको एक महीने की तनख़्वाह देने के बाद, सिवाय इसके कि वह सफाई का काम करे, म्युनिसिपैलिटी के पास दूसरा रोज़गार नहीं है । इनके पास कोई भूमि नहीं है, कोई व्यापार नहीं है कि वह कर सके यदि आप उसको निकाल देते हैं । क्योंकि हम देखते हैं कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले तो चौकीदारी का काम मिल सकता है, और वह भी उपलब्ध नहीं होता । इसलिए यह कह देना कि एक महीने की तनख़्वाह देते हैं, या एक महीने का नोटिस दे दिया जायेगा

Page No 47

(डॉ० बहादुरसिंह)

और उसको हटा देंगे तो इससे बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। मैंने अपने यहां की म्युनिसिपैलिटी में देखा है । वहां के जब हरिजन मेरे पास आते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं तो बड़ी गम्भीर समस्या पैदा होती है। जिस समय एक सेक्रेटरी अपने नशे में झूमता हुआ भंगी के यहां जाता है, और कहता है कि तू शराब ला और अगर वह नहीं लाता है या उससे किसी तरह का विवाद हो गया तो दूसरे दिन ही उस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुने पिंजरापोल में जाकर जमादार से झगड़ा किया था, इसलिए तुमको नौकरी से अलग कर दिया गया है । सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एक ही तरह के लोग हैं। वह हरिजनों की नही सुन सकते। आज उनको सस्पेन्ड किया जाता है, और दूसरा व्यक्ति फौरन ही उसके स्थान पर नियुक्त कर लिया जाता है, न उसको तनख्वाह दी जाती है । जिस समय ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो बड़ी विचित्र समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। अगर इस तरह उसको निकालना ही है तो कम से कम तीन महीने की व्यवस्था आप कीजिए कि आप उसे ३ महीने का नोटिस दें। आचरण के लिए उनको कहा जाये कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, और फिर उनको ३ महीने का नोटिस दें। अगर कोई गम्भीर बात है तो ३ महीने का वेतन दीजिए यदि वह नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वह इस काम को नहीं करना चाहता क्योंकि वह पसन्द नहीं करता, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अब इस मामले में थोड़ा वातावरण बदलना पड़ेगा कि हम सफाई के लिए हरिजनों को ही नियुक्त क्यों करें। यह ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ग विशेष के लिए इसमें मोनोपोलाइज़ कर दें। आप दूसरे लोगों को भी आह्वान करें। यह लाज़िमी नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति ही सफाई करे, और आपको एक महीने का नोटिस नौकरी छोड़ने के पहले दे वह आपको १० दिन का नोटिस दे सकता है और उसके बाद में वह दूसरी जगह जाकर नौकरी कर सकता है । यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जो आपका सेक्रेटरी है, चैयरमैन है या जमादार है उनका हरिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। आप उनके टच में जायें और जो लोग उनके साथ वर्क करते हैं, वे जानते हैं कि हरिजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार यह लोग करते हैं। इनके लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर वह नौकरी छोड़ना चाहें तो दस दिन का नोटिस देकर छोड़ सकता है। अगर किसी कार्य विशेष से वह तनख्वाह नहीं दें तो उस पर सिर्फ ५ रुपये का जुर्माना किया जाये। लेकिन कैद का दण्ड देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इससे आपका तात्पर्य यह मालूम होता है कि अगर हरिजन अपना संगठन बना करके कोई यूनियन बनाते हैं और किसी प्रकार की डिमाण्ड रखते हैं और उस डिमाण्ड को आप अपने हथियारों से ठुकरा देंगे और उन पर पचास रुपया जुर्माना आप कर देंगे कि अगर तुमने डिमाण्ड रखी तो जुर्माना कर दिया जायेगा. तो यह दण्डों की व्यवस्था तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए। अगर आप जुर्माना ही करते हैं तो ५ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उनको अधिकार मिलना चाहिए, कि वह अपनी हड़ताल भी कर सकें और अपनी पूरी मांग भी कर सकें। अगर आप उनकी हड़तालों को फेस नहीं कर सकते तो आप इस

(डॉ० बहादुर.सं६)

प्रकार का प्रोवीज़न क्यों रखते हैं।

तीसरा संशोधन मेरा, आवश्यक सेवा घोषित किये जाने पर है। मैं इस बात का घोर विरोधी हूँ कि हरिजनों के कार्यों को राज्य सरकार एक आवश्यक सेवा घोषित करें। गवर्नमेंट को यह अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है कि हरिजनों के अधिकारों पर इस प्रकार से कुटाराघात करें। मैं तो इसको बिल्कुल तानाशाही मानता हूं। जब आप दूसरी सेवाओं के लिए ऐसा नहीं करते कि आप नौकरी से अलग कर सके या जुर्माना कर सकें। आप उनको पर्मानेन्ट नहीं करना चाहते, आप उन पर जुर्माना करना चाहते हैं, कम तनख्वाह उनको देते हैं, आप उनको एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से अलग करना चाहते हैं यह मानवोचित व्यवहार नहीं हैं। यहां जितने भी सदस्य हैं सब महसूस करेंगे कि हरिजनों की जो मांग है और जो सुरक्षा की गारन्टी है वह इस धारा में बिल्कुल नहीं है। भविष्य में जिस समय यह समस्या सामने आयेगी तो यह गम्भीर समस्या उत्पन्न करेगा और एक भंगी जो कि हमारी सेवा कर रहा है उसकी सुरक्षा करने के बजाय आप उल्टे उसको जंजीरों में जकड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें संशोधन करेंगे। आप यह नहीं सोचें कि आपके जयपुर में हड़ताल हो जाये या और दूसरे बड़े शहरों में परेशानी हो जाये। आप ऐसा मत करिये कि हरिजनों की सेवाओं को सार्वजनिक सेवा घोषित करें जिससे आपको हड़तालों की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैं अपने संशोधन पेश करता हुआ माननीय मंत्रीजी से मानवता के नाते निवेदन करूंगा कि हरिजनों की ओर देखते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं, मेरा एमेंडमेंट मूव करता हूं which has been circulated in the notice of cutmotions :

"The clause 79 may be replaced by the new clause." Substitute the clause by the following :-

79. Punishment for municipal Officers and other employees-

(1) Every municipal Officer or other municipal employee shall be liable to have his increments or promotion withheld or to be censured, reduced in rank, compulsorily retired, removed or dismissed for any breach of any departmental regulations or of discipline or for carelessness unfitness, neglect of duty or other misconduct by such authority as may be prescribed by regulations :

Provided that no such officer or other employee as aforesaid shall be reduced in rank, compulsorily retired, removed or dismissed by any authority sub-ordinate to that by which he was appointed :.

Provided further that the State Government may by regulations provide that municipal employees belonging to such classes or categories as may be specified in the regulation shall be liabl also to be fined by such authority as may be specified therein.

Page No 49

(श्री पी० के० चौधरी)

(2) No such officer or other employee shall be punished under sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be tekan in regard to him :

Provided that this sub-section shall not apply where an officer or other employee is removed or dismissed on the ground of conduct which had led to his convinction on a criminal charge

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ के प्रोविज़न में जाने से पहले में एक बात की तरफ आपका ध्यान और आपके ज़रिये माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि जब कोई एनेक्टमेंट हम लाते हैं, कोई लेजिस्लेशन हम करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि उस एनेक्टमेंट के लिए या उस लेजिस्लेशन के लिए क्या जरूरत पैदा हुई है सोसाइटी में, समाज में जिससे कि ऐसा एनेक्टमेंट लाना पड़ा हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि ऐसा एक समाज है जहां कि कोई चोरी नहीं होती है, तो उस समाज में या उस समाज की जो गवर्नमेंट है उसके दिमाग में यह बात नहीं आती है कि चोरी करना गुनाह है Stealing is a crime. और ऐसा एनेक्टमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ इस तरह से मान लीलिये कि ऐसा कोई समाज है जहां कोई मर्डर्स नहीं हुए हैं तो वहां की सरकार को ऐसे लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ती है that if you murder anybody you will be hanged to death .

तो हम लेजिस्लेशन लाते है, एनेक्टमेंट करते है तो सबसे पहले इट इज़ प्रिसपोज्ड कि जिन कन्डीशन्स को कन्ट्रोल करने के लिये जिन कन्डीशन्स के लिये कोड आफ कन्डक्ट हम समाज के लिये ले डाउन करना चाहते है it is pre-supposed. जब तक वे कन्डीशन्स प्रीएग्जिस्ट नहीं करती हैं, तब तक इमेजिनरी सिच्युएशन के लिए, कोई एक हाईपोथेटिकल सिचुएसन के लिए हम लेजिस्लेशन नहीं लाते हैं। तो यह जो लेजिस्लेशन का एक फन्डामेण्टल प्रिन्सीपल है यानि कि जो एक प्रैक्टिकल प्रिन्सीपल है जिस के ऊपर सारी दुनियां के लेजिस्लेशन एनेक्ट किये जाते हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो प्रोविजन्स इसमें हमने रखा है इन प्रोवीजन को लाने के लिए इन प्रोविजन्स को एनेक्टमेंट करने के लिए क्या आज हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको फेस करने के लिए यह लेजिस्लेशन जरूरी है। मैं कहता हूँ कि ऐसे कडीशन्स प्रीएजिस्ट नहीं करती है, और जब ऐसी कन्डीशन्स प्रीयजिस्ट नहीं करती है तो यह लेजिस्लेशन माननीय मंत्री महोदय क्यों लाते हैं ? इस लेजिस्लेशन का जो क्लॉज़ है उसको जब आप पढ़ेंगें तो आपको यह महसूस होगा कि वह बड़ा इन्नोसेन्ट क्लाज़ है। क्लॉज़ ऐसा इन्नोसेन्ट है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ कर चला जाय बगैर नोटिस के तो उनको सजा दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, फाइन कर सकते है, सब कुछ कर सकते है। बड़ा इन्नोसेन्ट है कि बगैर नोटिस के चला जाता है, बिना कारण से इस्तिफा

श्री पी० के० चौधरी)

देता है, तो पब्लिक युटिलिटी सर्विस में ऐसा होना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह एनेक्टमेंट बड़ा इन्नोसेन्ट नहीं है Those conditions prexist.

उसका एक अल्टीरियर मोटिव है। उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका इटेन्शन इस लेजिस्लेशन का जो क्लाज है उसकी तरफ मैं माइन्यूटली ले जाना चाहता हूं। उसकी सब क्लॉज़ (१) को पढ़ें It has got some deeper intentions. उसमें क्या कहा गया है ? उसमें कहा गया है It is, I have got no objection against it, "In the absence of a written contract to the contrary every sweeper or scavanger employed by the Board shall be entitled to one months, notice before discharge or to one month's wages in lieu thereof unless he is discharged for misconduct or, having been engaged for a specified term, is discharged upon the expiry thereof." इसमें किसी सदस्य का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा भी कोई आब्जेक्शन नहीं है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो क्लाज़ है उसको इस एक्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो सर्विस रूल्स है म्युनिसिपेलिटीज के उनमें इसका प्रोवीजन है कि आपकी म्युनिसिपेलिटी को किसी नौकर को हटना है तो नोटिस देना पड़ता है। आज हमारे यहां इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के कुछ कनवेन्शन्स है, कुछ रिकमन्डेशन्स हैं जिनको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के एक्सेप्ट करने के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। वे जो कन्वेशन्स है वे यह है कि किसी भी गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अधिकारी है, उसको नौकरी से बगैर एक माह की तनख्वाह दिये निकालेंगे नहीं। इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। वह सर्विस रूल में है। इस बिल में इसका प्रोवीजन करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसका वहां प्रोवीजन करने की जरूरत इसलिए है कि आप सदन के सदस्यों की आंखों के सामने धूल झोंकना चाहते है। इसको देखकर वे कहें कि स्टेटगवर्नमेंट ने एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन कर दिया है माननीय मन्त्री महोदय ने कि बगैर नोटिस दिये या बगैर तनख्वा दिये नहीं निकालेगें।

It is superfluous.

वाइटल क्लॉज जो है वह पार्ट (२) है : "Should any sweeper or scavenger employed by the Board in the absence of a written contract authorising him to do so and without reasonable cause, resign his employment or absent himself from his duties without giving one months'notice to the board or neglect or refuse to perform his duties or any of them, he shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty rupees or to imprisonment of either description which may extend to one month."

इसमें इम्प्लाइड किया जाता है कि कोई एम्प्लाई बगैर कारण के इस्तिफा दे देता है, काम बराबर नहीं करता है, ड्यूटी नेग्लेक्ट करता है तो उसका कन्विक्शन हो सकता है। उसको ६ महीने की सज़ा हो सकती है that means they will prosecute them in the court...

Page No 51

(श्री पी० के० चौधरी)

अब सवाल यह आता है कि क्या एक क्लॉज़ इस एक्ट में किसी इन्डिविजुअल म्युनिसिपल एम्प्लाई के लिए जरूरी है ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि आज तक कि वे एक भी मिसाल बतादें कि जहां in a large number municipal employees have refused to work or municipal employees have resigned.

अध्यक्ष महोदय, यह जो हरिजन कर्मचारी हैं वे कोई बाहर से नहीं आते हैं। they are mostly local residents.

वहीं उनका जन्म हुआ है, और बचपन से काम किया है, और हमेशा वहां काम करते हैं। आज हमारे समाज में अनएम्लॉयमेंट इतना है, कि उनको म्युनिसिपेलिटी की नौकरी मिलने के बाद वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं जो प्रिएक्ज़िस्टेन्स और कन्डीशन्स की बात कहना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं कि जिनसे ऐसा मालूम होता है कि कम से कम १०, १५ या २० पर्सेन्ट म्युनिसिपल एम्प्लॉज़ बगेर कारण के इस्तिफा देकर चले जाते हैं काम करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं इन्डिविजुअल बेसिस पर। मैं सरकार को चेलेन्ज देता हूं कि ऐसा उनके पास में एक भी इन्स्टान्स नहीं है कि that they are forced to take some penal action against any individual municipal employee.

आज ऐसा कोई इन्स्टान्स नहीं है। म्युनिसिपल एम्प्लॉईज़ को नौकरी नहीं मिलती है। बेकार रहते हैं और नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। आज कोई भी इन्डिविजुअल इस ढंग से ड्यूटी नेग्लेक्ट नहीं करता है। एक इन्डिविजुअल मान लीजिये कि ड्युटी नेग्लेक्ट करता है या कोई विशेष व्यक्ति ड्यूटी से रिफ्यूज़ करता है, तो क्या उसके लिए इस तरह से प्रोसीक्यूट करने का एक पेनल क्लॉज लाने की जरूरत है ? आपके नॉर्मल सर्विस रूल्स हैं, आपके डिसिप्लिनेरी अपील रूल्स है। अगर ड्यूटी नहीं करता है तो सस्पेन्ड करने का प्रोवीजन है। उसको एक महीने का नोटिस देकर या एक महीने की तनख्वाह देकर नौकरी से निकाल सकते हैं। सारे के सारे प्रोविज़न्स एग्जिस्टिंग सर्विस रूल्स में हैं, म्युनिसिपल रूल्स में हैं, उसमें सारे के सारे रूल्स हैं। कोई एक एम्प्लाई काम नहीं करता है, कोई एक एम्प्लाई काम से रिफ्यूज़ करता है, कोई एक एम्प्लॉई बगैर कारण से इस्तिफा देता है, उस इन्डिविजुअल केसेज़ को टेकल करने के लिए सफिशियन्ट पॉवर्स, प्रोविज़न्स, रूल्स, रेग्युलेशन्स, आपके पास मौजूद है। तो आप कहेंगे कि इन्डिविज्युअल केसेज को टैकल करने के लिये लिया गया है लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। यह गलत बात है, झूठी बात है आप उसके लिए नहीं लाये हैं बल्कि आप कलेक्टिव केसेज़ को टेकल करने के लिये लाये हैं इन्डिविज्युअल केसेज़ के नाम से। इस तरह का रिट्रोग्रेड प्रोविज़न लाये हैं इसकी मिसाल हमारे सामने है, एक नहीं कई मिसाल हैं, उनमें से मैं एक मिसाल आपके सामने दूंगा कि यह कलेक्टिव एक्शन के लिए लाये हैं, इन्डिविज्युअल के लिए नहीं लाये हैं। यदि ऐसी बात है तो मंत्रीजी ओन ओथ कहदें कि यह कलेक्टिव के लिये नहीं है। They will take collective action on individual basis.

(श्री पी० के० चौधरी)

जैसा मैंने कहा हमको बतायें स्टेटिक्स मे कि म्युनिसिपल एम्प्लॉईज में से इन्डिविज्युअली इतने लोगों ने स्तीफा दे दिया, या इन्डिविज्युअली इतने लोग ने रिफ्यूज़ दे दिया है और इतना मेगनिट्यूड हो गया है, और सारी की सारी म्युनिसिपेलिटीज़ का काम ठीक हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज म्युनिसिपेलिटीज़ से भी इम्पोर्टेन्ट सर्विसेज़ हैं पॉवर हाउसेज़ की, वाटर वर्क्स की और रेल्वेज की। रेल्वेज में जहां १० लाख आदमी काम करते है, वे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हैं। इनमें या आपकी ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री में कहीं भी इस तरह का स्टेचुटरी प्रोविज़न नहीं है। वहां के एम्प्लॉइज़ के लिये सर्विस रूल्स हैं, जैसे दूसरे गवर्नमेन्ट एम्प्लॉईज़ के लिए हैं। आप आर्ग्यूमेन्ट दे सकते हैं कि यह पब्लिक युटिलिटी की सर्विस है इसलिए ऐसी चीज की है लेकिन मैं कहता हूं कि आपकी पब्लिक युटिलिटी की सर्विस से एसेन्शियल सर्विसेज़ और Essential services are much more important. They are much more stricter.

इसमें म्युनिसिपेलिटी नहीं आती है। उसमें वाटर वर्क्स, पॉवर हाउसेज़, रेलवेज़ आती हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉईज़ को टैकल करने के लिये, उनके इन्डिविज्युअल एक्शन को कंट्रोल करने के लिये कोई स्टेचुटरी प्रोविज़न नहीं है। सर्विस रूल्स में प्रोविज़न है। कोई इन्डिविज्युअल बराबर काम नहीं करता है तो उसको घर पर बैठा सकते है। लेकिन आज हमारे देश में इतनी बेकारी है कि इस तरह का डिसमिसल या सस्पेन्शन कोई आदमी नहीं करता है।

It is not a social characteristic of that particular section of the employee.

यहां लेजिस्लेशन आप किस पर्टिकुलर एक्शन को कंट्रोल करने के लिये लाते हैं। तब लाते हैं When it is turning towards the social characteristic or the common characteristic or a common career of that particular section of the people,

तब जाकर लेजिस्लेशन लाते हैं। इससे पहले इन्डिविज्युअल एक्शन को कन्ट्रोल करने के लिये कोई स्पोरडिक एक्शन्स हैं उनको कन्ट्रोल करने के लिये इस तरह का स्टेचुटरी प्रोविज़न नहीं लाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोविज़न लाये हैं उसका एप्लीकेशन कहां होगा यह मैं बतलाना चाहता हूं। इसका एप्लीकेशन तब होगा जब कि म्युनिसिपल एम्पलॉइज़ अपनी डिमान्ड के लिये नोटिस देंगे या सर्विस कंडीशन में इम्प्रूवमेन्ट करने के लिये डिस्प्यूट पैदा करेंगे तब उनको टैकल करने के लिये यह प्रोविजन है और जब उनको टेकल करने के लिये प्रोविज़न लाते है तो अध्यक्ष महोदय, इसका जो कलेक्टिव एक्शन है जो स्ट्राइक नोटिस देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, उसको टेकल करने के लिये प्रोविजन रखना है तो उसको यहां रखने की जरूरत नहीं है उसके लिये इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हैं, उसमें सफिशियेन्ट प्रोविजन है। मैं आपका ध्यान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रिलेवेन्ट पोरशन की तरफ आकर्षित करता हूं। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर लिखा हुआ है :

"No person employed in a public utility service shall go on strike in

(श्री पी० के० चौधरी)

breach of contract without giving to the employer notice of strike," If he acts then he suffers the consequences.. अब जो जाएगा उसको पेनल्टी का कलाज़ इसमें है :

"Any workman who commences, continues or otherwise acts in furtherance, of a strike which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extent to fifty rupees or with both." यहां जो कलेक्टिव एक्शन उसका होता है उसको कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिये ऑलरेडी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है । उसमें गवर्नमेन्ट के लिये भी कुछ दिया है :

"Where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time by order in writing refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof;, refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for enquiry or, गवर्नमेन्ट की भी डयूटी दी हुई है । गवर्नमेन्ट अपनी ड्यूटी परफोर्म करेगी तो ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी । गवर्नमेन्ट की ड्यूटी इस प्रकार है :

"Provided that where the dispute relates to a public utility service and a notice under sec. 22 has been given the appropriate Government shall, unless it considers that the notice has been frivolously or vaxatiously given or that it would be inexpedient so to do, make a reference under this sub sec. यही गवर्नमेन्ट ने जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट में कुछ रखा है । जो कभी पब्लिक युटिलिटी की सर्विसेज स्ट्राइक नोटिस देती है तो: they must refer it to the Industrial Tribunal.

अध्यक्ष महोदय, यहां पर ऐसा नहीं होता है । यहां पर क्या होता है इसके लिये मैं आपको मिसाल दूंगा अजमेर की । अजमेर के म्युनिसिपल एम्प्लाइज़ ने स्ट्राइक किया कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने उन एम्पलॉइज़ के लिये जो लेस देन ५० पाने वाले थे ५ रुपये बढ़ाने का ऑर्डर दिया । इन ५ रुपयों में से टू थर्ड गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता और १।३ उनको देना था, and the State Government has to provide the rest. यह ५ रुपये की तनख्वाह की बढ़ोतरी जब उनको म्युनिसिपेलिटी ने नहीं दी तो उसके ऊपर अजमेर के म्युनिसिपल एम्पलॉइज़ ने उनको नोटिस दिया । प्रोविज़न यह है, म्युनिसिपल एम्पलॉइज़ अजमेर के लिये नियम ऐसे हैं कि उनको १॥ महीने का नोटिस देना चाहिये । उन्होंने डेढ़ महीने का नोटिस दिया । उस पर उनको ५ रुपये नहीं दिये तो इस पर उन्होंने एक तार दिया कि हमारे ५ रु० बढ़ा दीजिये नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, और उन्होंने हड़ताल करदी । मैंने भी इस बारे में निगोशियेट किया था, मंत्रियों से बात की थी और उनसे कहा था कि क्यों नहीं जब कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविज़न है तो Why don't you refer it to the Industrial Tribunal. Employees are going

(श्री पी० के० चौधरी)

on strike. लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो जिस दिन उनका तार आया है उस दिन को नोटिस मानेंगे and so they declared the strike as illegal. क्योंकि उन्होंने म्युनिसिपल एक्ट में डेढ़ महीने का प्रोविज़न रखा था और पहला नोटिस डेढ़ महीने पहले उन्होंने दे दिया था और उसके बाद तार दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि यह इल्लीगल है इसलिये हम रेफर नहीं करते और रेफर नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि वहां के सारे म्युनिसिपल एम्पलाइज़ ने स्ट्राइक करदी और उनकी सिम्पेथी में दूसरे नोन म्युनिसिपल भंगी थे उन्होंने भी स्ट्राइक की। इसको भंग करने के लिये सरकार ने २० हज़ार रुपये म्युनिसिपेलिटी को और दिये और म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन को ऑनररी मजिस्ट्रेट के पॉवर दिये और कहा कि चाहे जिसको पकड़ो और जेल में डालो The Municipal Chairman was one of the part one of the disputants. उनको पॉवर दिया उनको पकड़ने का और हैरेस करने का और उसके बाद भी स्ट्राइक कंटिन्यू रही for more than one month उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई।

१.३० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके बाद म्युनिसिपल एम्पलॉइज़ ने हंगर स्ट्राइक किया इस सदन के सामने और आप लोगों को सुन कर ताज्जुब होगा कि यहां से उठा कर जेल में डाल दिया गया हंगर स्ट्राइक करने के लिए। ऐसी मिसाल ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, जिसको ब्रिटिश इम्पीरियलिस्टिक कहते हैं, मैं नहीं देखी कि हंगर स्ट्राइक के शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया हो।

No body was convictd. They were forced feeded. जिन्होंने सत्याग्रह किया, उनको ट्राई किया, अन्डर दी सुसाइड एक्ट के वे आत्म हत्या करने जा रहे थे they were convicted under the Sucide Act. उनको सज़ा दी...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं एतराज़ करता हूं इसका सम्बन्ध क्या है इस क्लॉज़ से। They could have approached the court of law. इर्रेलेवेन्ट बात करके इस म्युनिसिपेलिटीज़ बिल पर बहस करना वेस्टेज़ ऑफ टाइम है...

श्री पी० के० चौधरी : It is not the wastage of time.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They should go in appeal if they feel. मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी है तो इस क्लॉज़ से क्या सम्बन्ध है। मैं इस पर ऑब्जेक्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it an issue Pertaining to the question ?

श्री पी० के० चौधरी : I am describing the instance. आज यह पोज़ीशन है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजिस्ट्रेट की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : The instance has got

(श्री उपाध्यक्ष)

any relevancy here ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं एक इन्सीडेन्ट नोट कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : But has it got any relevancy here ?

श्री पी० के० चौधरी : I am describing the action of the Government. The Government of the country consists of executive, legislative and judicial. I am describing as to how the municipal employees are executed.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मजिस्ट्रेट के बारे में कह रहे हैं, जुडिशियरी के बारे में कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : If it relates to the Magistrates, it should de refrained.

श्री पी० के० चौधरी : Pardon.

श्री अध्यक्ष : If the question which is being discussed here has a relation with the judgment of the Magistrate, then please refrain.

श्री पी० के० चौधरी : It has no relation with the judgment. मजिस्ट्रेट के जजमेंट के साथ कोई रिलेसन नहीं है । मैं बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव ने प्रोसीक्यूट किया सुसाइड एक्ट में who has intended to commit suicide. Judgement of the Magistrate is correct but how far the executive action in prosecuting Satyagrahis for going on hunger strike under the Suicide Act was right...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था it is a uniuqe instance in the whole of India.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, मैं माननीय सदस्य के कहने पर एतराज़ करता हूं...आप बैठ जाइये... मैं पहले एतराज़ कर चुका हूं कि प्रोसीक्यूट किया पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने सज़ा दी it is the action of the Magistrate गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : The position is clear. Mr. P.K. Chaudhary, if at all the case has been prosecuted and then a challan submitted to the court it means the court has taken cognizance. Therefore comment over it will not be desirable.

श्री पी० के० चौधरी : I am not commenting.

श्री उपाध्यक्ष : It will not have any bearing so far as the question is concerned. Besides that you will please proceed with the debate.

श्री पी. के. चौधरी: तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट का एक्शन है म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़ के साथ डील करने का हरिजनों से डील करने का, उनको टेकल करने का, उसके खिलाफ नहीं होते हुए भी उसके पास एक स्टेटूअरी प्रोविज़न हो, लीगल प्रोविज़न हो जिनसे जब आप चाहें, उन लोगों को तंग कर सकते हैं, ह्युमिलियेट कर सकते हैं they can compell them.

मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी काम करते हैं उनको गेली स्लेव कह सकते

Page No 56

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं, जो लाइफ लोंग स्लेव रहते थे। इन स्लेव्ज की हालत यह थी कि दिन में वे काम करते थे; और रात में उन लोगों को कोटरी में बन्द रखते थे they were kept under servilience. They are not allowed to live in open spot. जिन्हें गेली स्लेव कहते हैं : They are sold for the whole life. यह प्रोविजन कहता है : Without reasonable cause he cannot resign. Who is the judge of the reason ? As to what was the reasonable cause.

मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रोविज़न है Its intention is very bad. यह अलटीरियर मोटिव से लिया गया है, एक इन्डीविजूअल मोटिव को टैकल करने के लिए। इसमें बताया कि सर्विस रूल्स में प्रोविज़न है। मेरा जो अमेंडमेंट है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं रेडीकल अमेंडमेंट लाता, पर मैं जानता हूँ कि मन्त्री महोदय इसे मंजूर नहीं करेंगे। मैंने जो अमेंडमेंट पेश किया हैं, वह मैंने अपने घर में अपने आप कन्स्ट्रक्ट नहीं किया है। दिल्ली कार्पोरेशन के एक्ट हैं, उसके प्रोविज़न्स में से लेकर उसे यहां रीप्रोड्यूज़ कर दिया है। आपकी शंका हो कि भाई, यह जो अमेंडमेंट रखा है, यह रेडीकल हो जायगा, पता नहीं इससे सारी युनिसिपल बोर्ड फेल हो जायगी, सरकार फेल हो जायगी। मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली कोर्पोरेशन का रिसेन्ट एक्ट हैं, म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़ को टैकल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स रखे हैं। मैं समझता हूं कि कार्पोरेशन के एम्पलॉइज़ की तादाद आपके छोटे मोटे म्युनिसिपल बोर्ड्स से काफी ज्यादा है। उनके लिए जो प्रोविज़न है, उसको मैंने अपनी तरफ से अमेंडमेंट के रूप में रखा है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है, कि इसमें हरिजन एम्प्लॉइज़ को, स्केवेन्जर्स को गेली स्लेव के रूप में रखने की कोशिश की जा रही है, उन्हें लाइफ लांग बन्द रखा जा रहा है। यह नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही साथ क्लॉज़ तीन में है- The State Government may by notification in the official gazette, direct that on and from a date to be specified in the notification, the provisions of sub-sections 1 and 2 with respect to sweepers or scavangers shall apply also to any specified class of municipal servants whose functions intimately concern the public health or safety."

सारे म्युनिसिपेलिटी के एम्प्लॉइज़ का सारा काम पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हैल्थ का है। म्युनिसिपेलिटी का जो फंक्शन है वह कोई एग्रीकल्चर से ताल्लुक नहीं रखता। मैं मानता हूं Municipality is itself a public health Deptt. उसकी ड्यूटी पब्लिक सेफ्टी और हैल्थ के सिवाय और कुछ नहीं है। तो ऐसे कौन से एम्प्लॉइज को स्पेशीफाई करना चाहते हैं, जिसको इस क्लॉज़ के अन्डर में लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि क्लॉज़ ७६ के सब क्लॉज ३ में म्युनिसिपेलिटी के तमाम एम्प्लॉइज़ को, चाहे क्लेरीकल स्टाफ हो, चाहे पानी पिलाने वाला हो, चाहे गार्डनर हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे को इसमें लाना चाहते हैं। इसमें

(श्री पी० के० चौधरी)

सबको ले लिया है और उनसे पैसा नहीं लेंगे तो वाटर सप्लाई कहां से करेंगे। हमें इस सब-क्लॉज़ से ऐसा लगा कि Every municipal employee can be classified under section 3.

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा रिट्रोगेटरी स्टेप कहीं भी नहीं देखा है। इसलिये मैंने अमेंडमेंट रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे उन सदस्यों से कहना चाहता हूँ जो हरिजनों के लिये पुकारते हैं, छोटी छोटी बातों में हरिजनों के लिये कहते हैं, हरिजनों का नारा लगाते हैं, ऐसा क्लॉज़ उनकी नजर के सामने पास हो रहा है, मैं कहता हूं कि उन्होंने हरिजनों के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं रखा है, इसके लिये शर्म आनी चाहिये। आज छोटी छोटी बातों में शोरगुल मचाते हैं हरिजनों के राइट के लिए और जब ऐसा अमेंडमेंट लाया जा रहा है It is going to crush the whole Harijan community serving in the Municipality.

इसके लिये, इस लिहाज से, हरिजन सदस्यों की तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं, इससे यह नज़र आता है They have no goodwill... और उनकी आंख में धूल डाल दी है। सब क्लॉज़ १ में लिखा गया है कि एक महीने में निकालेंगे, एक महीने में कैसे निकालेंगे। It is already there. The Government of India is bound to give them...

आप एक क्लॉज़ रखते हैं, उसमें सुपरफ्लुअस बात क्यों रखते हैं। आप सब-क्लॉज़ दो और तीन को पास करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो सारा का सारा क्लॉज़ है, इसको मेरे अमेंडमेंट से रिप्लेस कर दिया जाय। मेरा जो अमेंडमेंट है, इसे मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। जो प्रोविजन दिल्ली कार्पोरेशन एक्ट में उनको टैकल करने के लिए है, सिचूएशन को टैकल करने के लिए है, उसको मैंने रखा है। इसके लिए जो स्टेप है, जैसा मैंने बताया कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक प्रोविजन है, जेल में डालने का प्रोविजन है, लेकिन इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक प्रॉसीजर है, उसको आपको फोलो करना पड़ेगा। आरबीट्रेरीली और like a dictator, you cannot deal with them.

इतना ही मेरा निवेदन करना है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष,

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री गिरधारीलाल : मेरे अमेंडमेंट हैं साहब !

श्री उपाध्यक्ष : You were absent when your name was called.

श्री गिरधारीलाल : वह सब अभी तो चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes move it.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे इस क्लॉज़ में तीन अमेंडमेंट्स हैं। पहला इस आशय का है कि इस क्लॉज़ में सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान रखा है

Page No 58

(श्री गिरधारीलाल)

कि अगर नगरपालिका के किसी कर्मचारी को नगरपालिका नौकरी से निकालना चाहे तो उसे एक महीने का नोटिस या एक महीने की तनख्वाह दे कर निकाल सकती है। मेरा इसमें अमेंडमेंट यह है कि अगर नगर-पालिका किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाना चाहती है तो नगरपालिका को चाहिये कि नोटिस के साथ साथ एक महीने की तनख्वाह भी दे। न कि यह कि किसी मिनिट किसी वख्त किसी कर्मचारी को एक महीने की तनख्वाह सम्हला कर कह दिया जाय कि आप घर जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका एक जनता की चुनी हुई बॉडी है। वैसे इनमें जो कर्मचारी काम करते हैं पुराने एक्ट के तहत नगरपालिकाओं ने उनकी नौकरी के लिये एक्ट में सेफ्टी दे रखी है पर इस कानून के द्वारा वह भी छीन ली गई है, जो इस सदन में ७८ वीं क्लाज़ है उसको पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार नगरपालिकाओं के हाथ में ऐसे अधिकार दे रही है कि किसी कर्म-चारी से, या कुछ कर्मचारियों से अथवा कर्मचारियों के समूह से नगरपालिका असंतुष्ट है, इनके कार्य से अथवा उनकी एक्टिविटीज़ से असन्तुष्ट है तो अपनी मर्जी से उनको किसी भी वख्त निकाल सकती है। मेरी समझ में आज के जनतन्त्र के युग में किसी कर्मचारी को निकालना उचित नहीं होगा। अगर किसी को निकालते हैं तो उसको एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए, अपील का उसको हक होना चाहिये। पर यहां यह प्रोविज़न रखते हैं कि किसी भी मिनिट किसी भी वख्त एक महीने की तनख्वाह दे कर या नोटिस दे कर उनको निकाला जा सकता है।

साथ ही सब क्लॉज़ २ रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : You have got only one amendment and you can speak only on that.

श्री गिरधारीलाल : हैं तो ३ पर आये नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : You have been allowed only one amendment. Please continue.

श्री गिरधारीलाल : तो कोई बात नहीं, मैं २ पर बोल रहा हूं। आज जो नगर-पालिका में हरिजन कर्मचारी हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है। राजस्थान की किसी भी नगरपालिका का उदाहरण ले सकते हैं वहां हरिजन कर्मचारियों की हालत अच्छी नहीं है, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। आज के युग में और खास तौर से उस सरकार के लिये जो हरिजनों के हित के लिये बड़ी बड़ी बातें बनाया करती है, हरिजनों के साथ इस प्रकार का बुरा व्यवहार करना उचित नहीं है।

बीकानेर नगरपालिका में जो हरिजनों के साथ व्यवहार किया गया उसके सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। कुछ दिन हुए बीकानेर के हरिजन कर्मचारियों ने हड़ताल की, उनको एक बहुत वाजिब मांग थी जो बहुत पहले मान ली जानी चाहिये थी, जिस मांग के लिये हरिजन कर्मचारियों ने नोटिस पर नोटिस दिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, यों ही साल पर

(श्री गिरधारीलाल)

साल बीतते गये आखिर में हरिजनों ने हड़ताल का नोटिस दिया, आखिर एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गया, अपने भाइयों के लिये, अपने समूह के लिये जो कि पीड़ित हैं, जिसको आप भी पीड़ित मानते हैं उनकी मांगों के लिये नगरपालिका के सामने मांग रखता है तो उसका कोई कसूर नहीं, पुराने ज़माने में, अंग्रेज और राजा लोग इस प्रकार मांग रखने को कसूर मानते थे पर आज हम इसे दोष नहीं मान सकते, उस हरिजन को निकाल दिया गया और फिर हरिजनों की हड़ताल हुई, वह हड़ताल पन्द्रह, बीस दिन तक चली, शहर में चारों तरफ गन्दगी फैल गई और इसके बाद कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया यही तसवीर आज मेरे सामने आती है। नगरपालिका से कुछ कर्मचारी खिलाफ हो सकते हैं उनकी मांग से नगरपालिका को कुछ नुकसान हो सकता है पर उनकी मांग वाजिब होती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री जी को किसी अधिकारी से बात करते देख कर श्री गिरधारीलाल अपना भाषण बन्द कर दिया)

श्री उपाध्यक्ष : He is there in the House.

श्री गिरधारीलाल : सुनेगा कौन साहब।

श्री उपाध्यक्ष : He is there in the House. You please continue.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, जो इस प्रकार का प्रावधान इसमें रखा है, आज यह एक्ट पास नहीं हुआ है, हरिजनों पर तरह तरह के अत्याचार किये जाते हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, एक इन्सान को एक इन्सान के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता।

इस क्लाज़ में यह है कि बिना नोटिस दिये नौकरी छोड़ दे तो एक महीने की सज़ा उसे दी जा सकती है। जो कि हरिजन है, गरीब है किन्हीं अपनी परिस्थितियों के कारण एक महीने का नोटिस न दे सके तो उसको इतनी भारी सज़ा दे दी जाय यह उचित नहीं है।

तीनों पेश नहीं करूं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं एक ही लीजिये।

श्री गिरधारीलाल : तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हरिजनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है उसे देखते हुए इस सब-क्लाज़ २ को डिलीट कर दिया जाय, अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री रामचन्द्र (डग मु०) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सांभर से आये हुए माननीय सदस्य ने हरिजन सदस्यों की ओर इशारा किया था और अफसोस ज़ाहिर किया था, कि आज इस राजस्थान विधान सभा में हरिजन मेम्बरों में से एक भी मेम्बर ऐसा नहीं है, जिसने ७६ क्लॉज़ पर संशोधन पेश किया हो। मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने हरिजन कॉज़ को पुरजोर शब्दों में प्लीड किया पर साथ ही साथ

(श्री रामचन्द्र)

कह देना चाहता हूँ कि इस विधान सभा में अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैंने अपने दो संशोधन इस विधान सभा के दफ्तर में पेश किये थे, दुःख की बात है, कि मैं कानून कायदों से वाकिफ नहीं था, पिछले नवम्बर में एक्सेप्ट कर लिया गया था पर आज लिस्ट देखता हूँ तो वह संशोधन नहीं है, अब दफ्तर में कहूँगा तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री रामचन्द्र : मुझे अपनी पोज़ीशन क्लीयर करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : This is a question which could very easily be referred in the chamber.

श्री रामचन्द्र : मेरा संशोधन इस प्रकार से था कि यह जो क्लॉज़....

श्री उपाध्यक्ष : But it is not with us. जो संशोधन पेश किये गये हैं उन्हीं पर बोलिये।

श्री रामचन्द्र : मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : चेम्बर में आप इस पर बात कर सकते हैं, अब आप इस पर न जायेंगे।

श्री रामचन्द्र : क्लॉज़ ७६ पर जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि.... उपाध्यक्ष महोदय, ७६ क्लॉज़ है वह राजस्थान की कांग्रेस सरकार का नमूना है, आइना है जिसमें संसार के तमाम लोग चित्र देखेंगे और यह आइना राजस्थान में ही नहीं रहेगा बल्कि भारतवर्ष में जावेगा और वे लोग देखेंगे कि जिस कांग्रेस सरकार ने हरिजन समस्या को १० वर्षों में दूर करने का वादा किया आज उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। इसलिये मुझे दुःख है कि यह क्लॉज़ ७६ आज वैसी की वैसी है जो ७ वर्ष पहले रखी गई थी। क्योंकि यह क्लॉज़ आज से ७ या ८ वर्ष पहले तैयार की गई है और उसको आज ८ वर्षों के बाद भी यों की यों रखी है। ८ वर्ष तक शासन करने के बाद राजस्थान सरकार ने हरिजन समस्या को उदारता के साथ हल करने के लिये कोई अपनी योग्यता नहीं दिखाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह क्लॉज़ इस एक्ट में मिस फिट है और फिट नहीं होता। इससे ऐसा मालूम होता है कि जितने हरिजन हैं उन पर कड़ा से कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जावे। इसका ड्राफ्टिंग हुआ है उसमें एक एक शब्द इस बात को बताता है। इसलिये मैं इसको चैलेन्ज करके कहूंगा कि किसी तरह से यह हमारे चंगुल से न निकल सकें। इस प्रकार की धाराएं रखी गई हैं। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। मैं यह कहूँगा कि इसको राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट ने कितनी चतुराई से इसको ड्राफ्ट किया है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर इस कानून को और क्लॉजेज़ को राजस्थान के लॉ सेक्रेट्री ने किया है या एडवोकेट जनरल ने किया है। क्योंकि सबसे ज्यादा विद्वान उनको मानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देखने में यह क्लॉज़ बहुत सरल है और हरिजनों को

Page No 61

(श्री रामचन्द्र)

करीब करीब उसी फुटिंग में रखा है जैसे दूसरे सिविल सर्विसेज़ को रखा है लेकिन उनके साथ जो कन्डिशन जोड़ी है और जो बात रखी है उससे इतना विवश उनको कर दिया है कि वे शासन नहीं ले सकते हैं। इसमें लिखा है कि या तो १॥ महीने का नोटिस और नही तो एक महीने की तनख्वाह। वे कहते हैं कि अगर उनको मिस कन्डक्ट में निकालें तो वैसे ही नोटिस की जरूरत नहीं। अगर उसको किसी स्पेसिफिक टाइम के लिये रखा गया है तो उसको नोटिस की जरूरत नहीं। मैं आपको कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने मिसकन्डक्ट का चार्ज लगाया है, वह वहां का अधिकारी है, और उसकी किसन जांच की है। जो व्यक्ति मिस कन्डक्ट का चार्ज लगाता है, वही उसकी जांच करने वाला है। जहां न्यायकर्ता, जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव एक ही हो तो न्याय कैसे मिल सकता है। इसलिये यह मिसकन्डक्ट शब्द लगाया गया है वह बहुत भारी है। मैं अगर आपको इस प्रकार के उदाहरण दूं तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से मिस कन्डक्ट होता है। यह एक घृणित उदाहरण है। कर्मचारियों की इतनी दयनीय दशा हो गई है कि हरिजन वर्ग की महिलाओं के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, और जब वे इसके लिये तैयार नहीं होती हैं, तो कहते हैं कि उनको निकाल दिया जावे। यह हरिजन औरतों के साथ व्यवहार किया जाता है। अगर इस प्रकार की कन्डीशन्स लगाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो हरिजन सांस भी नहीं ले सकेंगे। आप यह कहते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिये जो नौकर हो उनके लिये नोटिस की जरूरत नहीं। आप जयपुर म्युनिसिपेलिटी को ही देखिये। आपने कितने हरिजनों को पर्मानेन्ट रखे हैं। किसी को भी आप रखते हैं तो उसको आप स्पेसेफिक पीरियड के लिये ही रखते हैं। इसलिये उनको निकालना आपके लिये एक आसान बात है। हरिजनों की नौकरी ऐसी है जो कोई लालच भरी नौकरी नहीं है, जिससे उनको अधिक फायदा हो। हरिजन तो हमेशा इसी इन्तज़ार में रहता है कि किसी न किसी तरह से उनको नौकर रख दिया जावे। इसलिये यह जो क्लॉज़ रखा है उसके साथ साथ तीन चार शब्द रखे हैं, उनसे हरिजनों की दशा को और भी बुरी करेगा और इसीलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सिर्फ इसमें एक महीने का नोटिस या तनख्वाह जैसा कि किसी भी सिविल सर्वेन्ट के साथ होता है वैसा ही लगाया जावे। अगर आप मिस कन्डक्ट का शब्द लगाते हैं, तो फिर उसकी जांच कौन करेगा जब अफसर खुद मिसकन्डक्ट करने वाला होगा। इसके लिये इम्पार्शियल ऑफिसर होना चाहिये मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहां तो एक दम ऑर्डर होते हैं। यदि किसी से कहें कि ऐसा करो और वह उसका कुछ उत्तर देता है तो यह कहा जाता है कि उसने जुबानदराजी की और यह मिस कन्डक्ट है।

दूसरा सेक्शन इस प्रकार का है उसमें भी हर एक शब्द को छान बीन कर रखा गया है कि किसी भी हरिजन को नौकरी करते हुए भी यदि उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करें तो उसको निकाला जा सकता है। रिफ्यूज शब्द है इसका बहुत बुरी तरह से दुरूपयोग होगा। एक बहुत गंदा नाला है। आपने उसमें उतरने के लिये किसी हरिजन को कहा और यह कहा कि इसकी सफाई करो

(श्री रामचन्द्र)

अगर वह उतरता है तो उसकी जिन्दगी का खतरा है और नहीं उतरता है तो आप कहते हैं कि इसने रिफ्यूज़ कर दिया, इस लिये इसको एक महीने की सज़ा या ५० रु० जुर्माना कर दिया जावे । यह भी कोई न्याय है? अगर मिसकन्डक्ट करता है तो उसकी जांच करने वाला कौन है? इसलिये अगर आपको फैसला कराना हो तो किसी नॉन गवर्नमेंट बोडी द्वारा इसका फैसला कराना चाहिये। इतनी सरल बात के लिये यह रखा गया है कि ५० रुपये जुर्माना या एक महीने की सजा। यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह बहुत कठोर प्रतिबन्ध है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से विचार करें और जिस प्रकार से पहले दो तीन क्लॉजेज़ को डेफर किया गया है उसी तरह से इसको भी इस समय डेफर कर दिया जावे और इस पर विचार करके फिर इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने लॉ डिपार्टमेंट के लिये You are complimenting the Law Department. But it is a reproduction of the Town Municipalities Act of 1951.

श्री रामचन्द्र : मेरा यह निवेदन है कि लॉ डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। आज कल के लॉ डिपार्टमेन्ट ने इसको नहीं बनाया हो, पुराने लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया हो। यह मेरी मंशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो क्लॉज़ है इसको डेफर कर दिया जावे । मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस सम्बन्ध से जो कमेटी बनी हुई है सर्विस रूल्स के बारे में उसने अगर कोई राय दी है तो देख लिया जावेगा। अगर इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Is the Hon'ble member a member of the Committee?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें जो टर्मस ऑफ रेफरेन्स हैं उसमें यह नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है। अगर उसको डेफर करने की मंशा है तो आप कर सकते हैं। वैसे यह क्लॉज़ तो सिम्पल है। मुझे इसमें एक्सप्लेन करने का मौका होता तो मैं बता देता। यहां पर यह जो दलील दी जाती है कि बड़ी गड़बड़ी होगी ऐसी कोई बात नहीं है यह पहले सिलेक्ट कमेटी से पास हुआ है। सदन में बहस करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं, तो इसको डेफर कर दिया जावे। हम आज शाम को ८ बजे मिल रहे हैं। मगर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसमें कोई पेचीदी बात नहीं है। इसको डेफर कर दिया जावे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the intention of the House to defer it?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७६ को स्थगित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पहले मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूँगा कि जिन क्लाजेज़ को डेफर किया गया है उन पर डिस्कशन अभी करेंगे या बाद में ?

श्री उपाध्यक्ष : This depends upon the agreed formula which may be through compromise or something else.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): कोई बोलना चाहे ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई फार्मूला हो सकता है लेकिन इसको डेफर ही कर दिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बोल भी लिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : बोलना भी, मैं डेफर ही कर देता हूं।

(हंसी)

२ म० प०

क्लाज ८०

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ ८० को पास किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसको ओपोज़ करना है।

श्री उपाध्यक्ष : But you are so late.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता था कि दूसरे और हैं। I will not make a lengthy speech though.

यह जो क्लाज़ ८० है उसमें प्रोविज़न है कि "Every member, officer, or servant and every lessee of the levy of any municipal tax and every servant or other employee of any such lessee shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."

यह जो सब-क्लाज़ है, शायद मंत्री महोदय ने इसको पढ़ लिया होगा, इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि म्युनिसिपल सर्वेन्टस, एम्प्लाईज़ और जो टैक्स लैसीज़ होंगे और म्युनिसिपेलिटी के सदस्य होंगे उनको सेक्शन २१ के अन्तर्गत पब्लिक सर्वेन्ट्स माना है। मैं समझता हूं कि राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट पंचायत एक्ट और दूसरे इस प्रकार के कानून हैं, उनमें स्वायत्त संस्थाओं के पंचों को, सरपंचों को पब्लिक सर्वेन्ट्स की तारीफ में माना है लेकिन इसमें शब्द नया बढ़ाया है 'मैम्बर' : Every Member of the Board shall be deemed to be a public servant under Section 51 of the Indian Penal Code. मैं यह समझता हूं कि पब्लिक सर्वेन्ट्स का जो प्रोविज़न है इसको मेम्बर्स पर लागू किया जाय क्योंकि जहां तक धारा सभा के सदस्यों का ताल्लुक है वे कॉन्स्टिट्युशन के अन्तर्गत प्रिविलेजेज़ एन्जॉय करते हैं लेकिन इन्डियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड के अन्तर्गत प्रोसिक्युशन के लिए

Page No 64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, और जब धारासभा के लिए भी नहीं है तो फिर नगरपालिका के लिए भी नहीं होना चाहिये।

दूसरा कारण और जो अनुभव के आधार पर है और उसके लिए माननीय मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में यह अनुभव में आया है कि कोई पंचायत के पंच, सरपंच जनता के, नागरिकों के साथ, जैसा व्यवहार करना चाहिये वैसा व्यवाहर नहीं करते, और कभी कभी तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज़ सामने आये हैं, कि जब पंचायत की बैठक होती है, तो जनता के लोग वहां दर्शक के रूप बैठे हों, दर्शक के रूप में जाने में कोई आपत्ति हो नहीं सकती और होनी चाहिये नहीं, सरपंच ने आज्ञा दे दी हो कि बाहर चले जाइये और उसको माना नहीं लोगों ने, एक अधिकार के रूप में उनको वहां बैठने का अधिकार है, यदि इस प्रकार से जनता के लोग दर्शक के रूप में पंचायत भवन में उपस्थित रहते हैं, तो जो गड़बड़ियां स्वाभाविक रूप से वे पंचायत के पंच और सरपंच करते हैं, वे नहीं कर सकते, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इन्सीडेन्ट्स सामने आते हैं, कि किसी को सरपंच ने आज्ञा दी लेकिन उस व्यक्ति ने न मानी हो तो सरपंच ने उसका कान पकड़ कर बाहर निकाल दिया और नहीं निकला हो तो चपरासी से कहा कि इसके दो जूते लगाओ। जब इस प्रकार के मामलों की कम्प्लेन्ट कोर्ट में दायर की जाती है तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में सरकार की प्रायर सेन्क्शन जरूरी है क्योंकि यह पब्लिक सर्वेन्ट्स की तारीफ में आते है मान लीजिये कि ऐसे मामलों पर आगे अपील दायर की गई और हाईकोर्ट भी यह वेलिड कर देती है कि चूंकि पंच, सरपंच पब्लिक सर्वेन्ट्स की तारीफ में आता है इसलिए इसकी प्रायर सेन्क्शन गवर्नमेंट से आना आवश्यक है। लेकिन ऐसे मामलों में सरकार काफी वर्षों तक भी सेन्कशन नहीं देती। लोग एप्लाई करते हैं, रिमाइन्डर्स भेजते हैं उनको सेन्क्शन न दी जाय, मैं नहीं समझता कि लॉ डिपार्टमेन्ट और लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट उनको दबाकर क्यों बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था करने से यह हालत होने वाली है कि जो इस प्रकार का जनता के साथ दुर्व्यवहार पंचायत के पंच और सरपंच और स्वायत्त शासन की संस्थाओं के द्वारा होता है, किसी भी सदस्य के साथ वह हो सकता है, कोई उन संस्थाओं का पब्लिक सर्वेन्ट कर सकता है, यदि उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते है। इस व्यवस्था के जरिये से तो यह तो सेन्क्शन न देना एक तरीके से नागरिकों को उनके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, उनसे वंचित करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : What about the other side of the case? If a Sarpanch is discharging his duties peacefully and if anybody comes and disturbs him?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is a question of discharging of his duties.

गाली देना और जूते लगवाना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : I don't take these facts into consideration. I say if a

(श्री उपाध्यक्ष)

Sarpanch is discharging his duties peacefully and if somebody comes and assaults him, what will be the position?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उसके लिए प्रोसीक्युशन हो सकता है। इतना निवेदन है कि जिस व्यक्ति पर ऐसा चार्ज लगता है, वह ड्यूटीज़ फन्क्शन कर रहा था, या नहीं तो यह चीज़ तो कोर्ट के डिसीज़न की है, इसको गवर्नमेन्ट डिसाइड नहीं कर सकती है। लेकिन एक सिटीजन को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, उसको अपने अधिकारों से डिप्राइव किया जाता है और जब वह गवर्नमेन्ट से शिकायत करता है कि मुझे प्रोसीक्युशन करने के लिए इजाजत दी जाय, सेन्कशन दी जाय तो गवर्नमेन्ट सेन्कशन नहीं देती। यदि गवर्नमेंट की ऐसी मंशा नहीं है तो गवर्नमेंट यह विश्वास दिलाये कि यदि इस प्रकार के केसेज़ आवेंगे तो उनको फौरन सेन्कशन दी जावेगी। यह तो कोर्ट का कार्य है कि वह यह देखे कि प्रोसीक्युशन हो सकता है या नहीं। फिर प्रोसीक्युशन का भी सम्बन्ध हो या न हो, जहां तक गवर्नमेंट की सेन्कशन का ताल्लुक है वह फौरन मिलनी चाहिये। यह नहीं हो सकता कि कोई सरपंच या पंच उस दल से सम्बन्धित है इसलिए उसके विरुद्ध सेन्कशन न दी जाय और जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत उनके खिलाफ होगी और जहां प्रोसीक्युशन का ताल्लुक होगा वहां सेन्कशन दे दी जायगी। कानून में सबके अधिकार बराबर हैं, संविधान ने सबको अधिकार बराबर के दिये हैं। कानून सबके लिए बराबर है। चूंकि कानून में दिये हुए उनके लिए अधिकार है इसलिए गवर्नमेंट की बिना सेन्कशन के प्रोसीक्युशन नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने इन्स्टान्स रखूंगा कि जिला सवाई-माधोपुर में पंचायत है, वहां पंच के खिलाफ प्रोसीक्युशन करने के लिए सेन्कशन के लिए एप्लाई किया गया, वर्ष हो गये, दरख्वास्तें दी गई, कई रिमाइन्डर्स दिये कि लॉ डिपार्टमेंट और लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट पंच को प्रोसिक्यूट करने के लिए इजाजत दे लेकिन उसको सेन्कशन अभी तक नहीं दी गई और सेन्कशन के अभाव में आज दिन तक पंच का प्रोसीक्युशन नहीं कर सका। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार राज्य सरकार को डिस्टिन्कशन और डिस्क्रेशन देना उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार से उन पावर्स का मिसयूज़ होगा। गवर्नमेंट की इच्छा होगी और देखेगी कि कौनसा पर्टिकुलर केस है, यदि सरपंच या पंच या किसी पर्टिकुलर केस में नगरपालिका विरोधी दल की होगी और जब सेन्कशन का मामला जावेगा तो उसमें शीघ्र सेन्कशन दे दी जावेगी और जहां कांग्रेस का बहुमत होगा, और इस प्रकार किसी पब्लिक सर्वेन्ट्स के प्रोसीक्युशन का मामला होगा। उसको सरकार सेन्कशन नहीं देगी क्योंकि आज जिस प्रकार से गवर्नमेंट फन्क्शन करती है, जहां कानून सामने नहीं आता, कोर्ट्स के बाहर की बातें होती हैं, टेलीफोन के आधार पर राज्य सरकार अपने दल का समर्थन करती आ रही है, सहयोग करती आ रही है और परवारिश करती आ रही है, जहां कानून की मर्यादा में रह कर सबको संरक्षण कानून के अनुसार मिलना चाहिये वह उसके द्वारा नहीं मिलेगा। यदि सरकार फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था चाहती है तो इस बात की आवश्यकता है कि सरकार यह विश्वास दिलाये कि जो भी मामले

Page No 66

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोसीक्युशन से सम्बन्धित होंगे और सरकार की सेन्क्शन के लिए आवेंगे उनमें सरकार एक महीने या दो महीने में सेन्क्शन दे देगी। साल भर भटकते रहेंगे, सरकार उन कागजों को दबा देगी, कांग्रेस के मेम्बर्स प्रोसीक्युशन की सेन्क्शन चाहेंगे तो सरकार उनकी सेन्क्शन दे देगी और विरोधी दल को नहीं दी जावेगी।

मैं समझता हूँ इस सारी परिस्थिति के कारण जहां एक ओर इस प्रकार से डिसक्रीशन का यूज होता है दूसरी ओर राजस्थान के अन्दर फेवरटीज्म को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। इस लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं आप उन्हें भी पब्लिक सर्वेन्ट में माने यह तो हमारी समझ में आ सकता है। अगर उनके लिए भी आपने इस प्रकार का प्रोविजन रखना शुरू किया तो कोई भी नगरपालिका का सदस्य अपने वार्ड में घूमने के लिये जायगा और किसी मकान को गिराने का या किसी की टट्टी में पत्थर डलवाने का निर्देश देगा या किसी से अदावत हुई उसका मकान ठीक है किन्तु वह कह देगा इसको गिरा दो इससे मनुष्यों की जान को खतरा है वैसी हालत में उसका क्रमीनल प्रोसीक्युशन करवाना चाहे तो वह नहीं करवा सकते, पंचों और सरपंचों को इजलास में आते समय ड्यूटी के कारण हो सकता है। They were discharging duties as a judge or member of the panchayats were deciding cases, but what abut municipality membdrs ? जिनकी ड्यूटीज इस प्रकार की है सुबह से शाम तक और शाम को देर तक शहर की सफाई का ध्यान रखते हैं, जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है वहां प्रकाश की व्यवस्था करवाते है, कौनसा मकान गिरा देना चाहिए ऐसी व्यवस्था जिनके हाथों में है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर की म्युनिसिपलिटी का सदस्य अगर उसकी अदावत किसी से है और वह उससे दुश्मनी रखता है उसका इन्टेन्शन उसके खिलाफ मेलाफाइड है तो वह उसका मकान गिरवा सकता है वह क्रिमीनल प्रोसीक्युशन करवाना चाहता है किन्तु आपके यहां से संक्शन जब तक नहीं मिलती वह ऐसा कर नहीं सकता। इस प्रकार का बड़ा दायरा और इस तरह से बड़े दायरे में, इस प्रकार का हस्तक्षेप करना जो राज्य सरकार की मन्शा है, वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं कही जा सकती क्यों कि जिस प्रकार का अनुभव इन लोकल बोडीज का है। इस प्रकार के डिस्क्रीशनरी पॉवर्स जहां कहीं भी रखें हैं हमने देखा है उसका अनुचित फायदा सरकार ने उठाया है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के सिविल प्रोसीक्युशन का केस आयगा माननीय मन्त्री महोदय, उसको दबाकर बैठे रहेंगे या उसको लटका कर रखेंगे साल दो साल तक वह लटकता रहेगा। यह एक प्रकार से उसके सिर पर तलवार की तरह लटकता रहेगा उस पर सौदेबाजी होगी बारगेनिंग होगा, उसको कहा जायगा कि तुम इस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाओ नहीं तो यह जो क्रिमीनल प्रोसीक्युशन की मन्जूरी दे दी जायगी। इस प्रकार सिविल प्रोसीक्युशन की धमकी देकर साजिश की जायगी। अगर उस साजिश को रेज करना है राजनैतिक भावना को भड़का कर, पैसों के आधार पर या धमकियां देकर तो मैं समझता हूँ यह एक प्रकार के करप्शन को

Page No 67

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बढ़ावा देना है। जहां हमारी सरकार करप्शन मिटाना चाहती है, भ्रष्टाचार को दूर करने का दावा करती है। मैं समझता हूं हमारे स्वायत्त शासन मंत्री करप्शन से ऊपर हैं, और मैं समझता हूं ऊपर ही रहेंगे, और इस प्रकार से करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे। मेम्बर्स के बारे में जो इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके अनुभव बड़े कटु हुए हैं। इस पर माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि आप उदाहरण बताइये। मेरा उनसे कहना है, कि इस प्रकार के इन्स्टान्सेज की कोई कमी नहीं है। मैं आपके सामने मलारना डूंगर का इन्स्टान्स रखना चाहता हूं, वहां की पंचायत के सरपंच के लिए मन्जूरी देने के लिये पांच साल हो गये रिमाइन्डर आपके पास बराबर आ रहे हैं। जब कि उसमें एक एक्स० एम० एल० ए० हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कोई म्युनिसिपलिटी का उदाहरण बताइये। जब कि हम म्युनिसिपल कानून बनाने जा रहे हैं, अपने यहां ऑलरेडी म्युनिसिपल कानून में इस प्रकार का प्रावधान है अगर इसका कहीं मिश युज हुआ है तो बतलाइये एक भी ऐसा केस बतलाइये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्युनिसिपलिटी में रतनगढ़ का केस है। और पंचायतों में मलारना डूंगर के पंचायत के सरपंच के खिलाफ श्री मिलापचन्द ने मन्जूरी मांगी। आपने उसको मन्जूरी आज तक नहीं दी। वह केस हाईकोर्ट में गया वह केस इसी बिना पर रिमान्ड हुआ और इस तरह से उसकी सारी कम्पलेन्ट डिसमिस होगई। गवर्नमेंट को जब कि उनसे साल डेढ़ साल पहले अपील की थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं म्युनिसिपल एक्ट को डिसकस कर रहा हूँ। हमारा टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट में जयपुर के कानून में इस प्रकार का प्रोविजन मौजूद है आप एक भी केस बताइये जो गवर्नमेंन्ट के पास आया हो और उसको रिफ्यूज किया गया हो। रतनगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार का मामला आपके सामने आया आपने कहां इज़ाजत दी।

श्री उपाध्यक्ष : So we were discussing the principles. We are not concerned with the instances.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We were not discussing the prinicples of the Bill Sir. I am opposing certain clauses Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Let us not very much substantiate the clause through instances.

श्री सतीशचन्द्र अग्रावल : मैंने उपाध्यक्ष महोदय, दो इन्स्टान्सेज़ दी जिसमें एक तो है रतनगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की और दूसरी है मलारना डूंगर पंचायत के सरपंच की। हो सकता है इस पंचायत के लिये मंत्री महोदय यह कहें कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं दूसरे किसी मंत्री ने गड़बड़ की होगी If that is the position, then the things are definitely different. वे जब कहते हैं कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी में तो वे भी आते हैं इनकी जिम्मेदारी कलेक्टिव है, कोऑपरे-

Page No 68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टिव है या करप्टिव हैं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन वास्तव में पोज़ीशन इस प्रकार की है। इसके अलावा भी इन्स्टान्सेज़ कहीं करके बता सकता हूँ इन्स्टान्सेज़ की कमी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार से आप मेम्बर्स को प्रोटेक्शन देते हैं इस प्रकार से प्रोटेक्शन देना और पब्लिक सर्वेन्ट की तौर पर देना। जहां पब्लिक सर्वेन्ट पर आइ० पी० सी० की धारा २१ लागू कर सकते हैं लेकिन आप रखना यह नहीं चाहते इस प्रकार की हमारी मान्यता है। पंचायतों में तो यह अधिकार इसलिये है कि उनको जुडिशियल फंक्शन करना होता है। और म्युनिसिपेलिटी में एग्ज़ीक्यूटिव फंक्शन्स हैं वहां इस प्रकार के सेफगार्ड की आवश्यकता नहीं। कोई भी नगरपालिका का सदस्य अगर साबित होता है तो उसको लायेबल प्रोसीक्युशन किया जा सकता है। साबित नहीं किया गया तो पनीशमेन्ट नहीं मिलेगा पंचायतों में तो इसलिये किया गया है, कि वहां तो जुडिशियल फंक्शन डिसचार्ज करने होते हैं वहां तो पंच को एक जज की सेंक्टिटी है।

श्री उपाध्यक्ष: यह क्लॉज़ हटा भी दिया जाय तो २१ वीं क्लॉज़ बहुत वाइड है। The Commissioners of a Municipality, they are under the category of public servants.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I am opposing so far as Members are concerned.

श्री उपाध्यक्ष: Member is public servant even under section 21 of the Indian Penal Code. My contention is, it is covered up under Section 21 of the Indian Penal Code. Even though this clause be removed from this Bill, then too the Member of a Municipality is a public servant under Section 21.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अगर ऐसा है तो इसकी जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो केवल इसलिए है कि इसको ज्यादा बल दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सेक्शन २१ आई० पी० सी० में जब तक कवर नहीं होगा पर्टिकुलर लॉ में प्रोवाइड नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: Even under Section 21 the Member is a public servant.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: If that be the position, then I will submit that the Hon'ble Minister should delete this word 'member' and let us see if a case goes to the High Court, what is the decision of the High Court. If the Hon'ble Minister is so confident about it that under section 21 a Member of a corporation is also a public servant, then let us wait and see what the decision of the High Court is. Whether the High Court grants that protection to a member of the Municipal Board if a case arises. So the Hon'ble Minister should accept my oral amendment and delete the word 'member' from the clause.

श्री उपाध्यक्ष : So far there is not a single ruling of any High Court against Section 21 of the Indian Penal Code.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर तो

Page No 69

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सवाल ही खड़ा नहीं होगा ८७ की क्लाज को रखने का। आई० पी० सी० में लिखा है कि कोई भी सर्वेन्ट होगा, मेम्बर होगा, उसे प्रोसीक्युट नहीं किया जा सकता बिना पूर्व स्वीकृति के। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। Then there is no need to have a duplicate provision under this Act. That way my case is still more strong.

श्री उपाध्यक्ष : That is just for the sake of better clarification

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कानून की स्थिति जो इस समय है वह यह है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट बिना सरकार की स्वीकृति के प्रोसीक्युट नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य ने आपत्ति की है। वे स्वयं भी इस सदन के मेम्बर हैं, म्युनिसिपल के भी हैं। उनको अनुभव है गवर्नमेंट सर्वेन्ट के मुकाबले में जो सदस्य इलेक्टेड हैं चाहे असेम्बली में हों, म्युनिसिपेलिटी में हों, पंचायतों में हों, मैं समझता हूं, उनके दिल में उनके लिये ज्यादा इज्जत है। इसलिये मैं समझता था कि वे राजी होंगे कि इनको भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट के मुकाबले में तरजीह दी जावे। अगर नहीं हैं, तब भी उनको पब्लिक सर्वेन्ट मानना चाहिये।

अब आपत्ति जो है उनको खास कर दरअसल पंचायतों के केस के सम्बन्ध में है। सरपंचों के खिलाफ उनको शिकायत है। इसका स्पेसिफिक केस मेरे सामने नहीं है। हां, रतनगढ़ की मिसाल को मैं जानता हूं। और चार्ज हो सकते हैं, पर क्रिमिनल का चार्ज नहीं बनता किसी का दरवाज़ा तुड़वा दिया हो, किसी का कुछ कर दिया हो, मिस एप्रोप्रियेशन किया हो तो ये चार्ज नहीं बनते। Every mis-conduct is not a criminal offence.

इसलिये वहां कोई सैंक्शन का सवाल नहीं है। जहां तक पंच सरपंच का सवाल है, म्युनिसिपेलिटी का सवाल है और जहां तक वे जूडिशियल पावर को फंक्शन करते हैं। तो इसमें उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये मैं इस राय का हूं। अगर किसी को अधिकार दे दिया कि पंच सरपंच के खिलाफ सीधे केस दायर कर सकते हैं, तो होगा क्या कि वह दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी इधर पंचायत में मुकदमे में खड़ी होगी और आधा गांव दूसरी तरफ अदालत में खड़ा होगा। अगर यह हुआ तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बनेगी। मेरी शिकायत दूसरी है मैं तो खुद कहता हूं कि पंच सरपंचों को प्रोटेक्शन नहीं मिला, जिनको जरूर मिलना चाहिये, मेरी राय है, यह। मैं ऐसे बहुत से केस जानता हूं जिनमें पुलिस ने एक दो की शहादत लेकर पंच सरपंचों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनको कोर्ट में ले गई। तो पंचायतों के खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज नहीं होना चाहिये, मैं इस पक्ष में हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या चीफ पंचायत के लेवल पर हो वाकई में इस तरह के कई मामले हैं कि पुलिस की दो शहादतें लेकर पंचायत के मेम्बरों को अरेस्ट कर लिया। आपके दिल में उनके प्रति ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिये। एक इलेक्टेड बाडी, जिसको जूडिशियरी पावर दिये हैं जो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी को कामयाब करने का साधन है,

Page No 70

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जब कि दूसरी दुनियां में डेमोक्रेसी फेल होती नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में पंचायतों को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिये। उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये मैं तो यह समझता था कि आप इसी तरह से कहेंगे। आज राजस्थान में तीन चार हज़ार पंचायतें फंक्शन कर रही हैं। मैं उस केस को देखूंगा जो आपने बतलाया है। सैंकड़ों केसों में मामले साबित हुए हैं तो हमने सैंक्शन भी दी हैं। यह नहीं कि उनको प्रोटेक्शन दिया है तो हर तरह का ओफेन्स करने को स्वतन्त्रता है। पर एक दो की बात बताकर उसे जनरेलाइज नहीं किया जाना चाहिये। यह इलेक्टेड आदमी की रेसपेक्ट के खिलाफ होगा। जो मौजूदा कानून बना है उसकी तरह जयपुर स्टेट के वक्त के कानून में भी प्रोविज़न है। पर किसी का ऐसा मिसयूज हुआ हो ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि किसी ने किसी का मकान तुड़वा दिया हो और कुछ क्रिमिनल ओफेन्स कर दिया हो और मेम्बर को प्रोसीक्युट करने की इजाजत न दी हो। इसलिये मैं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मिसालें तो मैं बता दूं। सीकर के चेयरमैन, भरतपुर की नगरपालिका के मेम्बर और रतनगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ केस दायर करने की परमिशन मांगी गई थी, और परमिशन नहीं दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सीकर, रतनगढ़ के बारे में निवेदन किया, कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेन्स नहीं बनता।

श्री भैरोंसिंह : बनता था। आप परमिशन देते फिर देखते बनता है या नहीं बनता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नो नो नो नो। संक्शन का मतलब प्राइमाफेसी केस होना चाहिये। फिर तो संक्शन की रोक लगाने का मतलब ही क्या है। और मैं उनके पूरे मामले को माननीय सदस्यों के सामने और इस सदन के सामने रखने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं और बता दूं कि उनको इन्हीं चार्जेज के आधार पर आपने हटाया है। नहीं तो किस आधार पर हटाया है, आप बताएं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही तो समझने की बात है :

Every mis-conduct is not a criminal offence. मिसकन्डक्ट हो सकता है पर क्रिमिनल ऑफेन्स नहीं हो सकता। इसी तरह सीकर की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक जुडिशियल अफसर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही थे, अब और भी पैदा हो गये दीखते हैं मेरे ख्याल से।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ रखिये आप तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो यह प्रोविजन बिलकुल स्पष्ट है। कोई क्रिमिनल ऑफेन्स नहीं साबित हो प्राईमाफेसी में तब तक

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सेंक्शन देने का प्रोविजन कानून में करना गलत है, यह जस्टिफाइड नहीं होगा । माननीय सदस्य तो इस म्युनिसिपेलिटी के सदस्य भी रह चुके हैं, और उनको जिम्मेदारियां मालूम हैं। ऐसी हालत में हरेक आदमी प्रोसीक्यूट करने लगा हर किसी को तो मुश्किल हो जावेगी। ऐसी हालत में तो कोई समझदार आदमी म्युनिसिपेलिटी में और पंचायतों में आने को तैयार नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८० को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८० विधेयक का अंग बना।

विराम

क्लॉज ८१

बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ८१ में प्रोविजो के पार्ट (ii) में स्टेट गवर्नमेंट के सामने "and otherwise than in accordance with the provisions of Chapter XIII or the rules made thereunder" जोड़ा जावे ।

पूरा संशोधन इस प्रकार है :

In part [ii] of the proviso after 'State Government' occuring first, insert 'and otherwise then in accordance with the provisons of Chapter XIII or the rules made thereunder.'

यह महज़ इसलिए है कि चैप्टर १३ में हमने गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को शामिल नहीं किया था और रूल्स भी शामिल नहीं हुए थे। इसको सुधार कर लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८१ का जो प्रोविजो है उसमें मेरा एक संशोधन है :

1. In the proviso, part [i] be deleted.

2. Add the following second proviso :-

"Provided further that in case three fourth members of a Board request by a resolution to withdraw some officer, the Government shall accord to such request immediately."

क्लॉज ८१ के अन्दर हमने कुछ बातें तय की, तय करने वाले हैं, कि बोडी को इन बातों के अन्दर नियम बनाने का अधिकार है। नियम बनाने के सम्बन्ध में निश्चित इन्स्ट्रक्शन दी हैं।

हम एक तरफ ओटोनोमी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हर बात में हस्तक्षेप करने की वृत्ति रखते हैं। यह उचित नहीं है। अगर आप इस तरह छोटी से छोटी बात में हस्तक्षेप करेंगे तो एक छोटी से छोटी बात में सेंक्शन लेने के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा। आप जो ओटोनोमी दे रहे हैं वह सब को होगी, कांग्रेस को भी होगी, जन संघ को भी होगी....

डॉ० बहादुर सिह (धौलपुर) : जनसंघ कहां पर है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं बताता हूं जनसंघ की मेजोरिटी मुकुन्दगढ़ में है, और भी कई जगह हैं. तो इस तरह के हस्तक्षेप रखने का मतलब यह होगा कि वहां पर वे जो नियम बनावेंगे उनको हमारी गवर्नमेन्ट कभी भी जिस रूप में वे बनाये जावेंगे या बनाना चाहेंगे उनको कहीं भी संक्शन नहीं देगी और संक्शन देंगे भी तो अपनी मर्जी के अनुसार अमेन्डमेन्ट करने का हमारी गवर्नमेंट प्रयास करेगी। अब इसके बाद में दूसरा प्रोविजो है उसमें लिखा है।

"Provided further that in case three fourth members of a Board request by a resolution to withdraw some officer, the Government shall accord to such request immediately."

इस सेकिण्ड प्रोवाइज़ो में इस प्रकार का गवर्नमेंट ने प्रोवीज़न किया है कि :

"[ii] no board shall, unless with the assent of the State Government, dispense with the service of any officer transferred from the service of the Central or a State Government to the service of the board or employed partly by the State Government and partly by the board or finally dispense from the service of the board any officer transferred from the board to the service of the State Government." हमारी गवर्नमेंट ने अधिकांश जो बोर्ड के सेक्रेटरीज़, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स या दूसरे बड़े ऑफिसर्स हैं उनको अपाइन्ट करने की पावर्स अपने अन्दर ली है। अभी हमारी जो कमेटी जांच करने के लिये बनी है वह इस बात की कोशिश करेगी कि म्युनिसिपेलिटीज़ की जितनी भी सर्विसेज़ हैं उनका प्रोविन्शेलाइजेशन कर दिया जाये और एक कैडर बना दिया जाये और उनका कहीं भी ट्रान्सफर किया जाये और वह सब पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरी डिपार्टमेंट की सर्विसेज़ हैं उनकी सर्विसेज़ को भी म्युनिसिपेलिटीज़ के काम में भेज दिया जाता है। उनको भेजने के समय गवर्नमेंट का यह ध्यान नहीं होता है कि जहां उसको भेज रहे हैं वह कितनी बड़ी म्युनिसिपेलिटी है और कैसा ऑफिसर वहां भेजना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष मैं बताऊं कि कई छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ होती हैं वहां पर बड़े और ज्यादा तनख्वाह वाले ऑफिसर्स भेज दिये जाते हैं। किसी म्युनिसिपेलिटी के अन्दर २०० रुपये वाला अधिकारी है छोटा उसकी जगह पर ४०० रुपये पाने वाला भी अधिकारी भेज दिया जाता है। सीकर में आज तक ऐसा अधिकारी नहीं गया लेकिन जो वर्तमान अधिकारी है उसकी तनख्वाह ४०० रुपये की है। इस वर्तमान अधिकारी के लिए सीकर नगरपालिका ने एक रेज्योल्यूशन भी पास किया है कि इतना बड़ा अधिकारी इस छोटी नगरपालिका के लिए क्यों भेजा गया है। इसके बाद में दूसरी बात यह भी आती है कि कई बार बोर्ड और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के बीच में नहीं पटती है। बोर्ड का चेयरमैन एक बात कहता है और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर दूसरी बात चाहता है तो इस प्रकार आपस में संघर्ष होता है। एक गवर्नमेन्ट

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ऑफिसर और इलेक्टेड बोर्डों के आपस में झगड़े होते हैं। गवर्नमेन्ट जब तक उसका ट्रान्सफर नहीं करती है तब तक वह कहीं, जाने वाला नहीं है। क्योंकि पावर्स ऐसी हैं कि जहां एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर को पॉवर्स देते हैं और उसकी अपील बोर्ड में नहीं जाती है, और परिस्थिति ऐसी होती है कि अपील कलेक्टर के पास जाती है। तो वहां पर जहां कि सरकारी पक्ष की पार्टियों के पास बोर्ड है उस अवस्था में तो यह झगड़े ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन जहां बोर्ड की मैजोरिटी विपक्षियों की है और वहां पर गवर्नमेन्ट एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर भेजती है तो उसको इस प्रकार के इन्सट्रक्शन्स होते हैं कि वह एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर उस बोर्ड को आराम से काम नहीं करने देता है। तो उस समय झगड़े होते हैं। तो ऐसी अवस्था में माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं यह चाहता हूं कि अगर बोर्ड तय करे कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर हटाया जाये तो गवर्नमेन्ट तुरन्त ही उसको हटा ले। मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ मैजोरिटी के कहने से उसको हटा दिया जाये, हो सकता है कि मैजोरिटी कुछ काम गलत कराना चाहे तो गवर्नमेन्ट को यह चाहिए और यह उसका कर्तव्य है कि जो भी कानून बने हुए हैं उनका ठीक ढंग से पालन हो। अगर मैजोरिटी एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर से कोई काम किसी तरह का गलत करवाना चाहे तो वह अपने कर्तव्य पर इसके लिए डटा रहे। पर अगर बोर्ड के ३।४ ऑफ दी मेम्बर कोई बात कहें तो गवर्नमेन्ट को मानना चाहिए कि यह बात सही ही है। मान लीजिए जहां बीस सदस्य हैं उनमें से ११ मेम्बर कहें तो हो सकता है कि सरकार कहे कि यह तो मैजारिटी है और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर से अपने लिए कोई गलत कार्यवाही कराना चाहते हैं और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने अपने आपको सरेण्डर नहीं किया तो वहां पर तो ऐसा माना जा सकता है लेकिन जहां ३।४ मैजोरिटी कहे कि यह आदमी गलत ढंग से काम करता है तो उस हालत में गवर्नमेन्ट को उसे हटाने में नहीं हिचकना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। अभी सीकर में जैसा गवर्नमेन्ट ने किया और कहा कि you cannot do anything क्योंकि वहां के एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ने कुछ गलत काम किया। बोर्ड के कुछ कर्मचारी थे, उनको उसने अपने यहां नौकर रखा और उनसे ६ महीने तक काम करवाता रहा। इसके लिए सारे बोर्ड ने तय किया कि जो कर्मचारी इन्होंने अपने यहां रखे हैं उनकी तनख्वाह के पैसे एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर की पे में से काट लिया जाये। इसके लिए गवर्नमेन्ट कहती है कि यह हमारा ऑफिसर है और बोर्ड मैजारिटी से तय करता है कि इनकी तनख्वाह से काटा जाये। उस स्थिति में क्या किया जाये ? इस तरह की पोज़ीशन पैदा हो जायेगी। गवर्नमेन्ट कहती है कि हमारा ऑफिसर है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उनकी तनख्वाह घटा नहीं सकते और न डिडक्शन कर सकते उस परिस्थिति में जहां ३।४ मैजोरिटी कहती है तो गवर्नमेन्ट को तुरन्त ही उस ऑफिसर को हटा लेना चहिए और मैजोरिटी की वाइस की रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस कारण से मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह,

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८१ में मेरा एक संशोधन है

(डॉ० बहादुरसिंह)

कि जो सेकिएड प्रोविज़ो है उसको डिलीट कर दिया जाये : Omit part (ii) of the proviso to the clause. यह तो बिल्कुल विदित है कि आज की नगरपालिकाओं की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश राज्य में एक तरह से एजेन्ट ऑफ गवर्नर जनरल रहा करते थे, उसी तरह से एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स या जो सेक्रेटरी हैं वह इस डिपार्टमेन्ट में रहेंगे। लेकिन उनके ऊपर अंकुश चुनी हुई नगरपालिका का नहीं होगा। वह बिल्कुल निरंकुश लोग हैं, और शायद मैं समझता हूं कि इस विभाग के अन्दर जो दो चार सेक्रेटरी हैं तो हैं लेकिन मैं कई एक लोगों को जानता हूं और उनका भुगतान भुगत करके माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया और कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर नगरपालिका के अन्दर जो आपके सेक्रेटरी हैं उसको आपने कुछ अधिकार भी दिए। एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स को और अधिकार देने के बाद जो कुछ जनता की डिमाण्डस होती हैं निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो जन प्रतिनिधि लोग होते हैं उनकी मांग होती है कि फलां जगह यह काम कराना चाहिए लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स बिल्कुल ही निरंकुश शासक की तरह काम करते हैं। क्योंकि चेयरमैन उसको कुछ कह नहीं सकता उसको हटा नहीं सकते, और उसको हटा इसलिए नहीं सकते कि उन पर डाइरेक्टर साहब की विशेष कृपा है। तो आखिर वह जाये कहां। वह बिल्कुल निरंकुश सा हो जाता है और जो उसके मन में आयेगा वही करेगा। इसलिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि बोर्ड अगर इस बात पर एग्री है कि हमारे यहां पर फलां अधिकारी नहीं रहे तो निश्चित रूप से उसको थोपने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो उसके अपॉइन्टमेंट ऑर्डर्स में यह होना चाहिए कि, यदि बोर्ड हटा देगा तो उसको दूसरी जगह रख देंगे। जब आप जानते हैं कि जन प्रतिनिधि लोग हैं, वह स्वयं इसके लिए अपने व्यक्ति को रख सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ कहता हूं कि कोई भी आदमी रहे, हां, आप इन्सपेक्शन कीजिए लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था मत कीजिए कि आपका एजेन्ट गवर्नमेन्ट की तरफ से वहां पर रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह क्लॉज़ हटा देना ही उचित है और इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ ८१ है और उसका प्रोविज़ो है उसके पार्ट २ को रिमूव करने का जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह का है और उसके साथ प्रोविज़ो की जगह जो सशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर जो कि सीकर से आये हैं उन्होंने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

प्रश्न यह है कि हम जो सेक्रेटरीज़ या और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट अपनी सरकारी सर्विसेज़ से नगरपालिका में भेजते हैं वह इस मन्शा से भेजते हैं कि हमारी नगरपालिका का काम सुचारु रूप से चले। कई जगह देखने को मिलता है कि नगरपालिका ऐसी जगहों पर बनी हुई है जहां कि अच्छे कर्मचारी हमको नहीं मिलते हैं और उनके अभाव में उन नगरपालिकाओं का काम ठीक ढंग से नहीं चलता है, इस दृष्टि से यह उचित समझा जाता है कि कुछ ट्रेण्ड सेक्रेटरीज़ इस प्रकार की नगरपालि-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

काओं में रखे जायं। यह एक अलग पहलू है। लेकिन कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जो सेक्रेटरीज़ इन नगरपालिकाओं के अन्दर रखे जाते हैं वे सेक्रेटरीज़ नगरपालिकाओं के काम को अच्छी तरह से चलाने के बजाय उन नगरपालिका के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, उस नगरपालिका के सामने संकट बन कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में नगरपालिका का काम जो कि ठीक ढंग से चलना चाहिए उसके बजाय नगरपालिका के अन्दर एक बड़ा भारी विप्लव, एक बड़ा भारी आन्दोलन, एक प्रकार का अविश्वास सा खड़ा हो जाता है। सेक्रेटरी के प्रति सदस्यों का अविश्वास होता है और सेक्रेटरी जिसको कि गवर्नमेंट ने एपॉइन्ट किया है, गवर्नमेंट ने भेजा है वह सदस्यों की परवाह नहीं करता है तो दोनों में अविश्वास की भावना खड़ी हो जाती है, और जहां परस्पर में अविश्वास की भावना हो जाती है, परस्पर में सहयोग का अभाव देखा जाता है वहां यह निश्चत रूप से है कि नगरपालिका का काम बिगड़ेगा। ऐसी अवस्थाओं को कम करने का सोल्युशन दिखाई देना चाहिए। उसका एक रास्ता होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की खराबियों को सरकार के सामने रखें और सरकार को विवश कर सकें कि सरकार ऐसे आदमी को तुरन्त वहां से हटाये।

अब एक प्रश्न आकर खड़ा होता है, कि सरकार के नोटिस में यह बात आती है और कह सकते हैं मिनिस्टर साहब ऐसे व्यक्ति को हटा सकते हैं, लेकिन जैसा कि सीकर का एक उदाहरण दिया। मैं माननीय मन्त्री जी को कोटा का भी एक उदाहरण दूंगा कि अभी जो प्रेजेन्ट सेक्रेटरी हैं उनसे पहले एक सेक्रेटरी थे श्री मिश्रा। उन मिश्रा जी के खिलाफ नगरपालिका के सदस्यों को अपने ग्रीवेन्सेज़ थे, अपनी कुछ बातें थी। वे कार्य करने में आलसी थे। काम करने का उनमें अभाव था, और ऐसी २ बातें थीं जिसका सारा जिक्र किया। कई तरह के रिज़ोल्यूशन पास किये गये नगरपालिका की ओर से। और नगरपालिका ने कहा कि इनको तुरन्त भेज दिया जाय, लेकिन कई बार इस बात की सुनवाई नहीं हुई। आखिर नगरपालिका ने उनसे काम लेना बन्द कर दिया, और स्थिति यहां तक पहुँच गई, कि नगरपालिका के सदस्यों के बीच और सेक्रेटरी के बीच काफी विवाद खड़ा होने लगा और तब कहीं जाकर बार बार रिक्वेस्ट करने पर ट्रान्सफर किया गया। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक हो जाता है, कि इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट के अन्दर रखा जाय कि माननीय सदस्य जिनकी संख्या ३।४ हो जाय, ३।४ सदस्य इसलिए कहे कि जिसमें किसी प्रकार की प्रिजुडिशियल ओपीनियन वहां किसी की हो इस प्रकार की शंका करने की बात किसी के दिमाग में नहीं रहती है। एक व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि वह प्रेजुडिस्ड माइन्ड का हो सकता है। उसका काम सेक्रेटरी ने नहीं किया हो उस कारण से वह उससे अप्रसन्न हो सकता है। एक व्यक्ति नाराज़ हो सकता है, दो व्यक्ति नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन सारी नगरपालिका के ३।४ मेम्बर्स अप्रसन्न हों तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा नगरपालिका के सदस्यों का बहुमत है, वह इस पक्ष में हैं, कि यह व्यक्ति अयोग्य है। इसका ट्रान्सफर वहां से किया जाना चाहिए। इसलिए

Page No 76

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि यदि नगरपालिका के ३।४ सदस्य इस बात के लिए कहें कि किसी सरकारी नौकर को जो कि वहां रखा गया है, मोस्टली सेक्रेटरीज़ रखे जाते हैं, उनके प्रति अविश्वास हो और उसको हटाना चाहते हैं, तो उनका एक रिज़ोल्यूशन इस बात के लिए पर्याप्त होना चाहिए, कि उसका तुरन्त स्थानान्तर हो जावेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं, और माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि इस प्रकार के संशोधन को जिससे नगरपालिका का काम सुव्यवस्थित रूप से चल सके, अच्छे ढंग से चल सके, नगरपालिका में किसी प्रकार की गड़बड़ी खड़ी न हो, नगरपालिका का काम करने वाला जो एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर है उस एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के अन्दर और प्रस्ताव के पास करने वाले जो लोग हैं, माननीय सदस्य हैं नगरपालिका के उनके बीच में किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार अविश्वास उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार का एक प्रावधान इस एक्ट के अन्दर रखा जाय। वहां नगरपालिका का काम ठीक ढंग से चल सकेगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रसंग में एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर जो कि नगरपालिका के कार्य को संचालित करने वाला है, यानी जो कुछ भी रिजोल्युशन नगरपालिका पास करती है उसका काम चलाने वाला सेक्रेटरी है, वह वहां इस तरह से रखा जाता है, और नगरपालिका के व्यक्तियों का किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा तो वह हमेशा यह समझ कर कि मैं सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ हूं, नगरपालिका के सदस्य मुझे हटा नहीं सकते हैं, हमेशा निरंकुश होकर रहेगा। अपने आपको एक अलग सत्ता समझ कर रहेगा। वह नगरपालिका के सदस्यों की रेस्पेक्ट या समादर करना अपना फर्ज नहीं समझेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्वस्थ प्रजातन्त्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो सदस्य जनता के द्वारा नगरपालिका में इलेक्टेड होते हैं उनका सम्मान एजीक्यूटिव आफीसर करे तो उसके लिए प्रोवीजो यह आवश्यक है कि इस प्रकार से निरंकुश उसको न रखा जाय। और वह उनके पास किये हुए रिजोल्यूशन को क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की आनाकानी करता है, किसी प्रकार की उदासीनता दिखाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि ३।४ से रिजोल्यूशन को पास करके उसको हटा दें। इन सारी बातों को देखकर मैं आवश्यक समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये। मैं फिर एक बार माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि जो संशोधन रखा है, उसे वे स्वीकार करेंगें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत्त शासन मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ८१ में हम रूल्स और बाईलॉज़ के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। म्युनिसिपलिटी की सर्विस के बारे में कौन होना चाहिये, उनके रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर की जो बात होंगी उसके लिए चेप्टर १३ और २६८ क्लॉजके बाद उनके बारे में विचार करेंगें, तो इसमें जो रूल बनाने के पावर्स की बात है उसमें की बात है कि तीन चौथाई मेम्बर तय कर दें तो ट्रान्सफर हो जाय, यह बात चेप्टर १३ जब आयेगा तब

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

एग्जीक्यूटिव ऑफीसर की सर्विस के बारे में यह बात करनी चाहिये । क्लॉज २ में इतना सा है कि स्टेट सर्विस का कोई आदमी पहुँच जायेगा तो उसको रिमूव नहीं करेगें । इतना ही रखा है कि उसे रिमूव करने के पावर्स नहीं होगें । ट्रांसफर, एपॉइन्टमेंट, प्रमोशन की बात म्युनिसिपल सर्वेन्टस् के लिए वह चेप्टर १३ में है । उस वक्त माननीय सदस्य इस संबंध में विचार रखेंगे तो विचार किया जायगा । रूल मेकिंग पॉवर में खाली रूल बनाने की बात है । इसमें जो एमेंडमेन्ट बतलाये गये हैं इनकी यहां पर आवश्यकता नहीं है । इसलिए में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इनको विड्रा करलें तो ठीक होगा । उस वक्त बात कर लेगें इस के बारें में ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (सीकर) तो फिर इस सेक्सन में इस पार्ट की भी जरूरत नहीं है ।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन मैंने रखा है उसे मुझे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डा० बहादुर सिंह ने प्रस्तुत किया है उसको उनको वापिस लेने की आज्ञा, प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुर सिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८१ संशोधनानुसार स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज ८१ विधेयक की अंग बना ।

क्लोज ८२

डॉ० बहादुर सिंह : मैं पेश करना नहीं चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८२ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ८२ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज ८३। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८३ में मेरा एमेंडमेंट है "with the sanction of the State Government" इसको ओमिट कर दिया जाय यह सब क्लॉज़ (१) में है जो कि ८३ में रखा गया है, उसमें है कि "Every Board may from time to time, with the sanction of the Government, make bye laws......"

उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन है उसको ओमिट कर दिया जाय। और इन पार्ट [f] आफ सब-क्लॉज़ (१) after the words ' disposal of the dead' occuring for the first time, insert 'and of the carcasses or dead animals' and for the same words occuring for the second time, यह भी लेग्वेज क्लियर करने के लिए है 'for the purpose' substitute किया जाय। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

After sub-clause (2), insert the following new sub-clause:-

"(2A) No bye-law made by a Board shall take effect unless it is sanctioned by the State Government"

In sub-clause (3), for 'as aforesaid' substitute 'under sub-section (2)' and for 'so made' substitute 'made thereto'.

यह लैंगवेज़ के करेक्शन के बारे में है।

श्री जगदीश प्रसाद (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मन्त्री जी ने संशोधन पेश किया है उसी प्रकार का मेरा संशोधन भी है, मैं समझता हूं वह स्वीकार होगा ही ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छोटासा संशोधन इस प्रकार है Substitute 'two' for 'five' occuring in the last line of sub-clause (1) after part (af). इसमें व्यवस्था यह है, कि कोई नियम बनेंगे उनके अन्तर्गत जो जुर्माना या दंड की व्यवस्था है वह है ५०० रु० की। लेकिन मैं इसको अधिक समझता हूं क्योंकि इलेक्टेड बोर्ड है और लोग कानून वगैरह कम जानते हैं, उनको अगर आप ५०० रु० का जुर्माना देने का अधिकार दे देते हैं, तो वह ठीक नहीं है इसलिये मैंने रखा है कि २०० रु० से ज़्यादा जुर्माना करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं २०० रु० पर्याप्त हैं। इतने सारे रूल्स हैं, मान लीजिये शादी हुई और इन्द्राज़ नहीं कराया, बच्चा हुआ और इन्द्राज नहीं कराया तो उस पर ५००रु. का जुर्माना कर दिया, और यहां तक भी हो सकता है, कि यदि कोई मर गया और वह गुम बैठा है और उसने इन्द्राज़ नहीं कराया, तो भी उस पर ५०० रु० का जुर्माना कर देंगे। कोई भी रूल तोड़ने पर ५०० रु० का जुर्माना है, इसलिये मैं समझता हूं इसमें कमी होनी चाहिये। इसके लिये २०० रु० पर्याप्त हैं इसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ने वाली नहीं है सिवाय बोर्ड के इसलिये उनको मोह भी नहीं होगा, मैं समझता हूं मन्त्रीजी इसे स्वीकार कर लेंगे।

Page No 79

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : एक अमेन्डमेंट तो मेरा ही रखा हुआ है उसके लिये तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अमेन्डमेंट है उसमें रूल्स बनाने के लिये सैंक्शन प्रेसक्राइब करने की बात है, यह नहीं कि every Board may fix at Rs. 500/-. It is 'not exceeding Rs. 500/-' म्युनिसिपेलिटी चाहे तो ५०० से कम कर सकती है। बोर्ड को अधिकार यह देते हैं कि इससे ज्यादा जुर्माना नहीं करे...

डॉ० बहादुरसिंह : ज्यादा का अधिकार देंगे तो वे ज्यादा जुर्माना करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड यदि चाहे तो १०० रुपये प्रेस्क्राइब कर देगा।

डॉ० बहादुरसिंह : फिर तो प्रश्न यह है कि ५०० रु० का ही अधिकार क्यों देते है १००० ही दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक हज़ार का पॉवर हो तो भी १ रु० जुर्माना कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा से ज्यादा ५०० रु० तक कर सकते हैं। अगर २०० का देंगे तो आप कहेंगे २०० की पॉवर क्यों दी, कहीं तो लाइन रखनी पड़ेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : ज्यादा का अधिकार देने से ज्यादा जुर्माना करने की कोशिश करते हैं, किसी को फांसी देने का अधिकार देते हैं तो फांसी देंगे। फिर भी मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने क्लॉज़ ८३ में दिये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने पेश किये हैं उन्हें मंजूर किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८३ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८३ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ८४

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी मेरा एक छोटा सा संशोधन है : Substitute 'during office hours' for 'at all reasonable times'. उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े झगड़े की बात है, और वह यह है कि जो रीजनेबल टाइम रखा गया है, वह मान लीजिये यह है कि सुबह ८ से १० बजे तक का रखते हैं

Page No 80

(डॉ० बहादुरसिंह)

उसके बाद कोई कागज़ या चीज़ दिखलाने को बाध्य नहीं होंगे। इसलिये मैंने रखा है कि जब तक नगरपालिका का दफ्तर खुला रहे, तब तक का समय रखा जाय। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को यह मालूम न हो कि मुझे बाई लॉज़ देखने के लिये जाना है तो रूल्स या बाईलॉज़ वहां पर प्रिन्टेट हैं उनको खरीदने का समय २ घंटे रखा गया है। इसलिये रीजनेबल टाइम रखना उचित नहीं है। आप ऑफिस टाइम रखिये। नहीं तो वहां कोई जायगा तो क्लर्क कह देगा कि अभी टाइम नहीं है, वह टाल जायगा। इसलिये ऑफिस टाइम रखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८४ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ८५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह इस प्रकार है : In sub-clause (2) for part (e), substitute the following :-

"(e), such Government lands within a municipality as the State Government may by general or special order, vest in the municipal board." वहीं प्रोपर्टी और गवर्नमेंट लैंड वेस्ट होगी जिसके लिये गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी। गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही वेस्ट हो सकेगी। मैं समझता हूँ अब भी गवर्नमेंट ऑर्डर से ही वेस्ट होती है इसलिये इसको स्वीकार करना चाहिये इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८५ के सब-क्लॉज (३) के पार्ट (बि) को डिलीट करने का मेरा संशोधन है। इसमें ऐसा है- (3). The State Government shall be competent from time to time by notification in the official Gazette to resume .. अब जहां तक उनकी अपनी ज़मीन है गवर्नमेंट से लेने की वहां तक वह ऑथेराइज नहीं है। पहला यह है- (a) any Government land vested in a municipal board under clause (e) of sub-section (2)-(i) if such board is found upon inquiry to have mismanaged such land, or...

गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन है बोर्ड को दी हुई और गवर्नमेंट लेती है तो कोई संबंध नहीं है। दूसरा है-(ii) if such land is otherwise required by the State Government in the public interest, and—

Page No 81

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस प्रकार की जमीन का मिस मैनेजमेंट करते हैं तो उसके लिये यह है। तीसरे में (b) any other property vested or vesting in a municipal board under this section..."

अब जहां तक केवल जमीन का संबंध नहीं है, (बी) पार्ट को इतना वाइड बनाया है कि कोई प्रोपर्टी मुवेबल या इम्मूवेबल यदि म्युनिसिपिल बोर्ड की है उसके लिये यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसको लें तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। यह प्रोविजन बोर्ड और गवर्नमेंट दोनों के बीच में काम्लीकेशन पैदा करने वाला है। इससे हमेशा झगड़ा रहेगा। बोर्ड की सैंकशन, मंजूरी या मर्जी की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं होगी, कि यह तुम्हारी जमीन है, प्रोपर्टी है उसको हम लेना चाहते हैं। म्युनिसिपेलिटी की प्रोपर्टी में रोड रोलर्स, गाड़ियें, भवन सब कुछ आ सकता है। बोर्ड के पास बहुत ज्यादा प्रोपर्टी हुआ करती है। उस प्रोपर्टी के किसी भाग को यदि गवर्नमेंट लेना चाहे तो केवल एक आर्डर पास कर देंगे कि इसको गवर्नमेंट लेना चाहती है, और गवर्नमेंट उसको ले सकती है। यदि बोर्ड खरीदता है तो उसको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट से बोर्ड लैंड लेता है, तो उसको पहले टर्म्स तय करने पड़ेंगे। लेकिन जब बोर्ड की चीज को लेने का सवाल है तो मेम्बर्स को पूछेंगे भी नहीं और बिना कीमत के लाखों रुपयों की कीमत की चीजें ले सकेंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

३ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंजूर कर रहे हैं संशोधन।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट रखा है– In sub-clause (2), for part (e) substitute the following :–

(e) such Government lands within a municipality as the State Government may by general or special order, vest in the municipal board.

मैं समझता हूं कि जो आपने अमेंडमेंट रखा है, उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें जो प्रोवीजन रखा है, उसमें है कि रिज्यूम कर लेंगे बिना कम्पेन्सेशन दिये हुए। आपके अमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा अन्डर-लैंड एक्वीजीशन एक्ट, इस एक्ट के अन्डर एक्वायर करना पड़ेगा। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

Page No 82

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है, कि श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८५ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज ८५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८६ स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८६ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज ८७ डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी छोटा सा संशोधन है— Omit the words 'pension'. राज्य सरकार की तरफ से अधिकारी, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगें, उनका दायित्व नगर पालिका पर वेतन देने का, मंहगाई भत्ता देने का है, अब पेन्शन देने का दायित्व भी थोपने का विचार है । वे काम करेंगें आपका, नियंत्रण रहेगा आपका, जो ट्रान्सफर की जिम्मेदारी है, जो नियुक्त करने की जिम्मेदारी है, वह आपकी है । जब तक वे नगरपालिका की सेवा करेंगे, तब तक नगर पालिका इसके लिए बाध्य है कि उन्हें तनख्वाह दे लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक साल, छः महीने से ज्यादा या दो साल नगरपालिका की सेवा करता है एक नगरपालिका से कर्जा ले लेता है, एक नगरपालिका से ही नहीं, दो, तीन नगरपालिकाओं से कर्जा ले लेता लेता है । उस पोलिटिकल एजेन्ट की एक जिम्मेदारी के रूप में पेन्शन को नगरपालिका के ऊपर थोपते हैं । आप अन्दाज करिये कि नगरपालिका कहीं से टैक्स वसूल करके इस प्रकार भारी भरकम तनख्वाह पाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी को तनख्वाह देगें, फिर आप चाहें कि भारी भरकम तनख्वाह पाने वाले ऑफिसर्स को पेन्शन दे । अब झगड़ा यह पैदा होता है कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ करके विकास के कार्यों को रोक दिया जाय । मैं समझता हूं कि पेन्शन देनी है और राज्य सरकार इन ऑफिसर्स को अपने नियंत्रण में रखती है तो गवर्नमेंट अपने फन्ड्स से पेन्शन दे न कि नगरपालिका के फन्ड्स से । मैं समझता हूं कि यह सोचना लाजिमी है कि नगरपालिका को वजन पहुँचाने के बजाय किस प्रकार नगरपालिका का विकास हो । मैं समझता हूं मंत्रीजी इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस शब्द को निकालने के लिऐ, परामर्श करके, राजी भी हो जायेंगे ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I have got an amendment Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Pardon.

श्री पी० के० चौधरी : I have also got an amendment.

Page No 83

श्री उपाध्यक्ष : It is not before me.

श्री पी० के० चौधरी : That is to delete part (c) of Clause 87.

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट में कहां है ?

श्री पी० के० चौधरी : इसमें है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑन क्लॉज ८७।८५ में होगा ।

श्री पी० के० चौधरी : ८७ में है, नम्बर ३१ ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ८५ में है ।

श्री उपाध्यक्ष : On clause 87 or you mean 86...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह ८७ में म्युनिसिपल फन्ड्स और प्रोपर्टी के एप्लीकेशन का सवाल है कि किस काम में फन्ड्स आ सकते हैं । पेन्सन देनी है या नहीं है, यह सर्विस कन्डीशन्स में आयेगा, तब सेटल होगा....

श्री पी० के० चौधरी : ८७ में पार्ट सी में है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes Hon'ble Minister please.

श्री पी० के० चौधरी : It is there. My amendment is to move...

श्री उपाध्यक्ष : Yes please move.

श्री पी० के० चौधरी : So I move it .

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डॉ० बहादुर सिंहजी ने मूव कर दिया है ।

श्री पी० के० चौधरी : I move that part (c) may be deteted. It is in the list.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is there.

श्री उपाध्यक्ष : Yes please move it.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्ट सी है प्रोविजो का, उसमें Priority is given as to how the municipal funds are to be spent. The priority are given to the following :—

[a] libilities and obligations arising from a trust legally imposed upon, or accepted by the board.

[b] the repayment of, and the payment of interest on, any loan incurred'.

[c] the payment of establishment charges, and the salary allowances and pension of an executive officer or Secretary appointed by the State Government. under Se. 303 and 304.

So my amendment is that this part (c)from the priority list may be deleted.

उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल फन्ड्स प्राइमरीली they are meant for the benefits of the local residents.

अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या सेक्रेटरीज हैं, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको ऑन सर्विस म्युनिसिपेलिटी को दिया

(श्री पी० के० चौधरी)

जाता है और मैं समझता हूँ कि किसी म्युनिसिपेलिटी को लीन फाइनेन्सेज हैं, फाइनेन्सेज कम है तो उसको टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन से एनकम्बर नहीं करना चाहिए । यह क्लॉज जहां तक रहता है, इनके पेमेन्ट को म्युनिसिपेलिटीज के डेवलपमेंट के पेमेन्ट पर प्रायोरिटीज मिलती है । They get priority over the development works. यह प्रायोरिटी में रखा है । मेरी राय है कि जहां तक डेवलपमेंट वर्क का सवाल है, जो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज हैं, या टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाता है, उसको उसके ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिये । सवाल यह आता है कि म्युनिसिपेलिटीज के लिए एस्टेब्लिशमेंट जरूरी होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एस्टेब्लिशमेन्ट वहां रखना जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टोप हैवी एडमिस्ट्रेशन रखें । यह क्लॉज रख देंगे तो पार्ट सी में जो प्रायोरिटी है, उसका मतलब यह होगा कि गवर्नमेन्ट की इसके लिए रस्पोन्सिबिलिटी नहीं होती है । जब आपको मालूम है कि म्युनिसिपेलिटी के पास डवेलपमैंट के लिए फन्ड्स नहीं, फिर भी यह ढ़ांचा चलता जायगा और सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनके पेराफरनेलिया, ज्यों के त्यों रखने की टेडेंसी बनती जायगी । सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिनको लोन कन्डीशन्स पर दिया जाता है मेरी निश्चित राय है कि अगर यह प्रायोरिटी का क्लॉज नहीं रखेंगे तो They will try to reduce the establishment as far as possible.

एफर्ट्स उनकी तरफ से होंगे और म्युनिसिपेलिटीज की फाइनेन्सेज लीन मालूम होगी तो उसको वे विथड्रा कर लेंगे, then there will be effort on the part of the Government and they will reduce it.

इसको रखेंगे then there will be no compelling clause to make the Government to reduce the establishment.

और जैसा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपको कहा है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसियल्स, गवर्नमेंन्ट्स हैं, उनकी रेट है, यह अमाउन्ट ऑफ वर्क पर डिपेन्ड नहीं करता है । अगर वहां एक को बैठा दिया जायगा तो उसका पेराफरनेलिया बढ़ता जायगा

There is no one to reduce their size and the establishment charges...

एक ऐसी टेडेन्सी रहती है साइज बढ़ाने की । अगर प्रायोरिटी दे देंगे -

This will be a protection to them.

अगर उसे प्रायोरिटी दे देंगे तो इसमें नतीजा यह रहेगा :

There will be no efforts on their part to effect their size,

मैं मानता हूँ कि यह नहीं रखेंगे तो एक बात निश्चित है कि म्युनिसिपेलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप चलता है, वह नहीं चलेगा । तो एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन नहीं देंगे . . .

अब यहां पर म्युनिसिपैलिटी का सबसे ज्यादा वर्ग है जिसे कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिये, स्केवेन्जर्स और हरिजन एम्प्लाईज़ हैं उनको मिलना चाहिये । पर इस प्रायोरिटी

(श्री पी० के० चौधरी)

में हरिजन और स्कैवेन्जर्स नहीं आते, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, बाबू लोग, अफसर वगैरह हैं इस प्रायोरिटी में आते हैं। तो इसका एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, वह मेरी समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है that we are falling into the trap of the administrative officers.

इसलिये मैं चाहता हूं कि यह नहीं रखा जाय। रखते हैं तो गार्डनर्स स्कैवेन्जर्स और हरिजनों को भी रखिये, उनको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। सेक्रेटरी को आप रिमूव कर सकते हैं....

those were government emplcyees. उनके लिए आप प्रायोरिटी रखते हैं। इस लिए मैं इस एटीट्यूड को प्रोग्रेसिव और सोसियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं मानता हूं nor it is a social latitude.

सोसियलिस्ट एटीट्यूड तब होता जबकि आप काम करने वालों को, वर्कर्स तो प्रायोरिटी देते। तो वर्कर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये, सभी काम करने वालों को मिलनी चाहिये, न कि केवल बाबू लोगों को और अफसरों को मिल जाय। Those who will not suffer if the Municipality cannot pay.

उपाध्यक्ष महोदय, आज पोजिशन ऐसी है कि जब कभी भी म्युनिसिपेलिटी रिडक्शन करती है काम कम हो जाता है तो हरिजनों को और क्लॉस फोर सर्वेन्ट्स को निकाल देते हैं पर they become unemployed. सेक्रेटरी को निकाल देने से वह बेकार नहीं होता, वह तो पर्मानेन्ट एम्प्लोयी है They have got their permanent lien in the Government service.

इसलिये इनको प्रायोरिटी में लेना मैं न्यायसंगत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय मेरे साथ सहमत हैं, अब सहमत हो गये होंगे।

क्या आप एक्सेप्ट करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं यह अर्ज कर रहा था कि: in the establishment charges

इसमें महतरों की तनख्वाह शामिल है और एम्प्लॉइज हैं, सेक्रेटरी के अलावा सब शामिल हैं।

श्री पी. के. चौधरी: एस्टेब्लिशमेंट में हरिजनों की स्कैवेन्जर्स की तनख्वाह नहीं आती है, आप नई डेफिनेशन सिखायेंगे तो अलग बात है...it means the office staff alone. It does not otherwise specify. So please don't try to misguide us.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: जितना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट है वह इसमें आता है।

श्री पी. के. चौधरी: नहीं आता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कहें तो मैं स्कैवेन्जर्स को और इसमें बढ़ा दूँ ?

श्री पी. के. चौधरी: The Hon'ble Minister is making a commitment. Be ware of the commitment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: लेकिन इसमें कुछ नहीं, है, प्रायोरिटी देने की बात है कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बजट बनाते समय प्रायोरिटी किस किस को दी जायगी ।

श्री पी. के. चौधरी: एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी को निकाल दीजिये । They have got a permanent lien with the Government.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: निकालने, इन्क्लूड करने का सवाल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है:—

(a) liabilities and obligations arising from a trust legally imposed upon, or accepted, by the board,

(b) the repayment of, and the payment of interest on any loan incurred.

और जो लोन लिया है उसके इन्ट्रेस्ट के बारे में है, तनख्वाह के बारे में है ।

श्री पी. के. चौधरी: सबसे पहले डेवेलपमेंट वर्क के बारे में क्यों नहीं रखते....

Municipalities and other works and then you put this. I agree to it. These funds will be put on the first priority. Health services of the Municipality etc. I can entriely agree to that then.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह एस्टेब्लिमेंट के चार्ज हैं उसमें हरिजन शामिल हैं । इसमें या तो लोन लिया है, ट्रस्ट का रुपया पे करना पड़ा है, तो उस काम में ही खर्च होना चाहिये, प्रायोरिटी देने की बात है ।

श्री पी. के. चौधरी: यह तो लास्ट प्रायोरिटी है:—

Then why you put ? It is almost the last priority. Why you have any apprehension about it ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Do you want that the establishment should not be paid by the Municipality ?

श्री पी. के. चौधरी: No. It will be paid.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसका थर्ड नम्बर रखा है ।

श्री पी. के. चौधरी: Item,D is practically nothing. "Any sum ordered to be paid from the municipal fund under section 281 and 287 or under any other provision of this act-"

So even if you remove it then it will be paid.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अगर डेवेलपमेंट की बात को प्रायोरिटी की बात कहते हैं तो मेहतर तनख्वाह के लिये इन्तजार करते ही रहेंगे, और सड़कें बनाने में ही सारा रुपया खर्च हो जायगा.... That is the exact interpretation of this.

आलरेडी इसमें प्रोविजन है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज का मतलब है उसमें ये भी आ जाते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी: आप अपना स्टेट बजट

Page No 87

(श्री पी० के० चौधरी)

उठा कर देख लीजिये उसमें ये शामिल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह: जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री. पी. के. चौधरी: I beg to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी: I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ८७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८७ विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

क्लॉज ८८।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८८ स्वीकार जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८८ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज ८६।

डॉ० बहादुरसिंह

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। बैंक दो प्रकार के होते हैं रिजर्व बैंक की लिस्ट है उसमें शिड्यूल्ड और अनशिड्यूल्ड हैं। इस लिए रुपया शिड्यूल्य बैंक में ही रखा जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन डा० बहादुरसिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८६ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज ६०

प्रश्न यह कि क्लॉज ६० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६० विधेयक का अंग बनी

(विराम)

क्लॉज ६१

डॉ० बहादुरसिंह

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष-जी, इसमें मेरे कई संशोधन हैं। पहला संशोधन है !

Add the word 'marriages' after the word 'Registering'

पार्ट (n) में मेरेज शब्द और ऐड करना चाहिये ।

दूसरा पार्ट (x) में प्राइमरी शब्द हटाने का है:

Omit the word 'Primary'.

इसके बाद मेरा संशोधन है एक और क्लॉज जोड़ने के लिये: Add the new part (z) :

(z) Establishing and maintaining Libraries and Reading Rooms.'

रीडिंगरूम और लाइब्रेरी की स्थापना और उसको चलाने का भी काम म्युनिसिपेल्टीज़ का रहेगा । उसके बाद में एक दूसरी लिस्ट में Add new part (aa) .

(aa) Establishing and maintaining poor houses.

माननीय उपाध्यक्ष, यह सारे संशोधन बहुत जरूरी है । एक बोर्ड क्या काम करेगा । उस पर यह धारा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था कर चुके हैं कि बोर्ड रूल्स को बनावेगा । शादी, जन्म और मृत्यु के लिये रजिस्टर भी रखेंगे । मगर यहां पर शादी की बात रह गई है । मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे । दूसरा आपका म्युनिसिपल सब-क्लॉज़ में है (एक्स) में प्राइमरी स्कूल्स । मैंने प्राइमरी शब्द को हटाने के लिये कहा है । क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी कई म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जो हाई स्कूल भी रन करती हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि स्कूल्स ही रखा जाए और प्राईमरी का शब्द है वह हटा दिया जावे । लाइब्रेरी और रीडिंग रूम्स के लिये रूल्स बनेंगे । जो बोर्ड चाहे लाइब्रेरी रीडिंग रूम्स रन करना तो उसके लिये भी फंक्शन कर सकेगा ।

इसी प्रकार से एक और मेरा सन्शोधन है वह भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये और उसको समाप्त करने के लिये है । उसको आप कैसे समाप्त करेंगे । इसको आप जब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने खुद के पुअर हाउसेज़ न हों । जिस प्रकार की भारत सेवा समाज के पास रेन बसेरा है । मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी संशोधन है, और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इनको जरूर स्वीकार करेंगे ।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपका कोई संशोधन है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं इसका अपोज़ कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपना एमेन्डमेंट पहले मूव कर दूं। disposal of the dead के साथ साथ and of the carcasses of dead animals" एड कर दिया जावे। मैं समझता हूं कि यह साधारण सा एमेन्डमेंट है इसमें किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह एमेन्डमेंट अभी मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पेश तो आपने कभी कर दिये थे।

श्री श्रीमानसिंह : मैं यह सोच रहा था कि ६१ तक नम्बर नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : They have been submitted. So far as the question of thinking is concerned, it is there.

श्री श्रीमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेंट मैंने ड्यूटीज़ एन्ड फंक्शन्स में दिये हैं उनको री ड्राफटिंग करके दिये है। पहले के जो इसके प्राइमरी और सेकिन्डरी फंक्शन्स हैं, उनको देखें तो यह महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ एक तो ऐसे chaotic manner में ड्यूटीज़ एन्ड फंक्शन्स को रखा है बाकी के म्यूनिसिपेलिटी के फंक्शन्स हैं उनको ठीक तरह से डिफाइन किया जावे जैसे सेनिट्री फंक्शन्स हैं, हैल्थ के संबन्ध में उसके फंक्शन्स है और दूसरे पब्लिक वर्क को अन्डरटेक करने के लिये और तीसरा सोशियल सर्विसेज़ और चौथा बोर्ड शहरों के लिये लाइटनिंग का प्रबन्ध। इस प्रकार कई फंक्शन्स म्यूनिसिपेलिटी अन्डरटेक करती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे राजस्थान का म्यूनिसिपल बोर्ड है उसका प्राईमरी फंक्शन है, वह लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीटस आदि का है। वे इस तरह के हैं कि जिसको यदि म्यूनिसिपल बोर्ड अन्डरटेक नहीं करें तो वह अपना एग्ज़िस्टेन्स को नहीं रख सकता है। मैंने इन सारी बातों को री–ड्राफ्ट करके इस तरह से रखा है :

Delete part (a) of clause 94 and add the same here in the clause as part (a).

श्री भैरोंसिंह : Taken as read.

श्री श्रीमानसिंह : Add here part (c) of clause 94 as part (c) of of this clause.

(i) Part (q) : Delete the words 'hospitals and',

(ii) Part (t) : Insert the word 'Handicapped' before the words 'and cripples'.

(iii) Part (x) : Insert after the word 'maintaining' the words 'day nursuries and kindergarten and adequate', and after the word 'schools' add the words 'to provide free and compulsory primary education suitable to the age, ability and aptituted of the child.'

(iv) Add the following new parts after the part (x) :-

(श्री श्रीमानसिंह)

" (x) [i] fraing rules for the looking after of the health and the physical well being of children, and for providing medicalaid and treatment,

(x) [ii] making reasonable provision for milk, meals and rerfeshments for the children during school hours.

(x) (iii) providing for the transport of children to and from the school :

Provided that the Board shall charge for the services mentioned in clauses (x) [i] to (iii) of the Section in graduated proportion to the income of their parents whose children receive education in institutions run by or under the Municipality, but the Board shall not realise any payments from these parents who are not assessed to income-tax or whose income is Rs. 100/-or less."

(x) [iv] making necessary arrangements for the free and compulsory elementary education in special schools run for the education of the blind and the deaf and otherwise physically and mentally defective children. (x) [v] making its own arrangements or in co-operation with the State Government for part time instructions of the adults, free or with reasonable charges to meet the cost of providing this service."

Add the following new qarts after (y):

'(z) submitting, before execution to the State Government for approval, any scheme separately and an over all plan of improvement and development of its area, and

'(za) undertaking services to promote the cultural development of the people within its area which shall include, the maintenance of public libraries, museums, reading rooms, radio receiving stations and halls for music plays and dramas and dances, and any other service which the Board may choose'.

'(zb) taking measures for the relief of destitutes'.

(zc) promoting public health for infant welfare'

(zd) holding fairs and exhibitions :

Provided that where the State Govt. holds such fairs and exhibitions within the Municipal limits, the income from them shall be given to the Board after deducting the expenses incurred by it'.

(ze) constructing, establishing, maintaining or contributing to the maintenance of public parks, gardens dharmshalas, rest houses, encamping grounds and other public buildings and places.'

'(zf) encouraging and developing local trade and local industry'.

(श्री श्रीमानसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, यह फंक्शन मैंने जो बोर्ड के है, उनको रीडिफाइन करके रखें हैं और इसलिये रखा है कि आज कल जितनी भी हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है जिस रोल को अभी हमारे यहां की म्युनिसिपैलिटीज प्ले नहीं कर पाई हैं क्योंकि लाइटिंग वगैरा का थोड़ा बहुत फंक्शन करके वे समझते हैं कि उन्होंने अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। लेकिन सबसे पहले हम हैल्थ की तरफ देखें। बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी है चाहे वह बड़ी म्युनिसिपैलिटी हो चाहे छोटी हो लेकिन अभी तक इस रेस्पोन्सिबिलिटी को नहीं संभाला है। नतीजा यह होता है कि जिन पर हम हमारा देश या प्रान्त का भविष्य बनाना चाहते हैं और जिन चिल्ड्रन को हम फ्युचर में एक बहुत अच्छे सिटीजन देखना चाहते हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिये फैसिलीटीज म्युनिसिपैलिटीज को देनी चाहिये। आज हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उन सब को देखते हुए यह भी म्युनिसिपैलिटीज का कार्य है कि अपने एरिया में, अपने म्युनिसिपल क्षेत्र में फ्री और कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन रखे। उन सब को देख कर मैंने इम्पोर्टेन्स बच्चों को दी है। कोई ऐसा हो सकता है जिनके बच्चे न हों उनका केस माननीय सदस्य खुद ही पुट अप कर सकते हैं, फिर भी ऐसा रखा

(हंसी)

जाय कि आज मदरसों में एक प्रथा है और वह यह है कि सुबह से ही स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनके पेरेन्ट्स लन्च ऑवर्स पर या रिफ्रेशमेन्ट टाइम पर रिफ्रेशमेंट भेजते हैं, वे बच्चे वहां रिफ्रेशमेंट लाते हैं, मैं कम से कम इस प्रथा के खिलाफ हूँ। इससे एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। उस स्कूल में एक स्ट्रेटा के आदमी भेजते हैं लेकिन उसमें भी आमदनी में फर्क होता है। डिफरेन्ट टाइप के मील्स जाते हैं और जब छोटे छोटे बच्चे उन मील्स का आपस में जिक्र करते हैं और जब किसी का इन्फीरियर टाइप का मील होता है तो उन बच्चों में एक प्रकार से इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है। उसको रोकने के लिए मैंने यह सुझाव रखा है कि जो बच्चे पढ़ने जांय व घर से रिफ्रेशमेंट न ले जांय बल्कि म्युनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड करें क्योंकि शिक्षा गरीब आदमी भी अपने बच्चों को देना चाहता है और अमीर आदमी भी अपने बच्चों को देना चाहता है, लेकिन उस स्कूल में यदि अन्डरनरिस्ड चाइल्ड जाता है तो वह कितना ही इन्टलीजेन्ट हो तब भी फीजिकल डिसएबिलिटी होती है क्योंकि उसके लिए उसके पास उसका प्रोविज़न नहीं है। इसलिए स्कूल ऑवर्स में ७ से ११ या ११ से ५ तक कोई भी ऑवर्स रखें, जब रिफ्रेशमेंट का टाइम हो म्युनिसिपैलिटी अपने फन्ड से प्रोवाइड करे। यही नहीं उनके लिए मिल्क का प्रोविजन होना चाहिये। यह कहा जाता है कि आजकल म्युनिसिपैलिटीज़ के पास फन्ड्स नहीं हैं, लेकिन फन्ड्स हैं म्युनिसिपैलिटीज़ में और मैंने इसीलिए प्रावधान रखा है, उन सर्विसेज़ को म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड करे जो कि ओबलीगेटरी सर्विसेज़ रखी हैं, इसके लिए म्युनिसिपैलिटीज़ टैक्स वसूल कर सकती हैं। स्पेशल लेवी, सेस की तरह ले सकती है। इसके लिए एक

(श्री श्रीभानसिंह)

माप दंड होना चाहिये कि कौन आदमी पे कर सकता है और कौन आदमी पे नहीं कर सकता है । जो आदमी इनकम टैक्स पे करते होंगे, उन को म्युनिसिपैलिटीज़ टैक्स करें, उन स्कूलों में जो म्युनिसिपेलिटी खुद रन करती है, जिससे उन बच्चों को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाय तो, मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी उसको खराब टैक्स नहीं समझेगी और रिजेन्ट नहीं करेगी । इनको देखते हुए बच्चों की एजुकेशन का एडल्ट्स की एजुकेशन का जो फाइनेन्शियल लोड म्युनिसिपेलिटीज़ पर आने वाला है, जो म्युनिसिपेलिटीज़ पर फाइनेन्शियल बर्डन आने वाला है, उसके लिए टैक्स के लिए प्रोविज़न किया है । आज कल हम देखते हैं, किसी शहर में चले जाइये, बैगर्स की, डेस्टिट्युट्स की एक प्रोब्लम क्रीयेट होती जा रही है । जब हम एक तरफ डेमोक्रेटिक स्टेट, कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ाना चाहते हैं, समाजवादी समाज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कोरी बातों से उसको एस्टेब्लिश नहीं करना होगा । लेकिन हमको ओल्वर्ट देखने होंगे, साइन्स देखने होंगे कि आदमी कन्वीन्स हो कि कहां तक समाजवाद लाना चाहते हैं, इक्वेलिटी को रेस्टोर करना चाहते हैं, इसको डेमोक्रेसी कहा जाय, जो इनकोनोमिक गेन्स हैं उनको पुअरेस्ट आदमी तक लेजाना चाहते हैं, उसके लिये यह जरूरी है कि उसको एक प्रेक्टिकल रूप दें, और वह तब ही दे सकते हैं जब कि हम पोलीसीज़ मान कर, चाहे वह म्युनिसिपेलिटी की हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो या व्यक्ति लेवल पर हो, वो ऐसी हो जो समाजवाद की ओर ले जाये, आदमी को कन्वीन्स करे, जो डेस्टिट्युट्स की प्रोब्लम है, स्टेट या म्युनिसिपेलिटी यह समझले कि यह रेस्पोन्सिबिलिटी उस पर है । डेस्टिट्युट्स किस प्रकार होंगे,डेफ, डम और क्रिपल कैसे होते हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी स्टेट को लेनी पड़ेगी और स्टेट नहीं तो जो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युशन्स हैं उनको लेनी पड़ेगी और उसके लिए म्युनिसिपेलिटी सबसे अच्छी इन्स्टीट्युशन समझी जासकती है जितने क्रपल्ड या डिसएबल्ड आदमी है उनको उस बैगारी और डेस्टिट्यूशन से रोकने के लिए, जो एक इस प्रकार की एपेडेमिक फैली हुई है, उसको रोकने के लिए, उनकी म्युनिसिपेलिटीज़ पर रेस्पोन्सिबिलिटी रखनी होगी और उसके लिए फन्ड्स चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या म्युनिसिपेलिटी टैक्स लेवी करे । यह समाज की रेस्पोन्सिबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि उसको समाज रिजेन्ट नहीं करेगा ।

दूसरा नर्सरी के लिये रखा है । मैं देखता हूं, कम से कम जयपुर शहर में, जब कभी मुझे मेटेनी शो में जाना होता है, उसका मेरा अनुभव है कि शायद मुश्किल से साल भर का बच्चा या दो साल के बच्चे को मदर्स, पेरेन्ट्स सिनेमा में लाते हैं । मैं नहीं समझता वहां आकर बच्चे क्या समझेंगे ।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : वहां उनको अच्छी स्लीप मिलती है ।

श्री श्रीभानसिंह : कहीं इम्पोर्टेन्ट जगह जाते हैं वहां उनको लेजाना पड़ता है । इसलिये म्युनिसिपेलिटीज़ के लिए यह अनिवार्य रखा जाय कि बच्चों के लिए नर्सरी, किन्डरगार्टन स्कूल वह रन करें ।

(श्री श्रीमानसिंह)

जो कम्युनिस्ट थौट के होंगे, समाजवादी समाज के थौट के होंगे वे मुझे सपोर्ट करेंगे कि यदि पेरेन्ट्स को कहीं जाना हो तो बच्चों को वहां छोड़ जांय और वे अपना काम कर सकते हैं। एक तरफ हमने समाजवादी समाज की स्थापना की है, दूसरी तरफ देश में नौकर प्रथा है। बच्चों को नौकर के नाम से नौकर रखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स नौकर रखते हैं, यह प्रथा खत्म होनी है, यह खत्म नहीं होने जा रही है इसलिए इसको खत्म करना होगा। इसलिए बच्चों के लिए यह प्रोविज़न रखना होगा, पेरेन्ट्स कहीं जांय, ऑफिस में जांय, या जहां कहीं मनोरंजन के लिए जांय, उनका बच्चों को लेजाना जरूरी न हो। वे बच्चों को नर्सरी में छोड़ जांय और पेरेन्ट्स लौटें तब तक उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी स्टेट की हो या म्युनिसिपेलिटी की हो। यही देखते हुए मैंने यह प्रावधान रखा है।

आज हम देखते हैं कि हमारे यहां पर किसी भी म्युनिसिपेलिटी से हम यह पूछें कि आखिर आपके शहर को डेवलप करने के क्या प्लान्स हैं, सिवाय इसके डे टु डे रूटीन्स के, इस मोहल्ले की गली पक्की बना देना, यह चीज़ बना देना फेवरिटिज्म कर देना, ऐसी व्यवस्था है और उसको सुधारने के लिये जब हम एक तरफ कहते हैं कि प्लानिंग के युग में Planning has come to stay in our country. और जब हम इस चीज़ को प्लान के ज़रिये से एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, ओरडीनरी मेनर में, जो टार्गेट्स एचीव करना चाहते है, या जिस तरह से शहर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिये आज म्युनिसिपेलिटीज़ के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास इम्प्रूवमेंट की कोई योजना नहीं है।

मैंने यह सुझाव रखा है जितने भी म्युनिसिपल बोर्डस हैं, उनके लिये यह ओबलिगेटरी होगा कि वह अपने पूरे एरिया के लिये एक ओवर आल प्लान बनाये और उसके अनुसार जो भी इम्प्रूवमेंट करने हों वह सब जनता के सामने आये। म्युनिसिपल मेम्बर जब चुने जाते हैं वे कभी भी अपने इलेक्टोरेट को यह प्रोमीज़ नहीं करते सिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वे क्या क्या करने जा रहे हैं। जब किसी शहर के इम्प्रूवमेंट के लिये प्लान बनता है तो, हो सकता है उस प्लान के रिसोर्सेज़ को म्युनिसिपेलिटी मीट आउट नहीं कर सके। उन रिसोर्सेज़ के लिये स्टेट गवर्नमेंट को ऐप्रोच कर सकते हैं, और उनको कहा जा सकता है कि यह तो हमारे रिसोर्स हैं और यह हमें चाहिये। अगर कोई म्युनिसिपेलिटी बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहती है तो वह अपना प्लान राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट करें और जो जो अपने रिसोर्सेज़ है वह बता दे और उसके बाद प्लान को एक्जीक्यूट करें। आज डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के पास भी एक म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया के रिसोर्सेज़ क्या हैं, उसकी पोज़ीशन क्लीअर नहीं। और वह तब तक नहीं हो सकती जब तक कि प्लॉन का ड्राफ्ट न हो। प्लॉन द्वारा अगर तय हो जाता है तो शहर की क्लीयर पिक्चर सरकार के पास मौजूद रहती हैं। इसमें भी मैंने यही प्रोविज़न रखा है कि हर एक म्युनिसिपल बोर्ड अपने शहर का ओवर आल प्लान बनाये और उसी के अनुसार वह कार्य करे। सिटी

(श्री श्रीभानसिंह)

इम्प्रूवमेंट के साथ यह अनिवार्य हैं कि सिटी का इकोनोमिक डवेलपमेंट कैसा होगा इसका सेपेरेट फंक्शन रखा है। स्टेट ट्रेडिंग एन्टरप्राइजेज़ स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करके उसको ले। म्युनिसिपेलिटी के अन्दर टैक्सेशन के प्रोवीज़न को आप देखेंगे तो जो म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगाती है और जो जो टैक्सेज़ लगायगी उसमें मैंने सर्टन डायरेक्ट टैक्सेज़ रखे हैं। तीन चार लगाना तो ऑब्लिगेटरी होगा। आज हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेज़ लगाते हैं उनसे रिजेन्टमेंट होता है। उसको दूर करने के लिये हरेक म्युनिसिपेलिटी के लिये यह लाज़िमी है कि वह म्युनिसिपिल ट्रेड अपनाये। दूसरे देशों के अन्दर हम देखेंगे होटल्स की जो सर्विसेज़ हैं वह सब म्युनिसिपेलिटी प्रोवाइड करती है। राजस्थान के अन्दर कोई ऐसी सर्विस नहीं कोई म्युनिसिपलट्रेड नहीं जिससे कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड इनकम ड्रॉ करते हों। मैं निश्चत रूपसे कह सकता हूं कि जो म्युनिसिपेल बोर्ड के टेक्सेज के सोसेर्स हैं वे इतने ज्यादा नहीं इसलिये स्टेट ट्रेडिंग को रिसोर्ट करना होगा। मगर जयपुर के अन्दर जहां कमल एण्ड कम्पनी को सिटी ट्रान्सोपोर्ट के लिये लीज़ दे सकते हैं, क्यों नहीं यहां का म्युनिसिपल बोर्ड सिटी बस सर्विस चालू कर सके। राजस्थान होटल है उसकी इन्कम राजस्थान गवर्नमेन्ट को जाती है लेकिन क्या उस प्रकार के होटल म्युनिसिपल बोर्ड रन करे तो वह आमदनी उनके पास आ सकती है। आज सिनेमा को ही ले लीजिये। एक प्राइवेट पार्टी सिनेमा चलाकर लाखों रुपये की आमदनी कर सकती है, मैं नहीं समझता यदि उसको म्युनिसिपैलिटी चलाती है तो उसको आमदनी न हो। इलेक्ट्रिसिटी के अन्डरटेकिंग का प्रश्न है। जब आप इस प्रिन्सिपल को मानते हैं तो जो म्युनिसिपेलिटी इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को एन्टरप्राइज़ के रूप में चालू करना चाहे तो मैं समझता हूं सरकार को पर्मिशन देने मे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चहिये। आज अन्य देश हैं जहां डेयरीज का ताल्लुक है वे डेयरीज म्युनिसिपेलिटियां चलाती हैं। आपके यहां शायद कोई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर नहीं होगा जहां गवर्नमेन्ट की डेयरी हो। आज जो मुल्क की प्रोब्लेम है आप सब जानते हैं कि कितना मिल्क पर केपिटा प्रोडक्शन और कन्जम्पशन होता है। अगर मैं आपको प्रोडक्शन के आंकड़े ही बतादूं अपने स्टेट के बच्चे हैं उनको दूध जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। मेरा यह निवेदन है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये यह कम्पलसरी हो कि वह डेयरीज रन करे। डेयरीज स्कूल के बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करे अपने स्टेट के बेनिफिट के लिये मैं समझता हूं अगर म्युनिसिपैलिटीयां मिल्क प्रोवाइड करती हैं तो क्या खराबी करती है? मैंने ये उदाहरण दिये हैं जिनको म्युनिसिपल बोर्ड अन्डरटेक कर सकता है। इससे मैं यह मानकर चलता हूँ कि इससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी बढ़ेगी। जितने भी फंक्शन्स मैंने बताये वे सब ऑब्लिगेटरी फंक्शन्स है, इसको अन्डरटेक करने मे कोई हर्ज नही होगा।

कल्चरल फंक्शन्स को देखा। जाय मैं देखता हूं कहीं भी म्युनिसिपेलिटी एग्ज़ीक्यूट नहीं करती। जहां इस कारण एक तरफ तो सोशियल सरविसेज को नेगलेक्ट करते हैं दूसरी तरफ स्टेट ट्रेडिंग को भी नेगलेक्ट किया

(श्री श्रीमानसिंह)

जाता है मेडिकल हैल्थ साइड को भी नेगलेक्ट करते हैं कल्चरल साइड को इसप्रकार से नेगलेक्ट करें तो हमारे सामने आखिर जाकर प्रश्न यह आता है, कि आखिर म्युनिसिपेलिटी करती क्या है। ओक्ट्रोय आदि टैक्सेज़ से जो आमदनी होती है उसको यूटिलाइज़ किस प्रकार से किया जाता है। म्युनिसिपेलिटी का सब से पहला रोल कल्चरल होना चाहिये। लोकल पीपुल किस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम में रूचि लेते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाय जो लोकल पीपुल लाइक करे और उनका मनोरंजन हो सके। इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम ड्रामा के ज़रिये और किसी तरह से जिस तरह से भी म्युनिसिपल बोर्ड बिफिटिंग समझे कलचर प्रोग्राम को प्रोत्साहन देना चाहिये। आज हम देखते क्या हैं कि कल्चरल प्रोग्राम जितने भी हैं वे सब स्टेट गवर्नमेन्ट के थ्रू किये जाते हैं जैसे इन्डीपेडेन्स डे है, राजस्थान डे है, ये वास्तव में म्युनिसिपेलिटी के फंक्शन्स हैं। आखिर जयपुर शहर के लिये क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन मिल सकता है यह यहां के म्युनिसिपेलिटी के देखने की बात है। तो लोकल जो फंक्शन्स हों वे ऐसे होने चाहिये जो लोकल आदमियों की रिक्वायरमेन्टस को फुलफिल कर सकें। उसकी एक फेमीली के मनोरंजन के लिये, उस एरिया के लोगों के मनोरंजन के लिये, एब्सोल्यूटली जो मिनिम्म कन्सीडरेशन्स हैं उन्हें म्युनिसिपेलिटी के फंक्शन में रखना पड़ेगा।

इसके अलावा जहां तक एग्ज़ीबीशन का ताल्लुक है इसके लिये मैं भरतपुर का इन्स्टान्स देकर आपको समझाऊंगा। भरतपुर के अन्दर जो एग्ज़ीबीशन होती है, वह म्युनिसिपल एरिया के अन्दर होती है। कभी उसको कस्टम डिपार्टमेन्ट चलाता था, कभी एक्साइज़ फिर उसके बाद एग्रीकलचर विभाग ने अपने अन्दर में लिया और आजकल वह वेटरनरी के अन्दर में पहुँच गया है। लेकिन उसकी सेनीटेशन को लुक आफ्टर करना, बिल्डिंग्ज़ की सफाई रखना वगैरह मेन्टीनेन्स का काम उसके लुक आफ्टर का काम म्युनिसिपेलटी करती है। लेकिन उससे जो दो लाख रुपये की इन्कम होती है वह वेटरनरी डिपार्टमेन्ट ले जाता है। जब हम कल्चरल प्रोग्राम्स सब म्युनिसिपल के अन्दर में रख देते हैं, छोटी मोटी एग्ज़ीबिशन का करना भी म्युनिसिपेलिटी की ड्यूटीज़ हैं। कई जगह तो इस प्रकार के फंक्शन पंचायतों को सौंप रखे हैं। एक तरफ तो आप पंचायतों को इस प्रकार के अधिकार दे देते हैं दूसरी तरफ म्युनिसिपेलिटी को इस प्रकार की पर्मिशन नहीं देकर एग्ज़ीबीशन्स उनको न करने देकर स्टेट गवर्नमेन्ट करती है, तो यह म्युनिसिपेलिटी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। जब कि भरतपुर की एग्ज़ीबिशन से जो डेढ़ दो लाख की इन्कम होती है अगर उस रकम को वहां के इम्प्रूवमेन्ट के लिये खर्च किया जाता है तो वहां की जनता को बेनीफिट मिल सकता है। उस छोटी सी रकम को आप सारे राजस्थान के लिये खर्च करते हैं तो उससे राजस्थान को कोई ज्यादा बेनीफिट मिलने वाला नहीं। लोकल एरिया के अन्दर जो लोकल इन्कम आती है हम उसको लोकेलाइज़ नहीं कर सकते कि इस एरिया की जो इन्कम आयी है उस इन्कम को राजस्थान गवर्नमेन्ट ले, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। भरतपुर में जो

(श्री श्रीभानसिंह)

एग्ज़ीबिशन लगती है उससे जो अमदनी होती है उसके लिये वहां की म्युनिसिपेलिटी सरकार से यह मांग क्यों न करें कि वहां की जनता से जो पैसा आता है वह वहां की जनता के लिये खर्च करें। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें सोचना है और जो म्युनिसिपेलिटी पर हम फंक्शन डालना चाहते हैं इससे वह सक्रिय होगी, कुछ काम करेगी।

तीसरी तरफ इन फंक्शन्स से एक दम भारी बोझा उस पर न आ जावे इसके लिये स्पेशल फंक्शन्स रक्खे हैं, फाइनेन्सियल प्रोवीज़न्स रक्खे हैं जिससे कि पैसा इकट्ठा करके उन फंक्शन्स को पूरा कर सके।

३.५० म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

बहुत सी जगह विदेशों में ये फंक्शन्स म्युनिसिपल फंक्शन्स हैं और वे उन्हें बड़ी एफीसियेन्टली डिस्चार्ज कर रहे हैं। इससे उनके प्रति हमें एक श्रद्धा और फेथ क्रीएट होता है कि वे ऐसे कार्य करते हैं। आजकल जब कभी म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं तो मैं देखता हूं, कि एक सिटिजन को म्यूनिसिपैलिटी में फेथ नहीं है। वह यह समझता है कि म्यूनिसिपैलिटी का फंक्शन केवल टैक्स क्लेक्ट करना है और उसका दुरुपयोग करना है, वेस्ट करना है, मिस-एप्रोप्रियेशन करना है, चेयरमैन के जो मर्जीदान मेम्बर हैं उनके एरिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देना है, टट्टी साफ कर देना है, सड़कों पर झाड़ू लगा देना है, कहीं बत्ती नहीं है तो बत्ती लगा देना है, नल टूट गया है तो नल कहीं लगा देना है। बस इस तरह के, ये थोड़े से काम हैं जो उनको करना है। साढ़े सात साल हो गये मुझे जयपुर में। मैंने शायद इतना गन्दा शहर कहीं नहीं देखा होगा, जैसा कि राजस्थान की कैपिटल का शहर है। मेन स्ट्रीट्स पर बदबू आती है, और गलियों में तो आप चले जावें तो ठीक तरह से निकल कर नहीं आ सकते हैं। उनमें रहने वाले इन्सान बिचारे किस तरह चौबीस घंटे बिताते होंगे, यह वे ही जानते हैं। आखिर करोड़ दो करोड़ जो भी कुछ जयपुर म्युनिसिपेलिटी टैक्स क्लेक्ट कर रही है वह किस लिये कर रही है जनता को अपने एग्जिस्टेन्स का क्या परिचय दे रही है। उनको कहा जाता है तो जवाब देते हैं हमें करने को फंक्शन्स दिये हुए हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो गया कहीं तो वह लगा देते हैं, वाटर टैप खराब हो गया तो ठीक कर देते हैं, ज्यादा कीचड़ और गन्दगी कहीं भर गई तो उसको निकाल देते हैं, सड़कों पर झाडू लगवा देते हैं। बस हो गया हमारा काम।

आप स्टेशन से लेकर कहीं भी चले आइये। मिर्जा इस्माइल रोड पर। चार छः साल के बच्चे, लोगों के सामने हाथ पसारते हुए भीख मांगते, पैसा मांगते मिलेंगे आपको। साम्यवादी ढांचे में जो अगर हम अपने इन बच्चों को इम्प्रूव न कर सके, इनकी आदतों को सुधार न सके, भिखमंगों को उठाकर ठीक सिटिजन न बना सके तो आप क्या करने को हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि देश का भविष्य उज्ज्वल है। जिन चीजों पर हम अपना फोकस निर्द्धारित करते हैं, जिनके लिये हम आगे बढ़ना चाहते

(श्री श्रीभानसिंह)

हैं, जिनके लिये आज के जनरेशन से सेक्रिफाइस मांगते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आज सेक्रिफाइस का जमाना है, जिससे कि भारत हमारा जो है उसका भविष्य उज्ज्वल हो, तो आप फ्यूचर किस के लिये उज्वल चाहते हैं। उज्ज्वल भविष्य किसके कन्धे पर बनावेंगे, या रेस्ट करेंगे। वह आप किन पर करेंगे ? आज जो मिर्जा इस्माइल रोड पर पैसा मांगते हैं उनके लिये करेंगे, उनके कन्धों पर करेंगे ? किस पर करेंगे ? आज आप उनके लिये पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, खाने के लिये और पहनने के लिये, खाने और कपड़े की व्यवस्था करेंगे, उनके पेरेन्ट्स के पास पैसा नहीं, किसके लिये क्या करेंगे ? क्या कुछ पैसे वालों के लिये करना चाहते हैं ? उनके लिये तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। इनके लिये करना है। तो वह रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरह का फंक्शन नहीं। उसके पास इसका स्टेटिस्टिक्स भी नहीं।

श्री मदनसिंह (दातां रामगढ़) : महात्मा विनोबा भावे का है, जो मांग मांग कर ऐसी चीजें चलाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : स्टेट गवर्नमेंट इस फंक्शन को फुलफिल नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इसके स्टेटिस्टिक्स नहीं। फिर कौन सी एजेन्सी हो सकती है। म्युनिसिपैलिटी इसके स्टेटिस्टिक्स गेदर कर सकती है। कारण क्या है आखिर इस चीज़ का ? ये बच्चे भीख मांगते हैं, या कुछ भी उनकी हालत है इसका कारण क्या है ? म्युनिसिपेलिटी सही कारण देख सकती है। इस डिज़ीज़ का क्योर म्यूनिसिपल इन्स्टिट्यूशन्स हैं। आज राजस्थान गवर्नमेंट ने इतना बडा काम करने का फंक्शन ही नहीं दिया। पॉवर ही नहीं दी। यह उनको कहने के लिये आज एक्सक्यूज मिल जाता है। तो आप ये पावर म्युनिसिपल को दें। विदेशों में भी ये फंक्शन्स म्युनिसिपल के हैं। उनको बाध्य करें। सोशल सर्विस टॉप मोस्ट फंक्शन होना चाहिये, दूसरा मेडिकल हैल्थ, तीसरा चाइल्ड वेल फेयर, चौथा कलचरल एक्टिविटीज, पांचवां एग्ज़ीबिशन करना, शिक्षा वगैरह देना होना चाहिये।

छुटा फंक्शन है और वह है एक स्टेट का इकोनोमिक डवेलपमेंट। इकोनोमिक डवेलपमेंट में इन्डस्ट्रियल जो कुछ भी है क्लासिफाई कर दें। मीन्स उनके डिस्पोजल पर रखने पड़ेंगे। फंक्शन और मीन्स रख देते हैं तो गारन्टी करता हूं कि जितने लोकल एलेमेंट आते हैं वे आपको कभी भी इससे डिसअपॉइन्ट नहीं होने देंगे। अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में आप उन पर विश्वास करिये।

But once you must trust them and trust them with the responsibility and place funds at their disposal.

अब आप यह कह सकते हैं कि सब चीजें देते हुए, आपने फंक्शन नहीं दिये। तो आज फेथ क्रीएट करने के लिये डेमोक्रेसी में फेथ क्रीएट करने के लिये समाजवाद को धीरे धीरे आगे ले जाने के लिए, एक प्रोक्टिकल रूप उसको देने के लिए, एक कल्याणकारी राज को क्रियान्वित करने के लिए ये फंक्शन्स मैंने रक्खे हैं।

(श्री श्रीमानसिंह)

मैं सदन के सामने प्रस्ताव करता हूँ कि इस फॉर्म में माननीय सदस्य मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं बयाना से आये सदस्य के संशोधन का इन टोटो सपोर्ट करता हूं । सभापति महोदय, जो ड्यूटीज रक्खी गई है उनके द्वारा उनको एक बार पढ़ जाने से पहला असर पढ़ने वाले के दिमाग पर यह पड़ता है कि म्युनिसिपैलिटी को झाडू लगाने और डेड बोडिज रिमूव करने के अलावा यह नेगेटिव एटीट्युड छोड़ कर कुछ पोजिटिव प्रोग्राम लेना चाहिये । पर नेगेटिव को छोडकर पोजिटिव प्रोग्राम का कहीं इसमें जिक्र नहीं है । आप लाइटिंग से शुरु करिये । वाटरिंग है, इसके बाद cleaning public streets and places, removing filth, rubbish, night-soil, odour, extinguishing fires and protecting life and property when fire occurs;

Regulating offensive or dangerous trades.. removing obstructions and projections in public streets...securing or removing dangerous buildings or places...then come constructing public latrines, etc-

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझनूं): यह कन्स्ट्रक्टिव आगया ।

श्री पी० के० चौधरी : तो एक दफा बढ़ने के बाद जो इम्प्रेशन अपने दिमाग में आता है तो वह आता है कि म्युनिसिपल बोर्ड को कोई कन्स्ट्रक्टिव फंक्शन नहीं दिया जावे । और दिया है तो टट्टी उठाने का, फिल्द रिमूव करने का, डैडबोडी रिमूव करने वगैरह ये सब बातें इसमें दी हैं ।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फंक्शन बताये हैं वे ऐसे हैं कि आज हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देने का नारा लगाते हैं, इतना ही नहीं, हम डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं । आज जो सरकारी मशीनरी फंट जैसी हो गई है तो इस डिसेन्ट्रे लाइजेशन ऑफ पॉवर की पॉलीसी को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए आज हम जाकर पंचायतों को ज़्यादा पॉवर दे रहे हैं ।

It has become almost ideal principle.

४ म० प०

या कुछ भी आप कहें । डीसेन्ट्रेलाइजेशन के प्रिन्सिपल को हम गांवों में तो मानते हैं, उसका प्रयोग रूरल एरिया में तो कर रहे हैं । यह कहते है कि पंचायतों को जो पावर्स आज देने जारहे हैं उसका उपयोग वह नहीं कर पाती हैं या करने के लिए उनको ट्रेनिंग नहीं हैं । वहां तो हम कहते हैं कि उनको जब हम मौका नहीं देंगे तो वह कहां से सीखेंगे ? आदमी जब पानी में ही नहीं उतरेगा तो तैरना कैसे सीखेगा ? वहां के लिए तो आप यह दलील देते हैं लेकिन जो सिटीज है जहां म्युनिसिपेलिटीज हैं और जहां पर मैं मानता हूँ कि सारे के सारे एज्यूकेटेड पर्सन्स हैं, ट्रेन्ड परसोनल्स हैं या जिनमें कुछ काम करने की एबिलिटी है और जो लोग दुनिया के कम्पीटीशन को भी फेश करके दुनिया में रह सकते हैं ऐसे लोग जहां रहते हैं वहां हम

(श्री पी० के० चौधरी)

यह पावर्स देने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए डीसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स का सवाल नहीं आता है ? उनके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सवाल नहीं आता है। उनके लिये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट रखी है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिर्फ स्केवेन्जिग का है। No constructive work we have left to municipalities. तो इस लिए सभापति महोदय, मेरी राय है कि आज जब हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और सभापति महोदय जैसी आपको जानकारी है कि सेकिण्ड अक्टूबर से हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को खत्म करने जा रहे हैं, और उसको खत्म करके नया ढांचा जो बलवन्त राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की है, कि पंचायतों को ज्यादा पावर्स दिये जायं और ज्यादा साधन दिये जाने चाहिये लेकिन दूसरी ओर उसके सामने फिलासाफी यह है कि जब तक लोगों को आप पावर्स नहीं देगें, उनको रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तब तक उनका जो इनीशियेटिव और कॉन्ट्रीब्यूशन है डवेलपमेंट के काम के लिए वह आपको नहीं मिल सकता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो प्रिन्सिपल्स हम गांवों में लागू करना चाहते हैं, जो प्रिन्सिपल्स हम राजस्थान की ६०, ७० या ८० पर्सेंट पोपुलेशन जो गांवों में रहती है उसके लिये जो प्रिन्सिपल लागू करना चाहते हैं To give more powers to the local man, local institutions आज उस फिलासफी को कैसे डाइग्रैस करा जाता है। हम क्यों नहीं उसको शहरों में लागू करते हैं। why dou yo divest from here.? अब उसके लिए मेरे ख्याल से कोई यूआॅर्गमेंट माननीय मन्त्री महोदय के पास या सरकार के पास नहीं होगा कि शहर के जो लोग हैं वह अनफिट हैं, अन ट्रेन्ड हैं या उनको एबेलिटी नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि आज भी उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग हैं They are all products of towns and cities. तो आज जो अर्बन एरिया है उसके लिए कहते हैं, उनके अन्दर एबेलिटी नहीं है. ऐसा आग्यूमेंट मैं आपको बताऊं एप्लीकेबल नहीं होगा यहां पर। इसलिए मेरी यह निश्चित राय है कि यह जो फंक्शन्स हैं जो इस अमेंडमेंट के जरिये यहां पेश किए गये हैं, इन फंक्शन्सन्स को भी म्युनिसिपल बोर्ड की ड्यूटी और फंक्शन्स में इन्क्ल्यूड करना चाहिये। अगर आप इनको इन्क्ल्यूड नहीं करेंगे तो फिर हमें मानकर चलना चाहिये कि हमारी जो स्टेट है और उसके जो सबसे ज्यादा इन्टेलीजेन्ट पर्सन्स हैं और जो सबसे ज्यादा इन्टेलीजेन्ट सेक्शन है पोपुलेशन का उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं। To have experience of the local self government, to contribute their best to the development work.

इस बात को सब मानते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी सोसाइटी का पूरा पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन, होल हार्टेड कोआॅपरेशन आपको तब तक नहीं मिल सकता है, जब तक आप उसको You don't make him a partner in the enterprise.

तो इसके लिए जिस उसूल को हम ग्राम पंचायतों के लिए लागू करना चाहते हैं, हमने बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है और इस डीसेन्ट्रेलाइजेशन आॅफ पॉवर्स के सिद्धान्त को माना है तो

(श्री पी० के चौधरी)

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कॉन्सटेन्ट रहे अपने बिहेवियर में और उन प्रिन्सिपल्स को शहरों में भी लागू करे।

दूसरी बात सभापति महोदय, कुछ फंक्शन्स अमेन्डमेन्ट में मेन्शन किये गए हैं जैसे कि एन्टर प्राइज़ चलाना। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बढ़िया सुझाव है। अगर आप एन्टर प्राइज़ चलाने का म्युनिसिपेलिटीज़ को मौका देंगे तो मैं मानता हूं कि स्टेट एन्टरप्राइज़ से भी वह ज्यादा अच्छा चल सकता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो सुपरविजन है वह इम्पर्सनल है और म्युनिसिपेलिटीज़ का जो सुपरविजन होगा वह पर्सनल रहेगा। आज गवर्नमेंट का सुपरविजन जो गवर्नमेंट एन्टरप्राइज़ पर होता है उसके ऊपर पब्लिक का कन्ट्रोल नहीं है और न उसमें इन्सपेक्शन होता है। सभापति महोदय, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक इन्सटेन्स देना चाहता हूं: बसेज़ के बारे में। अगर बसेज़ म्युनिसिपैलिटीज़ चलाये, तो हमने देखा है कि जो बस पैसेंजर्स होते हैं they make more demands. Their demands on the quality of service is more exacting than their demands on the quality of bus service owned by private citizens. इसलिए हम देखते हैं कि जब लोकल एन्टरप्राइज़ होता है, म्युनिसिपैलिटी एन्टरप्राइज़ रहेगा तो म्युनिसिपैलिटीज़ का रेज़ीडेन्ट है उनकी निगाह कड़ी रहती है By their criticism they try to improve the service इस सिलसिले में सभापति महोदय, मैं अपने एक्सपीरियन्स से एक बात बताता हूं। बम्बई प्रोविन्स के अहमदाबाद में जो आठ दस साल से बस सर्विस है उसको म्युनिसिपेलाईज़ कर लिया गया है। याने म्युनिपैलिटी अहमदाबाद की बस सर्विस को चलाती है जो पहले बस कम्पनी थी वह प्राइवेट थी। लेकिन वहां की म्युनिसिपेलिटी ने फैसला किया कि शहर को जो बस सर्विस है उसको हम चलायेंगे। तो म्युनिसिपेलिटी ने बस सर्विस को अपने हाथ में लेने के बाद में उन्होंने लार्जर नम्बर आफ बसेज रखा। उन्होंने टाइमिंग का शिड्यूल तैयार किया।

कन्डक्टर्स के बिहेवियर में जरा सी भी डिस्कर्टसी होती तो लोग ऑब्जेक्शन लेते थे। उनको इस तरह की फीलिंग होती थी कि बस सर्विस हमारी है और हमारी मिल्कियत है। प्राईवेट ओनर्स की जो चलाई हुई बसेज थी उनके खराब होते हुए भी उनको कुछ नहीं कह सकते थे उसका नतीजा यह हुआ कि आज ८ साल से वहां कि बस सर्विस ने इतनी तरक्की की है कि ८ साल पहले जो प्राईवेट कम्पनी बसेज चलाती थी और उस समय जो हालत थी उससे जो आज हालत है उसमें दिन रात का फर्क है। सारा का सारा उसका ढांचा ही बदल गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी जो बस सर्विसेज हैं या दूसरे जैसे डेयरिंग के लिए मेरे मित्र ने कहा है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटीज पर छोड़ेंगे तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज हम यह देखते हैं, और हम यह महसूस करें कि गवर्नमेन्ट प्रोपर्टी जो है वह जनता की प्रोपर्टी है। आज रेलवे के अन्दर एडवर्टाइजमेन्ट तो करते हैं कि रेलवे बिलांग्स टू यू यह आप कहते हैं लेकिन रेलवे पैसेंजर्स इसको महसूस नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि रेलवे को लोग नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में जब हम आते हैं तो उसका रिलेशन इतना क्लोज रहता है कि लोग महसूस करने लगते हैं चाहे एन्टरप्राइज

(श्री पी० के० चौधरी)

हो चाहे सर्विसेज हों खुद का इन्डस्ट्री है याने फीलिंग इज मच मोर क्लोजर...

तो आज हम चाहते हैं कि पब्लिक के अन्दर एक कान्शसनेस एराउज़ करने के लिए कि यह जो पब्लिक प्रोपर्टीज़ है वह पब्लिक की नहीं है बल्कि लोगों की है, खुद की है, Public property is its own proverty आज हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की पब्लिक जनता में यह स्प्रिट पैदा करने के लिए, यह फीलिंग पैदा करने के लिए म्युनिसिपेलिटी को स्कोप देगें, पब्लिक एन्टरप्राइज़ चलाने के लिए, पब्लिक युटीलिटी की सर्विस जैसे कि वाटर वर्क्स है, उसको चलाने के लिए या और कोई सर्विस है उसको चलाने के लिए। यह जो फीलिंग है, वह ज्यादा आसानी से और मोर इफेक्टिवली हम उसमें बर्नर से क्रियेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी यह निश्चित राय है कि यह जो सुझाव इसमें रखा गया है उसको मन्जूर करना चाहिए, और मंत्री महोदय इसको अभी स्वीकार करेंगें, क्योंकि उसको स्वीकार करने से कोई आसमान उनके सर पर टूटकर नहीं गिर जायगा। स्वीकार करने के साथ साथ यह इम्प्लाइड रहता है कि स्वीकार करने से उसको इसमें इनक्लूड करने से जो डेरी फार्म वगैरा म्युनिसिपेलिटीज़ की ड्यूटीज़ में इन्क्लूड कर लिये हैं, बस चलाने की ड्यूटीज़ को इन्क्लूड कर लिया है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कम्पलसरी उनको चलाना पड़े। उसके हाथ में रिसोर्सेज़ आयेगें तब चलेगी। लेकिन आप उसको एक स्कोप देते हैं, एक स्प्रिट देते हैं। स्प्रिट देने के बाद में जिन म्युनिसिपेलिटीज़ में या म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स एन्टरप्राइजिंग होगें, जो कि ज्यादा पब्लिक स्प्रिटेड होगें वे इन चीज़ों से फायदा उठायेगें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यह चीज़ शुरुआत करने के लिए, एक अच्छी दिशा अच्छे रास्ते के लिए उनकी ड्यूटीज़ की लिस्ट में, कम से कम उनकी सेकन्डरी ड्यूटीज़ में, यदि प्राइमरी ड्यूटीज़ में नहीं हो तो सेकन्डरी जो फन्क्शन्स हैं उनमें इसको इन्क्लूड किया जाय। इन्क्लूड करने से उनको मार्ग दर्शन मिलेगा कि वे बस चला सकते हैं, डेरी चला सकते हैं Then they start thinking about it.

जब इन्क्लूड नहीं करते हैं, जब नामो-निशान तक नहीं रखते हैं तो वे महसूस करते होगें कि हमारे स्कोप में नहीं है। लेकिन कम से कम इनको ओपशनल फन्क्शन्स में रख देते हैं तो that will give them incentive. वह फील करेगें, उनको वह इनिशियेट करेगा इस दिशा में सोचने के लिए। आज इस दिशा में सोचेंगें तो some of the municipalities atleast will be able to implement them, will be able to work on them. इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह उनके फन्क्शन्स में आ सकते हैं, जो लिस्ट अभी तक सक्यूलेट नहीं हुई है, उस लिस्ट में जो फन्क्शन्स मेन्शन किये हैं, तो इन चीजों को प्राइमरी फन्क्शन्स में नहीं हो तो सेकन्डरी ड्यूटीज में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, धारा ५१ के द्वारा कुछ इस प्रकार के प्रावधान निर्धारित करने जा रहे हैं, जो बोर्ड के लिए कम्पलसरी हैं। It shall be

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

the duty of every Board. इतना जरूर है कि इसके बाद में एक धारा और आई और वह धारा ६३ है। धारा ६३ के द्वारा यह तय किया गया है कि इनमें जो भी फन्क्शन्स ६० और ६१ में तय किये गये हैं उनमें गवर्नमेंट चाहेगी तो एग्जम्प्शन बोर्ड को दे सकेगी, लेकिन जिस प्रकार के फन्क्शन्स इसमें वर्णित किये गये हैं उन फन्कशन्स को यदि हम देखें तो दिखाई देगा कि जो कुछ फन्कशन्स इस प्रकार के दे रहे हैं कि जिनका खर्चा आज बोर्ड पर पड़ेगा। मैं कुछ फन्कशन्स गिनाना चाहता हूं जो कि वर्तमान में राज्य सरकार निभा रही है, और उन फन्क्शन्स को आज राज्य सरकार इस धारा के द्वारा बोर्ड को ट्रान्सफर करना चाहती है:

"(o) public vaccination;

(q) estbalishing and maintaining public hospitals and dispensaries and providing public medical relief :

(s) providing facilities for anti-rabic treatment and meeting the expenses of indigent persons undergoing anti-rabic treatment within or outside the municipal limits;

(x) establishing and maintaining primary schools.....

इस प्रकार के जो फन्क्शन्स आज राज्य सरकार रन कर रही है। इस प्रकार से एस्टेब्लिशमेन्ट एन्ड मेन्टेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल्स यह सारे फन्क्शन्स जो ऐसे हैं जो कि आज स्टेट गवर्नमेन्ट रन कर रही है और उनमें स्टेट गवर्नमेन्ट का बहुत बड़ा खर्चा लग रहा है। अब इन फन्क्शन्स को म्युनिसिपेलिटी के लिए कम्पलसरी कर दिया है। इस प्रकार से नहीं हो। यह होगा शायद प्रारम्भ में कि स्टेट गवर्नमेन्ट सेक्शन ६३ के अन्तर्गत सारे फन्क्शन्स से म्युनिसिपेलिटी को एक्जेम्प्ट करेगी, क्योंकि आज की जो अवस्था है म्युनिसिपेलिटीज़ की यद्यपि आज टैक्सेज़ लगा रही है, कम्पलसरी टैक्स लगाये हैं लेकिन जो टैक्सेज म्युनिसिपेलिटीज़ लगा रही है हर स्थान पर यह अवस्था है कि उन टैक्सेज़ से वर्तमान ड्यूटीज को वे पूरा नहीं कर सकती हैं। लेकिन यह जो नई ड्यूटीज़ म्युनिसिपेलिटीज को गवर्नमेंट दे रही है इसके लिए इस प्रकार का जो प्रावधान गवर्नमेंट नहीं कर रही है कि उन ड्यूटीज को वे निभा सकें। पावर हाउसेज़ आदि के रिसोर्सेज उनको नहीं दिये हैं। इन ड्यूटीज को आज गवर्नमेंट देना चाहती है जिनमें हॉस्पिटल भी शामिल हैं, अगर आज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर म्युनिसिपेलिटी को दिया जाय तो यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि उस हॉस्पिटल को जयपुर की म्युनिसिपेलिटी रन कर सके, क्योंकि उससे आमदनी कुछ नहीं है और आज लाखों रुपयों का खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ता है। वहां पर आमदनी एक पैसे की नहीं है। डिस्पेन्सरीज़ आज जितनी भी जयपुर शहर के अन्दर हैं उनको रन करने के लिए म्युनिसिपेलिटीज़ को दे दिया जाय तो जो खर्चा आज उन पर हो रहा है वह किसी भी प्रकार से उसको निभा नहीं सकती है। जयपुर शहर में आज जितने भी प्राईमरी स्कूल हैं म्युनिसिपेलिटी को दे दिए जांय तो म्युनिसिपेलिटी रन नहीं कर सकती है। म्युनिसिपेलिटीज़ के वर्तमान

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रिसोर्सेज़ इतने कम हैं कि म्युनिसिपेलिटी के वर्तमान रिसोर्सेज में आक्ट्राय ड्यूटी बढ़ा रही है उसका एक कारण है कि आज जितने भी उसके फंकशन्स हैं उन फंक्शन्स को वह पूरा नहीं कर सकती हैं । इसलिए वर्तमान फंक्शन को पूरा करने के लिए उनको नए टैक्सेज दिए जांय। स्थिति तो यहां तक है आज जयपुर में म्युनिसिपेलिटी पर लाइटिंग का जो खर्चा है उसके लाखों रुपए बकाया चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ? क्योंकि वर्तमान में स्ट्रीट लाइटिंग की जो ड्यूटी है वह जयपुर म्युनिसिपेलिटी को दे रखी है । उसको म्युनिसिपैलिटी पूरा नहीं कर सकती है । इसलिए नहीं कर सकती है कि रिसोर्सेज नहीं है। इन सारी बातों को आज पूरा नहीं कर पाती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कुछ और फंक्शन्स यह म्युनिसिपेलिटीज़ को देने का इस प्रकार का एक प्रावधान इस बिल के अन्दर कर रही है। इसके साथ साथ जो दूसरे प्रावधान कर रही है इन सारी चीजों को रन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज़ को म्युनिसिपेलिटीज़ को देगी इस प्रकार का प्रावधान इसमें नहीं किया है । इस कारण से इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो जायगी जिससे कि लोकल बॉडीज का चलना दुश्वार हो जायगा । अभी फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि मेहता कमेटी है उसमें सिफारिश की गई है, कि फंक्शन्स को डीसेन्ट्रेलाइज़ करके लोकल बॉडीज़ को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहिये । मैं मानता हूँ कि अधिकार देना चाहिये, अधिकार किस प्रकार का दें । डिस्ट्रिक्ट डवेलमेंट कमेटी यह तय करती है कि कहां प्राइमरी स्कूल खोले जायं, डिस्पेन्सरीज़ कहां खोली जायं । वह डीसेन्ट्रेलाइज़ की बात हुई । हम यह कहते है कि पंचायत क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल ठीक ढंग से रन होते हैं । वहां पर जो मास्टर लोग है वे ठीक ढंग से काम करते है। उसकी सरपंच रिपोर्ट दे । इसी प्रकार से सिटीज़ में जब प्राइमरी एजूकेशन सिटीज़ की म्युनिसिपेलिटी को देना चाहते हैं वह तो वहां मास्टरों का खर्चा म्युनिसिपेलिटी के जिम्मे बान्ध दिया । यह तय करें कि जितने भी म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर इन्स्टीट्यूशन्स प्राईमरी एजूकेशन की चल रही है उनकी जांच इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल या डिप्टी इन्सपेक्टर या छोटा इन्यपेक्टर है वह नहीं करे । किसी वार्ड में प्राईमरी स्कूल चलती है तो वहां के म्युनिसिपल मेम्बर की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि कहां पर प्राईमरी स्कूल की जरूरत है, कहीं पर जो वर्तमान स्कूल चल रहा है वह ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो लोकल म्युनिसिपेलिटीज़ को अधिकार होना चाहिए कि इन सारी बातों का निरीक्षण करे । उनको निरीक्षण के अधिकार दें, उनको रिकमन्डेशन के अधिकार दें । यह अधिकार दें कि उनके क्षेत्र में कहां प्राईमरी एजुकेशन की जरूरत है, कहां पर ज़्यादा स्कूल हैं वहां पर स्कूल बन्द करने चाहिए और कहां पर खोलने चाहिए । इन सारी बातों का अधिकार हम म्युनिसिपेलिटीज़ को दें तो यह वास्तव में एक सराहनीय बात होगी । इससे हमारे विकास के अन्दर सुविधा होगी । उसी प्रकार से हॉस्पिटल की बात है । उसका निरीक्षण भी वह करेगी ।

उपधारा (टी) में यह है

"(t) housing and maintaining

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

destitute orphans and cripples and establishing and maintaining meternity centres and child welfare clinics,"

यह बात बहुत अच्छी है। इन सारी बातों का निराकरण होना चाहिए। हमारी सरकार बैगिंग एक्ट ला रही है। उस बैगिंग एक्ट के अन्दर इस प्रकार के डेस्ट्युट आरफन्स वगैरह हैं उनका निराकरण करने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक नया बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत हो गया है। उसके अन्दर इन सारी बातों की किस प्रकार से व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है लेकिन यदि म्युनिसिपेलिटीज़ को फंक्शन दे दें कि तुम रन करो, इनको रन करो तो सारी दुनिया के बैगर्स इसमें भरतों हो जायेंगे और म्युनिसिपेलिटीज़ आज जो उनके रिसोरसेज़ हैं उनसे रन कर सकेगी यह असंभव है। यह स्टेट गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है कि वह इनको रन करें और लोकल सुपरविज़न म्युनिसिपेलिटीज़ को दे दे। आज जितने लोकल इन्सटिट्शन्स हैं उनके सुपरविज़न का काम कलेक्टर्स को दे रखा है, नौकरशाही को दे रखे हैं। इस नौकरशाही से बचने के लिये मेहता कमेटी ने रिकमन्ड किया है कि लोकल बोडीज़ को पॉवर दें ताकि वे इन्स्पेक्शन करें और अपनी रिकमेन्डेशन दें। जिस प्रकार से विधान सभा के सारे सदस्य गवर्नमेंन्ट के काम में हस्तक्षेत नहीं करते लेकिन प्रश्नों के ज़रिये उन पर चैक रखते हैं। इसी तरह का काम लोकल इन्सटिट्यूशन्स के लिये लोकल बॉडीज़ के पास होना चाहिये न कि वे उनको डाइरेक्ट रन करने की जिम्मेदारी लें और सारा खर्चा बर्दाश्त करें। मैंने एक संशोधन भी रखा था लेकिन वह आ नहीं सका। लेकिन इसमें आगे जो ओब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं और सेक्शन ९४ का जो (बी) पार्ट है उसको मैं चाहता हूं कि (ए) में जोड़ दिया जाय। उसमें लिखा है

Secondary powers of expenditure of board,

(b) constructing, establishing, maintaining, or contributing to the maintenance of public parks, gardens, libraries, museums, reading rooms, radio receiving stations, lunatic asylums, halls, offices, dharmshala, rest houses, encamping grounds and other public buildings and places;"

धर्मशाला तक के जो शब्द हैं उनको (ए) पार्ट में लाना चाहिये। जैसा कि फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था वे इसके फंक्शन्स हैं। जैसा रूपनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया उसके बजाय पार्क लगाना, गार्डन्स, म्युजियम, रेडियो वगैरा की व्यवस्था करने के फंक्शन्स हैं उनको गवर्नमेन्ट ने सेकन्डरी माना है। इस प्रकार का प्रोविज़न राज्य सरकार ने बहुत कम के लिये रखा है। केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरा के लिये है और यह खर्चा सरकार ने जबर्दस्ती बांध रखा है। जैसे जयपुर में म्यूजियम है, बहुत बड़ा "ज़ू" है, पार्क है इन सब का खर्चा सरकार जबर्दस्ती से वहन करती है। इन सब का उपयोग जयपुर शहर के लोग करते हैं, यहां के लोग आमोद प्रमोद करते हैं तो उनको खर्चा भी सहन करना चाहिये। जयपुर म्युनिसिपेलिटी को यह खर्चा सहन करके आमोद प्रमोद के साधन जुटाने चाहिये। अगर उदयपुर में इस प्रकार की चीज़ हैं तो उदयपुर म्युनिसिपेलिटीज़ को

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसका खर्चा भुगतना चाहिये। आज दुर्भाग्य की बात है कि छोटी छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ के इस प्रकार के साधन नहीं हैं। जयपुर, जोधपुर के लोगों को आमोद-प्रमोद के साधन देने के लिये सारे राजस्थान की जनता को टैक्सेशन के जरिये भार उठाना पड़ता है, लेकिन उसका फायदा जयपुर के लोग उठाते हैं। इस प्रकार जो इसमें सेकेन्ड्री ड्यूटीज़ रखी है उनको कम्पलसरी करना चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हॉस्पिटल्स, डिस्पेन्सरीज वगैरा हैं वे भी इनको देंगे और इनका खर्चा जबर्दस्ती से इन पर डालते हैं और जो वास्तविक खर्चा है वह नहीं देते हैं। जयपुर में जू वगैरा हैं उनको म्युनिसिपेलिटी को रन करना चाहिये लेकिन इनके लिये उल्टा गांव वाले टेक्स देते हैं और जयपुर के लोगों के लिए आमोद प्रमोद का साधन बना रखा है, जोधपुर के लोगों के लिए आमोद प्रमोद का साधन बना रखा है, यह बिल्कुल गलत बात है। जैसे हॉस्पिटल का सवाल है। दैनिक रूप से गांव के लोग यहां नहीं आ सकते लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल के लिए उनको यहां आना पड़ता है। जिन गांवों में औषधियां का साधन नहीं है वहां के लोगों को शहर में आना पड़ेगा। गांव के लोग हॉस्पिटल्स वगैरा का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिये तो कहते हैं कि म्युनिसिपेलिटीज इनको चलावें, गांववाले जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनका खर्चा हम क्यों दें और जिन चिजों का उपयोग शहर वाले करते हैं उनका खर्चा भी गांव वाले दें। इसलिए मैं सेक्शन ६४ के (बी) पार्ट को (ए) पार्ट में लाना चाहता हूं। मैंने इसके लिये संशोधन भी पेश किया था, लेकिन वह किसी वजह से नहीं आ सका, इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि जबानी ही इसको मान लें। आज जयपुर के अलावा जितने छोटे छोटे शहर हैं वे अपने आप रीडिंग रूम लाइब्रेरीज वगैर चलाते हैं और सारा खर्च खुद भुगतते हैं, सरकार नहीं भुगतती है लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं और जहां पर हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है वहाँ इन्हें सरकार चलाती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है, गांववाले टैक्स देते हैं वे इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, और जहां हल्ला गुल्ला होता है वहां खुल कर खर्चा लगाते हैं। इसलिए बिल्कुल अलग फंक्शन्स डिसाइड होने चाहिये कि कौनसा कहां हो। रूपबास से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि उनको ट्रेडिंग फंक्शन्स भी दे दिये जांय लेकिन यह बहुत गलत बात हो जायगी। जहां पर ट्रेड और इन्डस्ट्रीज़ को डेवेलप करने का सवाल हल होता है वहां किस जगह ठीक ढंग से उत्पादन हो सकता है ये सारी बातें राज्य सरकार ही अच्छी तरह से देख सकती है, वही बता सकती है कि किस जगह किस चीज को डवेलप होना चाहिये। यदि म्युनिसिपेलिटीज को ये फंक्शन्स दे दिये तो होच पोच वातावरण बन जायगा, कंसेन्ट्रेशन नहीं होगा। यदि वे चाहते हैं कि डीसेन्ट्रे-लाइजेशन हो तो मान सकता हूं लेकिन डीसेन्ट्रेलाइजेशन कहां पर हो सकता है, यह सोचने की बात है। हम जिला परिषद् मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बनावें लेकिन इसमें वहम नहीं होना चाहिये कि शहर में यह लागू नहीं होगी...

श्री श्रीभानसिंह: आपके कहने से लागू होनी चाहिये या मेहता कमेटी के सुझाव से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: न आपके कहने से होगी और न मेरे कहने से होगी। मैं तो सजेशन दे रहा हूं और मंत्रीजी नोट कर रहे हैं यह आपको ध्यान रहना चाहिये मेहता कमेटी क्या कहती है। कई स्थानों पर मालूम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी जयपुर शहर के बारे में सोचती नहीं है, यदि सोचती तो नगर की जैसी हालत हो रही है वैसी नहीं होती। जयपुर नगर से जितने एम. एल. एज हीं आये हैं वे जयपुर शहर के सुधार के बारे में सुझाव नहीं दे सकते और यह नहीं बता सकते कि किस प्रकार का डवेलपमेन्ट होना चाहिये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटीज गांवों के बारे में विचार करती है ऐसी सूरत में उनका रहना बेकार है। तो जो जिला परिषद बनाने जा रहे हैं उनको इस प्रकार के अधिकार देने चाहिये। किस प्रकार इकोनोमिक डवेलपमेन्ट होना चाहिये, कहां किस प्रकार की इन्डस्ट्रीज होनी चाहिये, ये बातें उनको सोचनी है। कहां विकास नहीं हुआ यह सोचना है। दो गांव हैं एक गांवकी म्युनिसिपेलिटी कहेगी हमारे यहां फलां इन्डस्ट्री होनी चाहिये....

श्री श्रीभानसिंह: गांव में तो पंचायत होंगी, म्युनिसिपेलिटी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: शहर मान लीजिये।

दो शहरों की म्युनिसिपैलिटीज हैं, पास पास में शहर हैं, दोनों शहर की म्युनिसिपैलिटीज ने रिजोल्यूशन पास किया डवेलपमेंट का। सवाल आता है कि इससे एक झगड़ा हो जाता है। अगर दोनों म्युनिसिपैलिटीज ने तय कर दिया तो राज्य सरकार के लिए मुसीबत हो जायगी। म्युनिपैलिटी के पास फन्ड्स नहीं हैं, इसलिए सारे के सारे राज्य सरकार के पास आयेंगे कि हमारा यह काम कीजिये। आप छोटे छोटे काम म्युनिसिपैलिटी के द्वारा करवाते हैं, किसी शहर के अन्दर नल लगवाते हैं, तो वह म्यूनिसिपेलिटी को दे देते हैं, इसके लिए सरकार लोन देती है तो कोई अहसान नहीं करती है लेकिन वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, सरकार एक शहर को दे देती है और दूसरे शहर में पाइप नहीं लगाती है, तो वहां सरकार को कोसा जाता है कि एक शहर के साथ पक्षपात करती है, और दूसरे शहर के साथ सौतेला व्यवहार करती है। यह स्थिति पहले से बना लेते हैं, इसके बाद इन्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट की बात शहर को दे दें, पॉवर दे दें तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जायगा। जो संशोधन रूपवास बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, जिस रूप में रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। इस प्रकार की बात रखना वास्तव में झगड़े की बात रखना है। मैंने जो संशोधन रखा है, क्लॉज ६४ के बी पार्ट में, वह मैंने रख दिया था, वह उसमें नहीं लिया है। मेरा निवेदन है कि म्युनिसिपैलिटीज़ जो छोटे-छोटे खर्च कर रही है, उसे आप अपने आप भुगतने दें और जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं वाजिब चीजें हैं, हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल और बैगर फन्ड्स वगैरह की, उनको निभाने का काम राज्य सरकार अपने हाथ में रखे तो वास्तव में सही रूप में काम हो सकेगा।

श्री सभापति: डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय सभापति, जो रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उन

(डॉ० बहादुरसिंह)

संशोधन प्रस्तावों के समर्थन में मैं कुछ कहूंगा। कुछ माननीय सदस्य काफी....

श्री सभापति: You have already moved your amendments ?

डॉ० बहादुरसिंह: मैं इन पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: That is alright. I wanted to know simply.

डॉ० बहादुरसिंह: मैं अपने पेश कर चुका हूं।

श्री सभापति : It is alright.

डॉ० बहादुर सिंह : जो पहला संशोधन है, वह काफी गम्भीर संशोधन है, आपने इसमें से हॉस्पीटल शब्द को हटाने की बात कही, पार्ट (क्यू) में से, यह तो आप जानते ही हैं कि आज म्युनिसिपैलिटी की स्थिति है कि वह डिस्पेन्सरी चला सकती है लेकिन हॉस्पिटल, जिसके लिये काफी व्यवस्था और काफी धन की आवश्यकता होती है, उसको रन नहीं कर सकती। इसलिए यह संशोधन एक बहुत जरूरी है।

दूसरे, उनका जो तीसरा संशोधन है, उसके संबंध में वास्तव में जो बातें बतलाई, ये हरएक जगह आवश्यक हैं। जो नौकर रखने की प्रथा है उसको कहां तक लागू कर सकते हैं, इसको लोग कहां तक बर्दाश्त करेंगे। यह ठीक है कि देश में गरीबी है, इसलिए लोग सस्ते मिल जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज आप रेल्वे स्टेशन पर जायें तो जो पेंट और कोट पहनने वाला बाबू है, वह पांच सेर की अटेची भी अपने हाथ से ले जाना उचित नहीं समझता लेकिन जब हम किसी विदेशी नागरिक को देखते हैं, उसके कन्धे पर २० सेर वजन लदा होगा, उसके दोनों हाथ भरे होंगे। वह कोशिश करेगा कि इतना सामान लेकर चलूं कि उसको अच्छी तरह से ले जा सकूं। वह कभी कुली तलाशने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार से जो दाई व बच्चों को रखने की व्यवस्था है। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप ग्वालियर के मेले में देखिए वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जो महिलायें मेला देखने आती हैं उन महिलाओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको रखने के लिए परिचारिकायें रखी जाती हैं। जब जब वहां मेले होते है, मेला कमेटी यह व्यवस्था बना देती है। महिलायें अपने बच्चे को वहां छोड़ जाएंगी, उनके बच्चे का नम्बर दे देंगे और बच्चों की अच्छी तरह देखभाल की व्यवस्था होगी, उनको खिलाने की, उनको सुलाने की व्यवस्था होगी और महिलायें, जिनके बच्चे होते हैं, वे आराम से मेले में घूम कर आ जाएंगी। इस प्रकार से अगर यह व्यवस्था रामनिवास पार्क के पास हो या और दूसरी जगह हो, जहां बच्चे रखे जांय। यह कल्पना जरूर है, इसे कल्पना कह सकते हैं लेकिन हम आगे की व्यवस्था बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपेलिटी आज उस व्यवस्था को करे। लेकिन कल्पना है, कल्पना हमारी नजर में है, जहां महिलायें घूमने जांय, वहां उनके बच्चों को रखने की व्यवस्था हो। रूस में हम देखते है कि वहां पायोनियर वगैरह होते हैं . . .

श्री सभापति : It will become

(श्री सभापति)

another zoo.

डॉ० बहादुरसिंह : ऐं, साहब इस तरह की व्यवस्था है । वाकई हमारी यह कल्पना नहीं । इस कल्पना के अनुसार नगर के सुधार के लिए, नगर को सर्वसाधन सम्पन्न और सुविधाजनक बनाने के लिए नगरपालिकायें बनती हैं, उन नगरपालिकाओं के लिए जो सुझाव बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं, वे बहुत जरूरी हैं । इसी प्रकार से उन्होंने फार्मिंग के लिए और-और दूसरे सुझाव दिये हैं । दूध वगैरह के बारे में मैं बताऊं कि यह देखकर हम लोगों को ताज्जुब होता है, आपको तो शायद सम्भवतया नहीं हो, कह नहीं सकता हूं, जयपुर शहर में किसी जगह जायें आपको शुद्ध दूध प्राप्त नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्य है जयपुर शहर का और विशेष कर जो बाहर से आते हैं, हम जैसे लोग, उनका तो बहुत ज्यादा है । तो इस तरह दूध, जिसको हम अमृत कहते हैं, इस अमृत को यहां शुद्ध रूप में पाना मुश्किल है । आप किसी दुकान पर जाइये, वहां आपको चाय पीने वाले ज्यादा मिलेंगे....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अच्छा दूध न मिलने के कारण आप इतने दुबले हो गये हैं ।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति जी, दूध की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है और जिन जगहों पर म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था न हो, आई एम सौरी, जहां डेअरी फार्म नहीं हो, वहां नगरपालिका इस काम को बड़े सुचारु रूप से कर सकती है, यह व्यापारिक दृष्टिकोण से काम चल सकता है क्योंकि नागरिकों को अच्छा खाना मिले, यह देखने का काम भी नगरपालिका का है । वह देखती है कि कहीं मिली हुई चीजें तो नहीं है, इस प्रकार की चीज तो नहीं है जिससे हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो । जो आपने डेअरी की बात बताई, वह बहुत जरूरी है । मैं आगरे होकर जाता हूँ मैं जानता हूँ, आगरे में भी है । मुझे ताज्जुब है कि हमारे यहां भी व्यवस्था है कि बहुत अच्छी डेअरी रन करती हैं, सील पेक बोतलों में दूध बेचा जाता है । इसी प्रकार की जयपुर में व्यवस्था होती, तो फुलेरा से जो माननीय सदस्य आते हैं, वे सूखे जाते हैं गम में, उनको सुविधा होती । श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को काफी प्यास लगती है, अगर वे दूध पीते तो उन्हें चिन्ता व्याप्त नहीं होगी । इसी प्रकार से दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : वे तो मां का दूध पीते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आप कौनसी दुकान का दूध पीते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपनी भैंस का दूध पीता हूँ ।

मैं कहना चाहता हूँ कि खाने पीने की समस्या साधारण समस्या नहीं है । इस पर अच्छी तरह विचार करने की नगरपालिका की जिम्मेदारी हो और इसे नगरपालिका को निभाना चाहिए । इसलिए जो उनका दृष्टिकोण है, वह बहुत सही है ।

Page No 109

(डॉ० बहादुरसिंह)

इसी तरह से उन्होंने एक्जीबिशन की बात बताई। हमें फक्र है कि धौलपुर के अन्दर जो एक्जीबीशन लगती है, उसको गवर्नमेंट से लड़कर म्युनिसिपैलिटी में लिया। इस एक्जीबिशन से धौलपुर म्युनिसिपैलिटी को २२ हजार रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार से अपने-अपने क्षेत्र में नगर में जो फेअर्स होते हैं, उनको म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया जाय तो उन नगरपालिकाओं की आय बढ़ सकती है और आय बढ़ने के साथ-साथ जो टैक्स बढ़ते हैं जनता पर, जिनके कारण आज की जनता यह सोचती है कि आज अगर जनता के प्रतिनिधि, जितने चुने गये हैं, इनकी एक मीटिंग बढ़ गई तो आज कोई नया टैक्स लगने वाला है। इस प्रकार की भावना है इसलिए जनता को सुविधा देने के लिए, उस क्षेत्र में जो फेअर्स हैं, जिन पर नगरपालिका का अधिकार है, वाजिब अधिकार हैं कि वह जनता के मनोरंजन के लिए कोई न कोई साधन करे। ये फेअर्स हैं, वे व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं लगते बल्कि जो जीवन में नीरसता आ जाती है, उस नीरसता को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम कोई मनोरंजन का साधन करें, ये फेअर्स लगायें, त्यौहार मनायें, उन त्यौहारों को आकर्षक बनाया जाता है, इन सब में आखिर एक ही मन्तव्य है कि हमारे जीवन में जो नीरसता आ जाती है, वह दूर हो। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं के लिए यह बात जरूरी है कि वे अपने क्षेत्र में लगने वाले फेअर्स पर पूरा अधिकार रखें।

अब मैं पब्लिक पार्क्स, बार, धर्मशाला, रेस्ट हाउस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शहरों के लिये इनका होना परम आवश्यक है। जयपुर शहर को ही ले लीजिये, एक तरफ तो बहुत बड़ा पार्क बना दिया, पर जयपुर शहर की गलियों में जिन माननीय सदस्यों को दुर्भाग्य से जाना पड़ता है, वे जानते हैं कि किस हद तक गंदगी इन गलियों में है। यह तो वही मिसाल हुई कि खाने को दो कौर दे दिया और दिन भर भूखा रखें, यही हालत शहरों के रहने वालों की है, जैसे मरीज को दवाई दी जाती है उसी प्रकार शहरों के रहने वालों के लिये पार्क महज़ दवाई मात्र है कि एक वक्त रामनिवास पार्क में चले गये और ताज़ी हवा खाली फिर दिन रात इन्हीं गन्दी गलियों में रहे। ऐसी सूरत में इन गन्दी गलियों को साफ कराके इनकी जगह पार्क बनायें तो हम उन इलाकों के रहने वाले बच्चों के साथ बड़ा न्याय करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली सन्तान स्वस्थ हो और आगे चल कर अच्छे-अच्छे काम करे और अच्छे स्वस्थ और सुलझे हुए दिमाग के नागरिक बनें। इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें हम शुद्ध वायु दें। पर देखा गया है कि नागरिक केवल पैसा, धन कमाना जानते हैं, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ध्यान नहीं देते उनकी कमाई का १।८ डॉक्टरों की जेबों में जाता है। इस चीज़ को चैक करने के लिये पार्कों की व्यवस्था इन गन्दी आबादियों में करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से परम हितकर होगा। तो इस तरह गार्डन, पार्क का जो अमेंडमेंट है वह बहुत जरूरी है। आपने जो अमूल्य संशोधन दिये हैं काफी लम्बे चौड़े हैं, वे भी शहर के रहने वाले हैं और शहरों की परिस्थितियों को, कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आशा

(डॉ० बहादुरसिंह)

करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी मैंने कुछ अमेंडमेंट्स इस पर दिये थे पर वे आये नहीं । यह बहुत गम्भीर मसला है, जिस पर कि गम्भीरता से विचार होना चाहिये । नगरपालिकाएं जो हमारी हैं, उनसे हम अपने नगरों का कुछ कार्य लेना चाहते हैं । हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि विकेन्द्रीकरण को यदि शासन में लाना चाहते हैं तो जहां हमारी ग्राम पंचायतें ग्रामों का आधार होती हैं वहां नगरपालिकाएं हमारे बड़े शहरों की व्यवस्था का आधार हों । इसलिये यह प्रश्न आकर खड़ा होता है कि जिन नगरपालिकाओं के द्वारा हम अपने शहरों की व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं, सुचारु रूप से बनाये रखना चाहते हैं, तो उनको कितने अधिकार दिये जायं और कितने नहीं दिये जायं । मैंने इस विषय में माननीय मित्रों के विचार सुने, अलग-अलग विचार हैं, पर यह सही है कि जहां नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति को इकाई मान कर चलते हैं, तो मोटे रूप से यह मान कर चलना पड़ेगा कि हमको वे सारे अधिकार जो नगरों और नागरिकता के विकास के लिये आवश्यक हैं, नगरपालिकाओं को देने होंगे । जितने भी अधिकार नगरों के विकास के लिये आवश्यक हैं वे सब नगरपालिकाओं को देने होंगे ।

प्रश्न आता है कि धारा ६४ में जो लिस्ट बताई गई है, वह क्या उन सब अधिकारों को कवर करती है, जो इसमें साफ विस्तार से बताया है, काफी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं । पर कुछ माननीय सदस्यों ने भावुकता की दौड़ में कुछ ऐसे भी सुझाव दे दिये हैं कि जो क्रियान्वित किये जाने की दशा में डिक्टेटरशिप के अधिकार नगरपालिकाओं को दे देंगे ।

तो हमें स्वास्थ्य के ऊपर और जीवन के विकास के लिये जितनी बातें आवश्यक हैं, उनके बारे में सभी अधिकार नगरपालिकाओं को देने चाहिये । इसके पार्ट (v) में मेरा संशोधन था :

Substitute the words "the votes of not less than two thirds of the whole number of members and with the approval of the State Government" by the words "the majority of votes of the members present in that particular meeting" in part (v).

आज हम देखते हैं कि शहरों में हर गली, हर चौराहे और बाजारों में हमें इस प्रकार के केन्द्र दिखाई देते हैं, जो हमारी सभ्यता के लिये समाज के लिये कलंक हैं । हो सकता है कि परिस्थितियों से मजबूर होकर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने इसमें प्रवेश किया हो पर फिर भी हमारे शहरों में इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जो हमारे समाज की व्यवस्था पर बड़ा आघात करते हैं । मैं सुझाव दूंगा कि सरकार इस प्रकार का जो कानून ला रही है, केन्द्र भी इस प्रकार का जो कानून ला रहा है, कि नगरपालिकाओं को इस प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये और नगरपालिकाएं यह काम अच्छी तरह से कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकती हैं। नगरपालिकाओं के सदस्य अलग-अलग वार्ड्स से चुनकर आते हैं और हर मोहल्ले की हर बात से वे वाकिफ रहते हैं, राजस्थान सरकार को भी वे इसके लिये अच्छी राय दे सकते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि नगरपालिकाओं को ओटोनोमस बोडी की सत्ता के ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं, अधिक सब्सिडी दी जाय ताकि वे अधिक उन्नति कर सकें और नागरिक जीवन को अधिक विकसित कर सकें। अनाथ अबलाएं कौनसी हैं, उनको कहां अच्छी तरह रखा जा सकता है, भारत सेवक समाज जो कार्य कर रहा है वह कार्य नगरपालिकाओं को दिया जाय, हो सकता है कि इसमें कई अच्छे कार्यकर्ता हों, पर भारत सेवक समाज से हमें आज तक इस प्रकार की कोई बात नहीं मिली है। तो मेरा सुझाव है कि यह कार्य नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिये।

बी. में एक और सुझाव मैंने दिया था। नगरपालिकाएं कोई भी विकास का कार्य करने का फैसला करती हैं तो २।३ मैजोरिटी से ही प्रस्ताव पास कर सकेंगी, ऐसा इसमें प्रावधान है. मेरा निवेदन है कि जो आस-पास करना चाहते हैं वहां २।३ मैजोरिटी का क्यों रखते हैं केवल मैजोरिटी का ही क्यों नहीं रख देते कि डेमोक्रेसी के उसूल के माफिक मैजोरिटी से पास करें। तो जहां शहरों का विकास करना चाहते हैं तो वहां यह २।३ मैजोरिटी का नहीं रखना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि "Instead of the votes of not less than two thirds of the whole number of members and with the approval of the State Government" मैजोरिटी ऑफ बोर्ड्स रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। मैं आशा करता हूं कि वे इसे स्वीकार करेंगे।

तो जो गार्डन्स लगाने के लिये, रेडियो सैट लगाने के लिये, बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिये गन्दी बस्तियों से गन्दगी हटाने का मजदूरों के वैलफेअर सेंटर खोलने का जो सुझाव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं, पर मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि व्यापार भी नगरपालिकाओं के सुपुर्द कर दिया जाय। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये व्यापारिक संस्थाएं बन जायेंगी, समाज की सेवा करने का जो इनका काम है वह ये नहीं कर सकेंगी, इसलिये मैं ट्रेडिंग का समर्थन नहीं करता। जहां मजदूरों के विकास के लिये है उसका हर एक आदमी समर्थन करेगा। ऐसी दलीलें दी जाती हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इसका समर्थन करेंगे, मुझे तरस आता है उनके ऐसे विचारों पर।

श्री श्रीभानसिंह : I think Jan-Sangha had a different policy.

श्री दयाकृष्ण विजय : जनसंघ की कैसी भी विचारधारा हो, इतनी प्रगतिशील है कि उस पर गहराई से विचार करेंगे तो उसकी प्रशंसा करेंगे। जनसंघ ने इस बात को स्वीकार किया है कि विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था हो। नगरों और नागरिकों के अधिकाधिक विकास के लिये नगरपालिकाओं को अधिकाधिक स्वायत्त शासन अधिकार दिये जायं, इस चीज़ को जनसंघ ने माना है। जो आज हमें नगरपालिकाओं के कटु अनुभव हैं वे शिक्षा के अभाव के कारण हैं, ज्यों ही

(श्री दयाकृष्ण विजय)

शिक्षा का प्रसार होगा सब अपने कर्त्तव्य को समझने लग जायेंगे । पर आवश्यकता से अधिक अधिकार देकर हम उनके सर पर बोझा नहीं डालना चाहते। लेकिन हम शहरों में देखते हैं वहां हमको पढ़े लिखे लोग मिलते हैं । यदि ऐसे लोगों का बोर्ड बनता है जो पढ़े लिखे हैं, और अपना काफी अनुभव रखते हैं तो ऐसी हालत में, किसी प्रकार के अधिकार देने में सरकार को उतारू रखती है तो मैं समझता हूं, कि यह उचित नहीं होगा । मैं इस बात का समर्थक हूं कि नगरपालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जावे जिससे वे अपने नगरों में सुधार कर सकें और स्कूलें आदि का प्रबन्ध कर सकें । अतः मैंने जो दो संशोधन दिये हैं, मैं समझता हूँ कि उनको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे । दो तीन बातें हैं । उनको मैजोरिटी बोर्ड से जो भी चाहे अपने नगर में विकास कर सकें ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, श्री श्रीमानसिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । जहां तक नगरपालिकाओं का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नगरपालिका जब तक अपने शहरों का कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं होगी तब तक हमारे नगरों का सुधार नहीं हो सकता । यह मानी हुई बात है, कि किसी भी प्रजातन्त्र को सबल बनाने के लिये हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा न रहे । इसके लिये सर्व प्रथम यह व्यवस्था करनी होगी कि जितनी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उनके वहां पर कम्पलसरी एज्युकेशन शुरू कर दी जानी चाहिये । रहा उसकी व्यवस्था का प्रश्न, यह ५ साल के बच्चों से शुरू की जावे या ७ वर्ष के बच्चों से । इसके साथ साथ हनको यह भी देखना होगा कि जब हम बच्चों के लिये पढ़ने की व्यवस्था शुरू करते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से स्कूलों तक ठीक तरह से जा सकेंगे या नहीं । यह हमें देखना होगा । क्योंकि शहर और गांवों में इस संबन्ध में बड़ा भारी अन्तर होता है । शहरों के बच्चे बाहर जाते हैं तो सड़कों पर भारी यातायात मिलता है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती हैं । इसलिये बच्चों को लाने और वापिस घर तक पहुँचाने के लिये यह आवश्यकता होती है कि उनके लिये प्रबन्ध किया जाए । जो बच्चे १० या ११ साल तक के हों उनको घरों से स्कूल तक लाया जावे, और उसके बाद उनको वापिस पहुँचाये जाने के लिये वाहनों का प्रबन्ध करना होगा । इसके अलावा जो बच्चे घरों से सुबह आते हैं उनको खाने पीने का हर दो घन्टे बाद प्रबन्ध करना भी आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार से हर एक स्कूल में जो बच्चों का स्कूल है प्रबन्ध होना चाहिये । आज भी जिन बच्चों को हम बेसिक शिक्षा देना चाहते हैं उनमें हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि हमारे बच्चों के दिमाग किधर जाते हैं । जिधर उनका दिमाग जाता हो उसी प्रकार की उनको शिक्षा देसकें, जिससे वे भविष्य का निर्माण कर सकें । इस तरफ हमें ध्यान देना होगा । साथ ही कम्पलसरी शिक्षा देकर प्रत्येक स्त्री और पुरुष को हमें पढ़ाना चाहिये । जितने भी प्रौढ़ स्त्री और पुरुष हैं उनको शिक्षा देनी होगी । इसके लिये, मैं दक्षिण भारत में त्रावणकोर गया

(श्री सूबेदारसिंह)

वहां देखा कि वहां पर दिन भर लोग काम करते हैं, और रात को लालटेन लगा कर पढ़ते हैं। शहरों में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वे घर हो चाहे दूसरे हों चाहे मज़दूरी करने वाले हो दिन भर मज़दूरी करते हैं और रात को फुटपाथ पर सोते हैं। इसलिये हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ५० आदमियों को घरों से निकाल कर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार से समाज को ठीक नहीं कर सकेंगे।

जहाँ हम पुरुषों को शिक्षा देना चाहते है वहां हमको महिलाओं को भी शिक्षा देनी होगी। महिलाएं हमारे बराबरी का अंग है। महिलाओं में शिक्षा की बहुत कमी है, और वे शिक्षा में पुरुषों से बहुत पिछड़ी हुई हैं। उनको भी प्रौढ़ शिक्षा देनी चाहिये। इसके साथ साथ उनको गृह कार्य के लिये भी शिक्षा देनी चाहिये जैसे कपड़े की सिलाई का कार्य है जो घर गृहस्थ में काम आता है, गृहस्थ को किस प्रकार चलाना चाहिये, बच्चों को किस प्रकार से रखना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : म्युनिसिपैलिटी में वही सदस्य होंगे जिसके लड़के हों।

श्री सूबेदारसिंह : इसके अलावा आपको लूले, लंगड़ों को जो हैनारे यहां रहते हैं उनका भी प्रबन्ध करना होगा : क्योंकि हमारा कोई भी अंग अशिक्षित नहीं रहना चाहिये। इसलिये अंधों, बहरों के स्कूल भी चलाने होंगे। जब हम शहरों के लोगों को इस प्रकार से शिक्षा देना चाहें तो हम यह भी देखेंगे कि प्राइमरी शिक्षा कम्पलसरी कर दी जावे। इसके बाद में बड़े बड़े कालेजेज़ और विश्वविद्यालयों की जरूरत रहती है। हम यह कहते हैं कि शहर में रहने वालों का स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक रह सकता है। इसके लिये भी हमें देखना होगा कि शहरों में सफ़ाई की व्यवस्था ठीक है या नहीं। आजकल देखने में आता है कि शहरों में मेन रोड़ जो होते हैं उन पर सफाई अच्छी रहती है लेकिन अन्दर गलियों में सफ़ाई नहीं हो पाती। यह मैं जयपुर की ही बात नहीं कह रहा हूं। कहीं भी सौभाग्यशाली शहरों में आप जावेंगे आपको यही हालत मिलेगी। अगर दो तीन दिन तक कूड़े करकट का ढेर पड़ा रहता है तो उससे बीमारी फैलने की संभावना रहती है। नगरपालिका के पास साधन नहीं होते कि उनको किसी दूसरी जगह डलवाया जावे। इस प्रकार के कूड़ा करकट से शहर की आबहवा खराब होती है, और बीमारी फैलने का बड़ा खतरा रहता है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक ३-४-५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे दिनांक ३ अप्रेल, ५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार २ अप्रेल, १६५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	५७१०	भीनमाल-भात्र बस सर्विस ।	
कोटा तथा बीकनेर डिविजनों में सिंचाई योजनायें ।		अणादरा अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति ।	
पंचायतों के चुनाव ।		सर्किल इन्सपेक्टर सुलतानपुर की थाने के अतिथि गृह में रिहायश ।	
खन्डेला थाना के सब-इन्सपेक्टर श्री दुबे के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत ।		कोटा-बारां रोड पर काली सिंध नदी का पुल ।	
वनस्थली एरोड्राम ।		कस्बा भीनमाल में पीने के पानी की व्यवस्था ।	
ग्राम पंचायतों एवं तहसील पंचायतों के सरपंचों के लोकसेवक माने जाने के संबंध में ।		आर० ए० सी० के सिपाहियों को अवकाश की सुविधा ।	
भूतपूर्व चूसी के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला ।		सादड़ी-राणकपुर सड़क ।	
मेटरीनीट वार्ड, करौली ।		गंगापुर-जयपुर सड़क पर सीतोड़ के नाले पर पुलिया का निर्माण ।	
जिला भरतपुर में अभियोगियों को छोड़ा जाना ।		गंगानगर को लोहे का कोटा ।	
		नेगूं डिस्पेन्सेरी में बैडस् ।	
जल सहायता समिति और जिला विकास समितियों की सदस्यता ।		सराडा तहसील का हरचन्द तालाब ।	
नाथद्वारा से उदयपुर के बीच चीरवे की घाटी में जीप दुर्घटना ।		मानगंज मंडी दौसा-वर्षा में पानी भरजाने के संबंध में ।	
केला देवी-करणपुर सड़क ।		जिला भीलवाड़ा को सीमेन्ट लोहा, इस्पात, चद्दर आदि का कोटा ।	
जिला जयपुर के अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था ।			

Page No 115

स्तम्भ स्तम्भ

स्थगित प्रश्नोत्तर

अमर बान्ध के कारण हिन्डौन इलाके में पत्थर की खानों का रास्ता बन्द ।

सांचोर सीड स्टोर में धान की कमी ।

स्थगन प्रस्ताव

तिब्बत में उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७ ५७६७

उपरोक्त विधेयक के खंड ६८ से विचार आरम्भ हुआ ।

५७६७ खंड ६८, ६६, ७०, ७८, ८१, ८३, ८४, ८५, एवं ८६—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये ।

खंड ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ८०, ८२, ८६, ८७, ८८, एवं ६०—बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

खंड—७२ व ७६—स्थगित किये गये ।

खंड ६१ पर विचार हो रहा था कि सदन की कार्यवाही ठीक ५ बजे, शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रेल, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रेल, १६५६ की

कार्यसूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७

(अग्रेत्तर—विचार—विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२५ का उत्तर देखिये)

List showing the institution wise budget grant sanctioned by the Govt. for medicines along with an approximate cost of the supply thereof made to the respective institutions during the current finencial year (1958 - 59).

S. N.	Name of Institution.	Budget sanctioned for medicines.	Date of supply	Approximate cost of the supply made.
1.	Amarsar P. H. C.	2500/-	20-9-58	554.69
			31-12-59	1223.12
2.	Amber Dispensary.	2000/-	3-10-58	538.61
			13-3-59	1173.44
3.	Bairath Dispensary.	2000/-	30-10-58	427.50
			9-11-58	458.87
			19-2-59	2125.16
4.	Bandi Kui Dispensary.	2000/-	9-10-58	822.81
5.	Bassi Dispensary.	2000/-	91-10-58	959.64
			6-2-59	1870.07
6.	Bheinslana Dispensary.	2000/-	20-9-58	258.17
			20-9-58	219.44
			3-11-58	112.30
			20-2-59	1299.75
7.	Baswa P. N. C.	2500/-	30-10-58	775.80
			20-2-59	1654.11
8.	Chaksu Dispensary.	2000/-	22-9-58	189.60
			3-11-58	44.00
9.	Chomu Dispensary.	3000/-	21-7-58	583.13
			9-11-58	612.18
			19-2-59	1869.73

परिशिष्ट १ [५६५१

१	२	३	४	५
10.	Dausa Dispensary.	3000/-	7-10-58	1396.06
11.	Goner Dispensary.	2000/-	1-10-58	326.19
			30-10-58	157.10
			25-2-59	1083.80
12.	Jamwa Ramgarh Dispensary.	2000/-	28-8-58	83.75
			10-9-58	30.87
			22-9-58	160.50
13.	Kaladera Dispensary.	2000/-	8-8-58	324.05
			23-2-59	1727.10
14.	Jobner Dispensary.	2000/-	5-11-58	344.14
15.	Kishangarh Renwal. P.N.C.	3000/-	12-8-58	260.31
			11-10-58	26 8-26
			30-10-58	38.00
16.	Lalsote Dispensary.	2500/-	23-7-58	202.39
			8-10-58	676.06
17.	Mozmabad Dispensar.	2000/-	29-11-58	360.12
18.	Naraina Dispensary.	2100/-	21-7-58	633.39
			18-9-58	268.76
19.	Paota Dispensary.	4500/-	16-10-58	523.40
20.	Phulera Dispensary.	2000/-	30-7-58	213.60
			20-9-58	194.00
			31-12-58	306.20
			29-2-59	1081.02
21.	Phagi Dispensary.	3000/-	21-7-58	171.12
			8-12-58	325.48
			24-2-59	1333.27
22.	Shahpura Dispensary.	2000/-	23-8-58	379.40
			30-10-58	274.60
			9-3-59	994.16

१	२	३	४	५
23.	Saipura Dispensary.	1000/-	17-9-58	396.10
24.	Sambhar Dispensary.	5000/-	18-9-58	511.20
			10-2-59	2785.38
25.	Samod Dispensary.	2000/-	10-9-58	89.79
			29-12-58	223.79
26.	Sanganer Dispensary.	3000/-	20-7-58	237.93
			1-9-58	199.34
			16-10-58	1377.48
			3-2-59	192.15
27.	Sikrai Dispensary.	2000/-	18-9-58	117.65
28.	V. J. Hospital, Kotputlly.	4600/-	16-8-58	280.11
			5-12-58	193.25
			9-3-59	2383.58
29.	S. Z. Hospital Kotputlli.	4300/-	11-10-58	192.15
			24-2-59	1881.10
30.	M. C. W. Center, Dausa.	750/-	8-10-58	742.72

शुद्धि-पत्र
(गुरुवार, २ अप्रैल, १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५७११	अन्तिम से ६	1. 8 5 iac	1. 95 lae
,,	अन्तिम से ७	account f	account of
५७१३	अन्तिम से ६	श्री किशनराम	श्री किशनाराम
५७२७	७	१६ मोल	१६ मील
५७३३	अन्तिम से १३	thin	thing
५७५५	८	मैमोरेंडेम	मैमोरेन्डम
५७५६	अन्तिम से १०	in frunut of	infront of
५७६३	५	श्रंणदरा	अणादरा
५७७८	४	गेा	गये
५७८५	१४	कागन	कागज
५७८६	१	श्रीं मैरोंसिंद्	श्री मैरोंसिंह
,,	४	वामों	कामों
५७८७	१६	जनतत्रीय	जनतंत्रीय
,,	अन्तिम से ११	कॉन्टीक्ट	कॉन्ट्रेक्ट
५७९३	११	वीकृत	स्वीकृत
५७९७	१०	गांधीजा	गांधीजी
५७९८	अन्तिम से ११	छेड दे	छोड दे
५७९९	अन्तिम से १६	क्सिटटी	सैंक्टटी
,,	८	तुहारी	तुम्हारी
५८०२	१५	देनो	दोनों
५८०३	२	ही	नहीं
५८०५	११	oter	other

Page No 120

१	२	३	४
५८०५	१५	with hell	withheld
,,	अन्तिम से ६	appointl	appointed
५८०६	२	ggicer	officer
,,		इस्तिफा	अस्तीफा
५८०८	५	pexist	prexist
५८१०	१०	mployees	employees
,,	अन्तिम से ६	Denal	penal
,,	,,	aly	any
५८११	१०	कए	कई
५८१५	६	mut	must
,,	१३	ि ये पाने	लिये पाने
,,	१५	थड	थर्ड
५८१६	४	tte	the
५८१८	४	नेेट	नेरेट
५८१८	८	ation	action
,,	१४	कह रो है	कह रहे हैं
,,	अन्तिम से ११	regiani	refrain
५८२२	१	(श्री पी. वे चौधरी)	श्री पी. के. चौधरी
५८२६	अन्तिम से ८	गिरवारीलाल	गिरधारीलाल ने
५८३१	१४	कर ेगा	कर देगा
,,	अन्तिम से १०	य । कन्डक्ट हैं	यह मिस कन्डक्ट है
५८३४	अन्तिम से ७	श्री पी. के. चाधरी	श्री पी० के० चौधरी
५८३८	३	mebody	somedody
,,	४	asaults	assaulto
,,	१२	रिटीजन	सिटीजन
,,	अ.से ११वद	ंन्कशन	सेंक्शन
५८३६	१४	डिरक्रेशन	डिरिकशन

(३)

१	२	३	४
५८४०	१	ी सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	६	ही रगे	हो रहेंगे
५८४३	१४	Concened	Concerned.
५८४५	३	Municipalit	Municipality
५८४७	१५	दा पाटियां होती ह	दो पर्टियां होती हैं
५८४६	शीर्षक	विधेयक १५७	विधेयक १६५७
५८५१	अन्तिम से १५	re/ uest	request
५८५४	२	इलेटेड	इलेक्टेड
५८६३	अन्तिम से ५	डॉ ० बहादरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
५८७५	६	Se 303	Sec 303
५८७८	१४	emblcyces	employees
५८८३	४	स्वीकार जाय	स्वीकार किया जाय
५८६६	१३	हरेक	हर एक
५८६८	अन्तिम से १६	थ्‌	थ्र
५६०६	अन्तिम से १७	फिल ासाफी	फिलासफी
,,	अन्तिम से ३	dou yo	do you
५६१६	५	सारा खच	सारा खर्चा
५६३४	५	घर	बेघर
,,	१३	ना	देना